601
5-1-65

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 3rd
# LOK SABHA DEBATES

[ नवां सत्र
Ninth Session ]

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. XXXIV contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

## विषय-सूची

**अंक 20--शनिवार, 3 अक्तूबर, 1964/11 आश्विन, 1886 (शक)**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर


| *तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 531 | संयुक्त रूप से फिल्म बनाना . . . . | 2027-28 |
| 532 | रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार . | 2029--31 |
| 533 | ट्रैक्टर तथा विद्युत 'टिलर' बनाने का कारखाना | 2031--34 |
| 535 | हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन | 2034--38 |
| 536 | बोकारो इस्पात परियोजना . | 2038--42 |
| 537 | सूती वस्त्र सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति . . | 2042--44 |
| 539 | अमरीका को गया सम्भरण विभाग का प्रतिनिधि मंडल | 2044-45 |
| 540 | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम | 2045--47 |
| 543 | रेलवे अनुसन्धान, डिज़ायन तथा मानक संगठन . | 2047-48 |
| 544 | सेंट्रल रेलवे अस्पताल, गोरखपुर . | 2048-49 |


### प्रश्नों के लिखित उत्तर


| | | |
|---|---|---|
| 534 | हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल . . | 2050 |
| 538 | काठमांडू में प्रदर्शनी . | 2050 |
| 541 | बिहार में कोयले का जमा हो जाना | 2050-51 |
| 542 | जालारपेट के लोको शैड के कर्मचारी . . | 2051 |
| 545 | रेलवे के ठेके . . | 2051 |
| 546 | दि काफी हाउस "जनपथ" . . | 2052 |
| 547 | आन्ध्र प्रदेश में कच्चे लोहे का कारखाना | 2053 |
| 548 | ग्रामीण लघु उद्योग . | 2053-54 |
| 549 | कच्चे लोहे के कारखाने | 2054 |
| 550 | कैमरों का निर्माण | 2055 |
| 551 | विद्युत करघा जांच समिति . | 2055 |
| 552 | निर्यातकर्त्ताओं के लिये आचार संहिता | 2056 |
| 553 | लौह अयस्क का निर्यात . . . . | 2056 |


---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

## CONTENTS

No. 20—*Saturday, 3 October, 1964/Asvina 11, 1886 (Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| **Starred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 531 | Joint Production of Films | 2027—28 |
| 532 | Expansion of Rourkela Steel Plant | 2029—31 |
| 533 | Tractor and Power Tiller Factory | 2031—34 |
| 535 | Heavy Engineering Corporation | 2034—38 |
| 536 | Bokaro Steel Project | 2038—42 |
| 537 | Expert Committee on Cotton Fabrics | 2042—44 |
| 539 | Supply Department Delegation to U.S.A. | 2044—45 |
| 540 | Hindustan Steel Ltd. and N.C.D.C. | 2045—47 |
| 543 | Railway Research Designs and Standards Organisation | 2047—48 |
| 544 | Central Railway Hospital, Gorakhpur | 2048—49 |


WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Questions Nos.* | | |
|---|---|---|
| 534 | Heavy Electricals Ltd., Bhopal | 2050 |
| 538 | Exhibition in Kathmandu | 2050 |
| 541 | Coal Accumulation in Bihar | 2050—51 |
| 542 | Loco Shed Workers at Jalarpet | 2051 |
| 545 | Railway Contracts | 2951 |
| 546 | The Coffee House, Janpath | 2052 |
| 547 | Pig Iron in Andhra Pradesh | 2053 |
| 548 | Rural Small Industries | 2053—54 |
| 549 | Pig Iron Plants | 2054 |
| 550 | Manufacture of Cameras | 2055 |
| 551 | Powerloom Enquiry Committee | 2055 |
| 552 | Code of Conduct for Exporters | 2056 |
| 553 | Export of Iron Ore | 2056 |


*The sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1684 | राजपुरा रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल | 2056–57 |
| 1685 | दक्षिण-पूर्व रेलवे पर यात्रा टिकट चैकर | 2057 |
| 1686 | तैयार किये गये भारतीय खाद्य पदार्थों का निर्यात | 2057 |
| 1687 | उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां | 2058 |
| 1688 | रेलवे लाइन का विद्युतीकरण | 2058–59 |
| 1689 | जशपुर सब-डिवीजन में रेलवे लाइन | 2059 |
| 1690 | केरल में सफेद सीमेंट का कारखाना | 2059 |
| 1691 | कृत्रिम रेशम के धागे का आयात | 2060 |
| 1692 | विदेशी समवायों से सहयोग | 2060 |
| 1693 | चाय अनुसन्धान केन्द्र | 2060–61 |
| 1694 | पूर्वोत्तर रेलवे पर चाय पान का दिया जाना | 2061 |
| 1695 | कल्याण और शहद स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों का बन्द किया जाना | 2061–62 |
| 1696 | बम्बई की भूमिगत रेलवे | 2062 |
| 1697 | बम्बई में ऊपर फ्लौर रेलवे | 2062 |
| 1698 | कोटावला सा–बेलाडिल्ला रेलवे लाइन | 2063 |
| 1699 | आसाम में रेशम उद्योग | 2063 |
| 1700 | हथ-करघा निर्यात संवर्द्धन | 2063–64 |
| 1701 | डांगो पोसी स्टेशन के पास रेलवे दुर्घटना | 2064 |
| 1702 | सरकारी उपक्रमों की व्यवस्था में सुधार | 2064 |
| 1703 | दिल्ली में भूमिगत रेलवे | 2065 |
| 1704 | दिल्ली में माचिसों की कमी | 2065 |
| 1705 | कोयला नियंत्रण | 2066 |
| 1706 | कल्पी में रेलवे पुल | 2066 |
| 1707 | शत्रु-सम्पत्ति | 2066–67 |
| 1708 | न्यूज़ीलैंड में अन्तर्राष्ट्रीय मेला | 2067 |
| 1709 | कोयले की मांग | 2068 |
| 1710 | इथोपिया को सूती कपड़े का निर्यात | 2068–69 |
| 1711 | केन्द्रीय रेशम बोर्ड | 2069 |
| 1712 | चाय के विकास के लिये कार्यक्रम | 2069—71 |
| 1713 | पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम का विकास | 2071 |
| 1714 | रेशम-कीट पालन उद्योग | 2071–72 |
| 1715 | दिल्ली में रेलवे गोदाम में आग | 2072 |
| 1716 | मीट्रिक प्रणाली | 2072–73 |
| 1717 | मैसर्ज अशोक पेपर मिल्ज़ लिमिटेड | 2073 |
| 1718 | दीनाजपुर में रेलवे सेवा का अस्त व्यस्त से जाना | 2074 |
| 1719 | टिप ट्रकों का आयात | 2074 |
| 1720 | ताज एक्सप्रेस | 2075 |

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 1684 | Overbridge at Rajpura Railway Station | 2056—57 |
| 1685 | Travelling Ticket Checkers on S.E. Railway | 2057 |
| 1686 | Export of Indian Processed Foods | 2057 |
| 1687 | Industrial Estates in Orissa | 2058 |
| 1688 | Electrification of Railway Line | 2058—59 |
| 1689 | Railway Line in Jashpur Sub-Division | 2059 |
| 1690 | White Cement factory in Kerala | 2059 |
| 1691 | Report of Artificial Silk Yarn | 2060 |
| 1692 | Collaboration with Foreign Companies | 2060 |
| 1693 | Tea Research Institute | 2060—61 |
| 1694 | Supply of Refreshments on N.E. Railway | 2061 |
| 1695 | Suspension of Trains between Kalyan and Shahad Stations | 2061—62 |
| 1696 | Underground Railway in Bombay | 2062 |
| 1697 | "Upper Floor" Railway Lines in Bombay | 2062 |
| 1698 | Kottavalasa-Bailadilla Railway Line | 2963 |
| 1699 | Silk Industries in Assam | 2063 |
| 1700 | Handloom Export Promotion Council | 2063—64 |
| 1701 | Trains Collision near Dangoaposi Station | 2064 |
| 1702 | Management Reforms in Public Undertakings | 2064 |
| 1703 | Underground Railway in Delhi | 2065 |
| 1704 | Shortage of Match-boxes in Delhi | 2065 |
| 1705 | Coal Control | 2066 |
| 1706 | Railway bridge at Kalpi | 2066 |
| 1707 | Enemy Property | 2066—67 |
| 1708 | International Fair in New Zealand | 2067 |
| 1709 | Demand for Coal | 2068 |
| 1710 | Export of Cotton Textiles to Ethiopia | 2068—69 |
| 1711 | Central Silk Board | 2069 |
| 1712 | Programmes for Development of Tea | 2069—71 |
| 1713 | Development of Sericulture in Hilly Areas of Punjab | 2071 |
| 1714 | Sericulture Industry | 2071—72 |
| 1715 | Fire in Railway Godown in Delhi | 2072 |
| 1716 | Metric System | 2072—73 |
| 1717 | M/s Ashoka Paper Mills Ltd. | 2073 |
| 1718 | Dislocation of Trains Service in Dinajpur | 2074 |
| 1719 | Import of Tip Trucks | 2074 |
| 1720 | Taj Express | 2075 |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1721 | दुग्ध चूर्ण के कारखाने | 2075 |
| 1722 | दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गांजा पकड़ा जाना | 2075–76 |
| 1723 | गोलागोकरणनाथ (पूर्वोत्तर रेलवे) पर उपागमन मार्ग | 2076 |
| 1724 | छोटे पैमाने के एकक | 2076–77 |
| 1725 | भारतीय विदेश व्यापार संस्था | 2077–78 |
| 1726 | रूरकेला में पैदा की गई गैस | 2078–79 |
| 1727 | काफ़ी बोर्ड | 2079 |
| 1728 | गारो पहाड़ियों में कोयला खनन | 2079 |
| 1729 | पटसन का निर्यात | 2080 |
| 1730 | पंजाब में लघु उद्योग | 2080 |
| 1731 | पंजाब में औद्योगिक सहकारी संस्थायें | 2080 |
| 1732 | उत्तर रेलवे पर धोखाधड़ी | 2081 |
| 1733 | रेलवे स्टाक निरीक्षक | 2081 |
| 1734 | दुर्गापुर में नगर निर्माण | 2081 |
| 1735 | शारदा रेलवे पुल | 2081–82 |
| 1736 | यात्रा सहायक, माल क्लर्क तथा चिट्ठियां छांटने वाले | 2082 |
| 1737 | गासलीटेंड खान से कोयला | 2082–83 |
| 1738 | इस्पात का उत्पादन | 2083 |
| 1739 | गोआ नारियल उद्योग | 2083–84 |
| 1740 | उत्पादिता में वृद्धि | 2084 |
| 1741 | रेलवे स्टेशन पर पानी ठंडा करने की मशीनें | 2084 |
| 1742 | दिल्ली जोधपुर मेल | 2085 |
| 1743 | लाहौरा खान में लौह अयस्क के निक्षेप | 2085–86 |
| 1744 | लघु उद्योग | 2086 |
| 1745 | गोहाटी स्टेशन के पास रेल का पटरी से उतर जाना | 2086–87 |
| 1746 | उत्तर सीमान्त रेलवे का काठीहार–सिलीगुड़ी सेक्शन | 2087 |
| 1747 | गैर-सरकारी संस्थाओं को रेलवे पास | 2087–88 |
| 1748 | रेलवे के सामान की बरामदी | 2088 |
| 1749 | राज्यों के लिये बच्चों की गाड़ियां | 2088–89 |
| 1750 | पूर्वोत्तर रेलवे में केन्द्रीय यातायात नियंत्रण सेवा | 2089 |
| 1751 | रेलवे अधिकारियों और यात्रियों में संघर्ष | 2089–90 |
| 1752 | भारतीय सप्लाई दूतावास, वाशिंगटन | 2090 |
| 1753 | खनन सम्बन्धी अधिकार शुल्क | 2091 |
| 1754 | बोकारो स्टील लिमिटेड | 2091 |
| 1755 | मध्य रेलवे पर हाल्टिंग स्टेशन | 2091–92 |
| 1756 | कोलम्बो में औद्योगिक प्रदर्शनी | 2092 |
| 1757 | उड़ीसा में मैंगजीज़ की खानें | 2092–93 |
| 1758 | लौह और मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात | 2093–94 |

*Unstarred Questions*


| *Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 1721 | Milk Powder Factories | 2075 |
| 1722 | Recovery of *Ganja* at the Delhi Station | 2075–76 |
| 1723 | Approach Road at Golagokarannath (N.E. Railway) | 2076 |
| 1724 | Small Scale Units | 2076–77 |
| 1725 | Indian Institute of Foreign Trade | 2977–78 |
| 1726 | Gas Produced at Rourkela | 2078–79 |
| 1727 | Coffee Board | 2079 |
| 1728 | Coal Mining in Garo Hills | 2079 |
| 1729 | Export of Jute | 2080 |
| 1730 | Small Scale Industries in Punjab | 2080 |
| 1731 | Industrial Cooperatives in Punjab | 2080 |
| 1732 | Frauds on Northern Railway | 2081 |
| 1733 | Stock Verifiers on Railways | 2081 |
| 1734 | Township at Durgapur | 2081 |
| 1735 | Sharda Railway Bridge | 2081–82 |
| 1736 | Travelling Assistant Goods Clerks and Van Sorters | 2082 |
| 1737 | Coal from Gaslitand Colliery | 2082–83 |
| 1738 | Steel Production | 2083 |
| 1739 | Goa Coir Industry | 2083–84 |
| 1740 | Increase in Productivity | 2084 |
| 1741 | Water Coolers at Railway Stations | 2084 |
| 1742 | Delhi-Jodhpur Mail | 2085 |
| 1743 | Iron Ore Deposit in Lahore Mine | 2085–86 |
| 1744 | Small Scale Industries | 2086 |
| 1745 | Derailment near Gauhati Station | 2086–87 |
| 1746 | Katihar-Siliguri Section of N.F. Railway | 2087 |
| 1747 | Railway Passes to Private Institutions | 2087–88 |
| 1748 | Recovery of Railway Equipment | 2088 |
| 1749 | Children's Trains for States | 2088–89 |
| 1750 | Central Traffic Control Service in N.E. Rly | 2089 |
| 1751 | Clash between Passengers and Railway Officials | 2089–90 |
| 1752 | Indian Supply Mission, Washington | 2090 |
| 1753 | Mining Royalties | 2091 |
| 1754 | Bokaro Steel Ltd. | 2091 |
| 1755 | Halting Stations on Central Railway | 2091–92 |
| 1756 | Industrial Exhibition in Colombo | 2092 |
| 1757 | Manganese Mines in Orissa | 2092–93 |
| 1758 | Export of Iron and Manganese Ores | 2093–94 |

| अतरांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1759 | लिग्नाइट की खानें | 2094 |
| 1760 | छोटी कोयला खानों का विलय | 2084–95 |
| 1761 | युगाण्डा में चीनी मिलें | 2095 |
| 1762 | उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के वेतन-स्तर | 2095–96 |
| 1763 | केरल में कताई मिलें | 2096 |
| 1764 | त्रिपुरा में रेलवे लाइन | 2096 |
| 1765 | उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में राजपत्रित पदाधिकारी | 2096–97 |
| 1766 | इलाहाबाद स्टेशन के कुली | 2097 |
| 1767 | बेगोनिया खानें | 2097–98 |
| 1768 | भारतीय खान ब्यूरो | 2098 |
| 1769 | विदर्भ में भूतत्वीय सर्वेक्षण | 2098 |
| 1770 | उत्तर रेलवे में क्लर्कों की वरिष्ठता | 2098–99 |
| 1771 | मूंगफली और मूंगफली का तेल | 2099 |
| 1772 | स्टीमरों में उच्च श्रेणियों में पंखों की व्यवस्था | 2099 |
| 1773 | मद्रास में सीमेंट के कारखाने | 2100 |
| 1774 | लाइसेंसशुदा कुलियों की मजूरी | 2100–01 |
| 1775 | भारतीय रेल पर लाइसेंस शुदा कुली | 2101 |
| 1776 | निर्यात | 2101–02 |
| 1777 | पूर्वोत्तर रेलवे में मैडिकल आफिसर | 2102 |
| 1778 | आन्ध्र के तम्बाकू के लिये विदेशी मण्डी | 2102–03 |
| 1779 | पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर | 2103 |
| 1780 | पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा | 2103–04 |
| 1781 | सूती कपड़े की कीमतें | 2104 |
| 1782 | बीकानेर डिवीज़न (उत्तर रेलवे) में गोगामेरी स्टेशन | 2104–05 |

**चीन द्वारा कथित अणु बम विस्फोट के बारे में** . . . 2105—07

**अल्प सूचना प्रश्न संख्या** . . . 2107—16

11. खाद्य तथा कृषि मंत्रियों का सम्मेलन . 2107—10

12. खाद्यान्नों के मूल्य 2110—12

13. राज्यों को खाद्यान्न का संभरण 2112—16

**स्थगन प्रस्ताव के बारे में** . . . . 2116

**सत्र के अन्तिम दिन सदस्यों को एक घण्टे का समय दिया जाना** . 2116

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** . 2117–18

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

*Unstarred Questions*

| *No.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 1759. | Lignite Mines | 2094 |
| 1760. | Amalgamation of Small collieries | 2094–95 |
| 1761. | Sugar Mills in Uganda | 2095 |
| 1762. | Pay scales of staff on Northern Railway | 2095–96 |
| 1763. | Spinning Mills in Kerala | 2096 |
| 1764. | Railway Line in Tripura | 2096 |
| 1765. | Gazetted Officers in the Ministry of I. & S. | 2096–97 |
| 1766. | Porters of Allahabad Station | 2097 |
| 1767. | Begonia Mines | 2097–98 |
| 1768. | Indian Bureau of Mines | 2098 |
| 1769. | Geological Survey in Vidarbha | 2098 |
| 1770. | Seniority of Clerks of Northern Railway | 2098–99 |
| 1771. | Groundnuts and Groundnut oil | 2099 |
| 1772. | Fans in Upper classes of Steamers | 2099 |
| 1773. | Cement Factories in Madras | 2100 |
| 1774. | Wages of Licensed Porters | 2100–01 |
| 1775. | Licensed Porters on Indian Railways | 2101 |
| 1776. | Exports | 2101–02 |
| 1777. | N. E. Railway Medical Officers | 2102 |
| 1778. | Foreign Market for Andhra Tobacco | 2102–03 |
| 1779. | Accommodation for N. E. Railway Employees | 2103 |
| 1780. | Alleged harassment of Railway Workers | 2103–04 |
| 1781. | Prices of Cotton Textiles | 2104 |
| 1782. | Gogameri Station in Bikaner Division (N. Railway) | 2104–05 |
| *Re.* | reported atom bomb explosion by China | 2105—07 |
| Short Notice Questions Nos. | | 2107—16 |
| 11. | Conference of the Ministers of Food and Agriculture | 2107—10 |
| 12. | Prices of Foodgrains | 2110—12 |
| 13. | Supply of Foodgrains to States | 2112—16 |
| *Re*: | Motion for Adjournment | 2116 |
| Allotment of an hour to Members on the last day of a Session | | 2116 |
| Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | | 2117–18 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| 28 सितम्बर, 1964 को बारामूला में कथित दो बम विस्फोट घटनायें | 2117–18 |
| श्री बागड़ी | 2117 |
| श्री हाथी | 2117–18 |
| **उपमंत्रियों का परिचय** | 2118 |
| **जम्मू तथा काश्मीर में स्थिति के बारे में** | 2118 |
| **आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ स्थिति के बारे में** | 2119 |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | 2120–22–2144 |
| **संसदीय समितियों के कार्यवाही-सारांश** | 2122 |
| **वित्तीय समितियों (1963–64)––एक समीक्षा** | 2122 |
| **राज्य सभा से सन्देश** | 2122 |
| **विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति** | 2123 |
| **सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति** | 1123 |
| **तारांकित प्रश्न संख्या 1328 के उत्तर में शुद्धि** | 2123–23 |
| **आन्ध्र प्रदेश में स्कूल के बच्चों की मृत्यु के बारे में वक्तव्य** | 2124 |
| श्री भक्त दर्शन | 2124–26 |
| **प्रतिरक्षा सम्बन्धी मानचित्रों के पाये जाने के बारे में वक्तव्य** | 2126 |
| श्री अ० म० थामस | 2126–27 |
| **विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में** | 2127–28 |
| **लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक––पुरस्थापित** | 2128 |
| **खाद्य सम्भरण स्थिति के बारे में विवरण––सभा पटल पर रखा गया** | 2128 |
| श्री चि० सुब्रह्मण्यम | 2128 |
| **पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव** | 2129 |
| श्री यशपाल सिंह | 2129–30 |
| डा० पं० शा० देशमुख | 2130–31 |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति** | 2131 |
| उनचासवां प्रतिवेदन | 2131 |
| **भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प** | 2131–34 |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | 2132 |
| श्री हाथी | 2132–34 |
| श्री बीरेन दत्त | 2134 |

Reported explosion of two bombs in Baramulla on 28th September, 1964. . . . . . . 2117-18

Shri Bagri 2117

Shri Hathi . . 2117-18

Introduction of Deputy Ministers . 2118

*Re*: Situation in Jammu and Kashmir . . 2118

*Re*: flood situation in Andhra Pradesh . . 2119

Papers laid on the Table . . ·2120—22,2144

Minutes of Parliamentry Committees . . 2122

Review of Financial Committees (1963-64) . 2122

Message from Rajya Sabha . . . 2122

President's Assent to Bills . . . 2123

Leave of Absence from sittings of the House . . 2123

Correction of Answer to Starred Question No. 1328 . 2123-24

Statement *re*. death of school children in Andhra Pradesh 2124

Shri Bhakt Darshan . . . 2124—26

Statement *re* : discovery of defence maps . . 2126

Shri A. M. Thomas . . 2126-27

*Re*: motion of privilege . 2127-28

Representation of People (Second Amendment) Bill—introduced 2128

Statement *re*. food supply position laid on the Table . 2128

Shri C. Subramaniam . . . . 2128

Motion *re*: Report of Backward Classes Commission 2129

Shri Yashpal Singh . . . : 2129-30

Dr. P. S. Deshmukh . . 2130-31

Committee on Private Members' Bills and Resolutions Forty-ninth Report . . . . . . . . 2131

Resolution *re*: Defence of India Act. . 2132—34

Shri Onkar Lal Berwa . . 2132

Shri Hathi . . . 2132—34

Shri Biren Dutta 2134

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में संकल्प** . | 2135–39 |
| श्री अचल सिंह | 2135–36 |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | 2136 |
| श्रीमती रेणुका राय | 2136 |
| श्री राम सेवक यादव . | 2136–37 |
| श्री कृ० चं० शर्मा | 2137 |
| डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . | 2137 |
| श्री रणंजय सिंह . . . | 2137–38 |
| श्री हाथी . . . . | 2138–39 |
| **लाइसेंसों, परमिटों आदि के वितरण के नियंत्रण के लिये बोर्ड नियुक्त करने के बारे में संकल्प** . . . . | 2139–44 |
| श्री प० ह० भील | 2139–40 |
| श्री नम्बियार . | 2140 |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | 2140–42 |
| श्री शिवमूर्ति स्वामी | 2142–43 |
| श्री च० का० भट्टाचार्य . | 2143 |
| श्री कपूर सिंह | 2143–44 |
| श्री दासप्पा . | 2144 |
| **चीन द्वारा कथित अणु विस्फोट के बारे में वक्तव्य** . . . | 2141 |
| श्री नन्दा | 2141 |
| **आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ के बारे में वक्तव्य** . . | 2144 |
| श्री श्यामधर मिश्र . . . . | 2144–45 |
| **सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हड़ताल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा** . | 2145 |
| श्री प्र० रं० चक्रवर्ती | 2145–46 |
| डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी . | 2146–47 |
| श्री अलगेशन . . | 2147 |

| Subject | PAGES |
| --- | --- |
| Resolition *re*: Eradication of Corruption | 2135—39 |
| Shri Achal Singh | 2135-36 |
| Shri Onkar Lal Berwa | 2136 |
| Shrimati Renuka Ray | 2136 |
| Shri Ram Sewak Yadav | 2136-37 |
| Shri K. C. Sharma | 2137 |
| Dr. L. N. Singhvi | 2137 |
| Shri Rananjay Singh | 2137-38 |
| Shri Hathi | 2138-39 |
| Resolution *re*: Board for the Control of Distribution of Licences, Permits, etc. | 2139—44 |
| Shri P. H. Bheel | 2139-40 |
| Shri Nambiar | 2140 |
| Shri Onkar Lal Berwa | 2140—42 |
| Shri Sivamurthi Swamy | 2142-43 |
| Shri C. K. Bhattacharyya | 2143 |
| Shri Kapur Singh | 2143-44 |
| Shri Dasappa | 2144 |
| Statement *re*: reported explosion of an atomic device by China | 2141 |
| Shri Nanda | 2141 |
| Statement *re*: floods in Andhra Pradesh | 2144 |
| Shri Shyam Dhar Misra | 2144-45 |
| Half-an hour discussion *re*: strike in Sindri Fertiliser Factory. | 2145 |
| Shri P. R, Chakraverti | 2145-46 |
| Dr. L. M. Singhvi | 2146-47 |
| Shri Alagesan | 2147 |

# लोक सभा
# LOK SABHA

**शनिवार, 3 अक्तूबर, 1964/11 आश्विन, 1886 (शक)**

*Saturday October 3, 1964/Asvina 11, 1886 (Saka)*

---

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

*The Lok Sabha met at Eleven of the clock*

[ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**संयुक्त रूप से फिल्म बनाना**

\+

*531. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
**श्री धवन :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त रूप से फिल्म बनाने के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिये भारतीय चलचित्र निर्माताओं का तीन सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल अमरीका गया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल किन परिणामों पर पहुंचा ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें०रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). सरकार की स्वीकृति से, भारतीय चल-चित्र निर्यात निगम, संयुक्त राष्ट्र अमरीका में भारतीय चलचित्रों के निर्यात की संभावनाओं की खोज करने के लिये एक **चार सदस्यीय दल भेज रहा** है जिसमें इसके अध्यक्ष तथा **तीन** भारतीय चलचित्र निर्माता होंगे ।

**Shri Onkar Lal Berwa:** May I know the estimated cost to be incurred on the delegation of film producers, being sent to U.S.A. and whether this expenditure will be borne by the film producers of private sector; if so, the details thereof ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अनुमानित व्यय लगभग 80,000 रुपये है ।

**अध्यक्ष महोदय** : इसको बर्दाश्त कौन करेगा ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसका कुछ भाग तो ये पक्ष स्वयं बर्दाश्त करेंगे और तिहाई भाग सरकार देगी ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** May I know whether the films here will be produced on co-operative basis or through some committee; if so, the details thereof ?

**The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah):** Four films are to be produced. Their manuscripts have reached here. After the approval of the Government of India, the Indian film companies will produce them.

**श्री रा० गि० दुबे** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस संयुक्त कार्य में अंग्रेजी चलचित्रों का निर्माण भी शामिल है ?

**श्री मनुभाई शाह** : ये सब भारतीय चलचित्र हैं ।

**श्री कपूर सिंह** : क्या भारतीय चलचित्रों का अमरीका में काफ़ी मात्रा में प्रदर्शन किया जाता है ; यदि नहीं, तो इस संयुक्त चलचित्र उपक्रम से क्या लाभ होने की आशा है ?

**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को ज्ञात है यह मामला अमरीका के चलचित्र निर्यातक संघ और ब्रिटेन के रैंक वितरक संघ के साथ हुए समझौते से पैदा होता है। उनके पास एक रुपया ब्लाक खाता है और हम उस धन को निर्यात कार्यों के लिये व्यय करना चाहते हैं ।

**Shri K. N. Tewari:** Who are the chairman and members of the team and the items to be exported?

**श्री सें० वें०रामस्वामी** : बोर्ड के अध्यक्ष, श्री नायक इसके अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य श्री दलीप कुमार, निगम के निदेशक, श्री ए० एल० श्रीनिवासन, निगम के निदेशक और श्री अजित बोस, निगम के सदस्य हैं ।

**Shri Yashpal Singh:** Whether some line of demarcation will be put or everything will be like Panchsheel ?

**Shri Manubhai Shah:** Proper arrangements have been made in this respect. This team is taking with it seven Indian films which will be sold there.

**रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार**

+

*532. { **श्री बागड़ी :**
**श्री पें० वेंकटासुब्बया :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये पश्चिम जर्मनी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक करार को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) और (ख). जी, हां । रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार हेतु 40 करोड़ जर्मन मार्क के ऋण के बारे में दोनों सरकारों में एक परस्पर करार पर 25 अप्रैल, 1963 को हस्ताक्षर हुए थे । इस संदर्भ में 16 अगस्त, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

**Shri Bagri:** After the success of the Rourkela Steel Plant what would be the rank of India in the world industrially ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P.C. Sethi):** So far as Rourkela Steel Project in concerned, there would be expansion of flat products and inspite of that there will be shortage of flat products.

**Shri Bagri:** I asked about the rank of India in the world.

**Mr. Speaker:** He said, India still will be far behind.

**Shri Bagri:** Approximately what would be its place ?

**Shri P. C. Sethi:** I can tell the place regarding steel industry but the Hon. Member is asking about the industries as a whole.

**Shri Bagri:** What would be her place in all the industries ?

**Shri P. C. Sethi:** Thsi question does not relate to all industries.

**Shri Bagri:** What would be her place in steel ?

**Shri P. C. Sethi:** In Steel she would be after Bhilai.

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस नये विस्तार से राउरकेला में अतिरिक्त उत्पादन कितना होगा ?

**श्री संजीव रेड्डी**: नया विस्तार तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 18 लाख टन का होगा ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या मूल राउरकेला संयंत्र में टिन कीप्लेटें भी बन रही हैं और क्या यह उत्पादन करने से पूर्व इस मूल संयंत्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया गया है और यदि इसमें कोई कमी हुई है तो वह कितनी है ?

**श्री संजीव रेड्डी**: जैसा हमें पता है, राउरकेला में अभी पूरा उत्पादन नहीं होने लगा है परन्तु इसमें वृद्धि हो रही है । मैं नहीं कह सकता कि हम कब तक लक्ष्य पूरा कर सकेंगे लेकिन इसकी क्षमता तृतीय योजना के अन्त तक 18 लाख टन हो जायेगी ।

**श्री दी० चं० शर्मा:** विवरण से पता चलता है कि ऋण का भुगतान 20 वार्षिक किश्तों में किया जायेगा और ब्याज $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिम जर्मनी की सरकार को इतना अधिक ब्याज क्यों दिया गया है जब कि हमें अन्य देशों से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या इससे थोड़ा अधिक ब्याज की दर पर ऋण मिल रहा है ?

**श्री संजीव रेड्डी :** यह ऋण के बारे में बातचीत करते समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है ।

**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम जर्मनी से टेक्नीशियन और तकनीकी सहायता भी मिलेगी और क्या हम इसको चलाने के लिये अपने टेक्नीशियनों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं ?

**श्री संजीव रेड्डी :** यह सब टेक्नीशियन पैदा करने की हमारी क्षमता पर निर्भर है । इसमें बड़ी संख्या में टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। वहां पर कुछ जर्मन टेक्नीशयिन भी हैं। अब जब कि उत्पादन बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि हमें उन्हें कुछ समय के लिये और रखना चाहिये ।

**Shri Gulshan:** Will the Hon. Minister be pleased to state what would be given to Germany in consideration of the agreement entered in connection with the Rourkela Steel Project?

**Shri P. C. Sethi:** The interest at the rate of $5\frac{3}{4}$ percent. per annum will be paid to them for the amount of loan.

**Shri Gulshan:** Will some raw material be supplied to them ?

**Shri P. C. Sethi:** No. Sir.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** May I know the amount advanced by Germany in this respect and how for the production will meet the shortage ?

**Shri P. C. Sethi :** A loan of 400 million Dutsch marks has been taken from Germany which is about 560 million rupees. As I have already stated even after this production there will be shortage of flat products in India.

**श्री शिव नारायण :** राउरकेला इस्पात संयंत्र में कितने जर्मन विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** एक सौ से अधिक जर्मन टेक्नीशियन हैं ।

**श्री क० ना० तिवारी :** क्या करार में यह भी समझौता हुआ है कि हम अपने टेक्नीशियन भी प्रशिक्षण के लिये पश्चिम जर्मनी को भेजेंगे ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** जी, हां ।

**श्री द्वा० ना० तिवारी :** कितने ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

**श्री ब० कु० दास :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जर्मनी के साथ सहयोग के बारे में बातचीत को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उत्पादन का समय-लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है । करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और हमने सभी क्रयादेश दे दिये हैं ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** इस नये ऋण से बनाये जाने वाले राउरकेला संयंत्र के इस सेक्शन को चालू करने में कितना समय लगेगा और इसकी उत्पादन-क्षमता कितनी होगी ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** उत्पादन लगभग 1967 में आरम्भ होगा और यह बताया जा चुका है कि क्षमता 18 लाख टन होगी ।

**श्री शिव चरण गुप्त :** क्या यह भी सच है कि राज और अन्य सामान्य टेक्नीशियन भी, जो देश में उपलब्ध हैं, जर्मनी से बुलाये गये हैं ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** यह बात सच नहीं है ।

**ट्रैक्टर तथा विद्युत् 'टिलर' बनाने का कारखाना**

\+

*533. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**महाराज कुमार विजय आनन्द :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री रामपुरे :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री द्वारका दास मंत्री :**
**श्री इ० मधुसूदन राव :**
**श्री रवीन्द्र वर्मा :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में ट्रेक्टर तथा विद्युत "टिलर" बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र):** (क) से (ग). ट्रैक्टरों और विद्युत "टिलर" बनाने के लिए सरकार ने **सरकारी क्षेत्र** में एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय **सिद्धान्त रूप** में कर लिया है । इसके लिए सभी सम्भावित आवश्यकताओं का अध्ययन किया जा रहा है । इस परियोजना के अन्तर्गत कारखाने के स्थान समेत सभी विस्तृत बातों पर सम्भावित आवश्यकताओं की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** सरकारी क्षेत्र में उत्पादन कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है और इन ट्रैक्टरों का क्या मूल्य होगा ? क्या यहां पर निर्मित ट्रैक्टर किसानों को, यदि आयातित ट्रैक्टरों के मूल्य से कम नहीं, तो उसी मूल्य पर दिये जा सकेंगे ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :** इस समय, जब कि संभावना प्रतिवेदन तक हमें नहीं मिला है, यह कहना कठिन है कि इस संयंत्र में ट्रैक्टरों और विद्युत टिलरों का उत्पादन कब आरम्भ होगा ।

जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, हमारी यह इच्छा है कि इनको सस्ते से सस्ता बनाया जाये लेकिन जिस मूल्य पर वे किसानों को दिये जायेंगे, उसका तो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही पता लग सकता है ।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** मैं उत्तर समझ नहीं सका ।

**श्री त्रि० ना० सिंह :** मैंने बताया कि जिस मूल्य पर वे बेचे जायेंगे, उस मूल्य का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही पता लग सकेगा और यह कार्य संभावना प्रतिवेदन पूरा होने के बाद ही किया जा सकेगा ।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में आयातित ट्रैक्टर फालतू पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े हैं और यदि हां, तो क्या इस योजना से इस स्थिति में सुधार होगा ?

**श्री त्रि० ना० सिंह :** विभिन्न ट्रैक्टरों में लगने वाले फालतू पुर्जे आदि विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाये जाते हैं । इस कारखाने में विशेष रूप से अन्य प्रकार के ट्रैक्टरों के लिये फालतू पुर्जे नहीं बनाये जायेंगे ।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि विद्युत टिलरों के निर्माण के लिये कितने समवायों को, कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं और क्या इन में से किसी में उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

**श्री विभुवेन्द्र मिश्र :** अभी तक चार समवायों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं । एक अन्य कम्पनी में, जिसको लाइसेंस दिया गया है, शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । तीन अन्यों के मामले में स्वीकृति पत्र दे दिये गये हैं ।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** कितनी क्षमता के लिये ?

**श्री विभुवेन्द्र मिश्र :** अभी उन में से किसी में भी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :** सरकारी क्षेत्रीय परियोजना में बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों और विद्युत टिलरों की क्या क्षमता होगी ? ये ट्रैक्टर भारी ट्रैक्टर होंगे या हल्के ट्रैक्टर या मध्यम दर्जे के ट्रैक्टर होंगे ? क्या विद्युत टिलर भी बनाये जायेंगे और यदि हां, तो उनकी क्षमता क्या होगी ?

**श्री विभुवेन्द्र मिश्र :** वे अधिकांश मध्यम दर्जे के ट्रैक्टर और विद्युत टिलर होंगे ।

**श्री द्व० ना० तिवारी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में जोत बहुत छोटी छोटी ह और हर राज्य में अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जा रही क्या ऐसे ट्रैक्टर बनाये जायेंगे जो एक एकड़ या उससे कम भूमि में काम आ सकें ?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : विद्युत टिलरों के निर्माण के लाइसेंस देने और निर्माण के बारे में इरादा यही है। ये चलते फिरते ट्रैक्टर या बेबी ट्रैक्टर होंगे जिनकी हार्स-पावर भी थोड़ी होगी।

**Shri K. N. Tewari :** When Dr. Ram Subhag Singh was connected with this Ministry, the Cabinet decided in favour of production of power tillers. If there is some delay in the manufacture of tractors, may I know whether some arrangements are being made for the manufacture of power tillers ?

**Shri T. N. Singh :** It has been said that four licences or letter of intent have been issued for the manufacture of power tillers. Out of these the production in one factory, Karishi Anges, Hyderabad, is likely to commence in early, 1965.

**Shri Rameshwaranand :** Only big landlords would derive benefit from these big tractors.. Is something being produced for the use of small agriculturists also ?

**Mr. Speaker :** He said that these are not big tractors.

**Shri Rameshwaranand :** I meant those Tractors which conld be drawn by the bullocks but would lead to greater production. Are some such implements also being produced ?

**Shri T. N. Singh :** It has been just stated that for small agriculturists, small tractors will be manufactured ?

**Mr. Speaker :** He referred to such tractors which could be drawn by bullcoks or even men.

**Shri T. N. Singh :** These are the same type of walking tractors.

**Shri Bade :** There was a proposal of the Government to manufacture baby tractors. I want to know whether in this scheme baby tractors will also be manufactured or they are of some other type ?

**Shri T. N. Singh :** Baby tractors and power tillers are the same thing.

**Shri Gulshan :** It is said that four companies have been given licences for the manufacture of tractors. I want to know whether some licence is given in Punjab also ?

**Shri T. N. Singh :** There is one at Faridabad.

**Shri Onkar Lal Berwa :** Whether some foreign components will also be there or these will be made of all indigenous components ?

**Shri T. N. Singh :** We intent to manufacture about 80 per cent components indigenously. Some parts will have to be necessarily imported.

**Mr. Speaker :** I may also ask one supplementary question. One application for tractors from my constituency is also pending for long.

**Shri T. N. Singh :** That is under consideration.

**डा० पं० शा० देशमुख** : सरकार की नीति में अधिक उर्वरक देने और कृषि व्यवस्था करने की नीति बड़ी अशोभनीय रही है। क्या सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों के अनिश्चित निर्माण से गैर-सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों के निर्माण की प्रगति कम होगी ?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : गैर-सरकारी क्षेत्र में जो भी प्रयत्न किये जायें, सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों के निर्माण का प्रस्ताव ढीला नहीं पड़ेगा।

**उद्योग तथा संभरण मंत्री (श्री दासप्पा)** : मांग वर्तमान लाइसेंस क्षमता से बहुत अधिक है।

**डा० पं० शा० देशमुख:** मैंने जो कहा वह यह था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को समुचित प्रोत्साहन न देने के लिये सरकार की नीति गलत है ..... (**अन्तर्बाधा**)

**अध्यक्ष महोदय :** अब प्रतिपक्ष को शान्त हो जाना चाहिये ।

**श्री जोकीम आल्वा :** क्या प्रतिवेदन बनाने और इसको क्रियान्वित करने में सरकार को पांच वर्ष लगते हैं ? दूसरे यह निर्माण भारी औद्योगिक कार्य है या उच्च किस्म का है या साधारण ? और

**अध्यक्ष महोदय :** इतने प्रश्न नहीं पूछ जाने चाहियें ।

**श्री जोकीम आल्वा :** उसी समय वे यह कहते हैं प्रतिवेदन मिल रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप क्या उत्तर मांगते हैं ? अगला प्रश्न ।

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन**

\+

*535. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 29 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में लगी आग का जांच-कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां एवं निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या जांच प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) जांच के बाद यह विदित हुआ है कि आग 29 जनवरी, 1964 को प्रातः 4.30 बजे लगी जो एक तोड़ फोड़ का कार्य था । अग्नि निरोधक उपकरणों और आग बुझाने वाले कर्मचारियों की कमी के कारण आग पर शीघ्र ही नियंत्रण नहीं किया जा सका । सुरक्षात्मक प्रबन्ध नाकाफी था और आग बुझाने के लिये आग बुझाने वाले केन्द्र और कर्मचारी रखने का जो सुझाव दिया गया था उस पर अमल नहीं किया गया ।

(ग) जी, हां ।

**Shri Vishwanath Pandey :** I want to know the extent of loss due to this fire ?

**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** 35 लाख रुपये की क्षति का अनुमान है ।

**Shri Vishwanath Pandey :** May I know whether prior to the setting up of this enquiry committee, some government servant was also entrusted with the work of conducting an enquiry ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह):** एक उच्च-न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, श्री बी० मुकर्जी को इसकी जांच करने को नियुक्त किया गया था ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या तोड़ फोड़ और असावधानी के लिये, जिसके कारण आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी, जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गयी है, यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

**श्री त्रि० ना० सिंह:** जस्टिस मुकर्जी के प्रतिवेदन के अनुसार यह तोड़ फोड़ का मामला है । प्रतिवेदन में जिन व्यक्तियों का जिक्र किया गया है उन सब के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** आग बुझाने के बारे में मेरे प्रश्न के आधे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार यह व्यवस्था करने में सावधान क्यों नहीं रही ?

**श्री त्रि० ना० सिंह :** इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही इन कमियों का पता लगा और मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि आग बुझाने की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये उचित कार्यवाही की गयी है ।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय कृपया मुझे सम्बोधित करें ।

**श्री त्रि० ना० सिंह :** मैं क्षमा चाहता हूं ।

**Shri Yashpal Singh :** May I know the reason for the fire breaking out twice ? Were the reasons for both the fires similar ? Was there some kind of sabotage involved in it ?

**Mr. Speaker :** He said that the case of sabotage is there. The report has already come.

**Shri Yashpal Singh :** What was the reason for the fire breaking out twice ?

**Shri T. N. Singh :** The enquiry in the first fire revealed that there was the case of sabotage. About the other fire, the enquiry is still going on. The other incident took place only a few days back. It is difficult to predict anything at this stage.

**श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस घटना में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को क्या और कितनी सहायता दी गयी ?

**श्री त्रि० ना० सिंह :** यह आग का प्रश्न है । इस अग्निकांड में किसी व्यक्ति की मृत्य नहीं हुई ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि इस भूतपूर्व न्यायाधीश ने जांच तो की लेकिन कमी यह थी कि उनको गवाहों की उपस्थिति होने के लिये मजबूर करने अथवा शपथ दिला कर गवाही लेने के अधिकार नहीं दिये गये थे और यदि हां, तो इस तोड़ फोड़ की कार्यवाही के लिये जिम्मेवार अपराधियों का पता लगाने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : जांच करने वाले न्यायधीश ने ऐसी किसी कमी का उल्लेख नहीं किया है। प्रतीत होता है कि उन्हें अपेक्षित पूरा सहयोग मिला।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि अपराधियों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि उनको गवाहों को बुलाने के अधिकार न दिये जाने के कारण उनको असुविधा रही। मंत्री महोदय का कहना है कि उन्हें ये सब अधिकार थे।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार ने उनको ये अधिकार दिये थे ?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : उनको ऐसे किसी व्यक्ति की गवाही लेने, जिनसे वह ऐसा चाहते थे, से रोका नहीं गया है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं स्पश्ट उत्तर चाहता हूं। क्या उनको ये अधिकार थे ?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : जांच करने के लिये सभी व्यक्ति उपलब्ध थे। किसी के मुकर जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या न्यायाधीश को सौंपे गये जांच-कार्य को पूरा करने के लिये उनको गवाहों को बुलाने और गवाही लेने के अधिकार थे और क्या उन्होंने कोई साक्ष्य दर्ज किये ?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : ब्यौरे के बारे में मुझे पता लगाना होगा।

**Shri Ram Sewak Yadav** : Just now the Hon. Minister said that the cause of fire was sabotage. He also said that action is being taken against some persons. I want to know the number of persons and whether the hand of some outsider is also suspected. If so, the details thereof ?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : मैं प्रतिवेदन सभा पटल पर रख रहा हूं। इससे सभा को पूरा ब्यौरा मिल जायेगा।

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : इस जांच की उपपत्तियों के निष्कर्षों के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ करने के लिये क्या स्थायी कदम उठाये गये हैं ?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : विभिन्न सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिये एक संयुक्त केन्द्रीय सुरक्षा अभिकरण बनाने का सुझाव है—वह प्रस्ताव विचाराधीन है—यह केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिये नहीं होगा जो इस मंत्रालय के अधीन हैं।

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कार्यवाही की गयी है। इस सुझाव का हमें पता है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह विचाराधीन है।

**श्री भागवत झा आजाद** : प्रतिवेदन में आग बुझाने वाले व्यक्तियों और सामान की कमी और सुरक्षा पदाधिकारियों की लापरवाही के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रबन्ध किये गये और प्रबन्ध किये जाने के बाद पुनः आग क्यों लगी ?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : सर्वोत्तम व्यवस्था किये जाने के बाद भी आग लग सकती है लेकिन इस मामले में परिस्थितियां ये हैं। जिस कमरे में यह आग लगी, वह बन्द था। धुआं बाहर निकलने पर इसका पता लगा और 25 मिनटों के भीतर ही आग पर नियंत्रण कर लिया गया। अतः जहां तक मुझे पता है आग बुझाने की व्यवस्था ठीक थी।

**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मेरे प्रश्न का उत्तर यह है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रतिवेदन पर कार्यवाही की गयी है और यदि हां, तो दूसरी बार आग कैसे लग गयी।

**श्री त्रि० ना० सिंह** : मैं बता चुका हूं कि आग बुझाने की व्यवस्था अच्छी करने के लिये प्रतिवेदन की सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है और यह इसी का फल रहा कि दूसरी आग को शीघ्र बुझा दिया गया। मैंने यह भी बताया है कि यह कहना बहुत कठिन है कि भरसक सावधानी बरतने पर आग नहीं लगेगी।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : तोड़-फोड़ की कार्यवाही और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिये जांच के बाद जिम्मेवार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या विशिष्ट कार्यवाही की गयी है?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : यह प्रतिवेदन हमें डेढ़ मास पूर्व मिला है, हमने इस मामले में उल्लिखित सभी व्यक्तियों के लिरुद्ध कार्यवाही की है ..... **(अन्तर्बाधा)** इन सभी मामलों का ब्यौरा देना संभव नहीं है, माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन से सब कुछ पता चल जायेगा। कुछ मामलों में अधिकारियों को कार्यवाही करने के सुझाव दिये गये हैं कि वे सम्बन्धित व्यक्तियों को उनके अपराधों के मुताबिक या तो निकाल दें या दण्ड दें। कुछ मामलों में पदाधिकारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : लेकिन उनकी पदोन्नति की गयी है।

**श्री त्रि० ना० सिंह** : जहां कहीं वे सेवा में हैं, सम्बन्धित अधिकारियों को इस समिति की उपपत्तियों के बारे में सूचित कर दिया गया है।

**श्री भागवत झा आजाद** : क्या उनकी पदोन्नति की गयी है?

**श्री त्रि० ना० सिंह** : एक मामले में एक सम्बन्धित पदाधिकारी इस घटना के बाद रांची से चला गया और उसको अन्य पद पर नियुक्त किया गया। उसको वहां अधिक वेतन मिला। यह सच है।

**श्री पु० र० पटेल** : यदि तोड़-फोड़ की कार्यवाही श्रमिक विवाद के कारण हुई तो सरकारी क्षेत्र में श्रमिक विवाद को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

**श्री त्रि० ना० सिंह**: यह सच है कि श्रमिक नेताओं के बीच कुछ मतभेदों का इस पर असर पड़ा हो लेकिन वास्तविक व्यक्तियों का नाम लेना बड़ा कठिन है ..... **(अन्तर्बाधा)** पिछले 1 $\frac{1}{2}$ महीने में हम समस्या को समझने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते रहे हैं। वहां पर समस्या यह है कि श्रमिक संघ तीन भागों में बंट गया है। **(अन्तर्बाधा)**

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

**श्री त्रि० ना० सिंह** : श्रमिक संघ में तीन दल हो गये हैं । इतना ही नहीं एक दल ने तो उच्च न्यायालय में अपील की और अन्य दल के संचालन को निलम्बित करने के आदेश ले लिये । हमारी यह समस्या है यह तो स्पष्ट ह कि एक संगठित श्रमिक संघ के अभाव में, कठिनाइयां पैदा होती हैं ।

**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि न्यायिक जांच में कुछ कार्मिक संघ कार्यकर्ताओं पर और कार्मिक संघ क्षेत्र में राज्य शक्ति राजनीति के घुस जाने के बारे में गम्भीर टिप्पणी की गयी है । इसमें हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कारपोरेशन की व्यवस्था में प्रशासन स्तर पर विभिन्न दलों और असन्तोष की बात भी कही गयी है। यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस विवरण के बारे में सरकार की क्या राय है ?

**श्री त्रि0 ना0 सिंह** : स्पष्टतः उल्लेख इस बात का है जो कुछ न्यायाधीश के प्रतिवेदन में कहा गया है। हम जो भी कार्यवाही कर सकते हैं, कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं । लेकिन कुछ बातों के बारे में जो दीर्घ-कालीन कार्यवाही हैं, दीर्घ-कालीन कार्यवाही की जानी है और इसके परिणामों का कुछ समय बाद ही पता चलेगा । पृथक पृथक व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये कुछ तत्काल कार्यवाही की जा रही है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

### बोकारो इस्पात परियोजना

+

*536. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
**श्री धुलेश्वर मीना** :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 3 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 898 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परामर्श फीस तथा बोकारो इस्पात परियोजना के बारे में परामर्श देने के सम्बन्ध में दस्तूर एन्ड कम्पनी के साथ चल रही बातचीत अब किस स्थिति में है ;

(ख) क्या परममर्श करार की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

3 अप्रैल, 1964 को तारांकित प्रश्न संख्या 898 के उत्तर में इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग के भूतपूव मंत्री ने कहा था कि दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ परामर्श करार की शर्तों पर अन्तिम रूप में बातचीत हो रही थी और आशा थी कि उनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा । एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि यद्यपि दस्तूर एण्ड कम्पनी के काम के लिए देय फीस का अनुमान लगा लिया गया था

किन्तु इस के बारे में बातचीत चल रही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जैसे ही बातचीत पूरी हो जायेगी और करार को अन्तिम रूप दे दिया जायगा वह सदन को सूचित कर देंगे। यह आश्वासन मेरे से पूर्व मंत्री ने उस समय की परस्थितियों को देखते हुए दिया था।

संसद में 1 मई, 1964 को इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग के भूतपूर्व मंत्री द्वारा बोकारो इस्पात प्रायोजना के निर्माण के लिए सोवियत सहायता की घोषणा के पश्चात दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ प्रस्तावित करार की स्थिति के पुर्नवलोकन करने की आवश्यकता पड़ी।

वर्तमान स्थिति यह है कि सोवियत अधिकारी कारखाने का रूपांकन करने और निर्माण कार्यों की निगरानी के कामों का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके विचार में यद्यपि बोकारों के लिए उपकरणों का नर्माण करने के लिए भारतीय क्षमता का पूरा उपयोग किया जायगा लेकिन वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक है कि उपकरणों का रूपांकन रूस में बनाये गये उपकरणों के रूपांकन और आधुनिकतम निर्याण प्रविधि के ढंग पर हो। इस प्रायोजना में रूपांकन और इंजीनियरी की भारतीय क्षमता का भी सहयोग लिया जायगा। अभी तक दस्तूर एण्ड कम्पनी का ठीक ठीक दायित्व सोवियत अधिकारियों के साथ निश्चित किया जाना है।

**श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या बोकारो इस्पात परियोजना के निर्माण के लिये रूसी सहायता की घोषणा के पश्चात कोई टेंडर मांगें गये हैं और यदि हां, तो वे दस्तूर एंड कम्पनी के टेन्डरों के मुकाबिले में कैसे हैं ?

**श्री संजीव रेड्डी** : हमने सभी अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

**श्री रामचन्द्र उलाका** : सलाहकारों को कुल कितनी राशि देने का विचार है और उन पर अब तक क्या व्यय किया गया है ?

**श्री संजीव रेड्डी** : जैसा कि मैंने बताया उस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

**श्री अल्वारेस** : बोकारो का डिजाइन सरकार ने दस्तूर एंड कम्पनी से बनवाया था। रूसियों ने उस डिज़ाइन को फेंक दिया है । इस बात को देखते हुए हो सकता है कि पांचवीं योजना के लिये आज जो अमरीकी दल आ रहा है वह अपना ही डिजाइन रखना चाहे। वह दल आयेगा और ऐसा ही करेगा। भविष्य में सरकार दस्तूर एंड कंपनी की सेवाओं को किस प्रकार उपयोग में लाना चाहती है क्योंकि उसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है ?

**श्री संजीव रेड्डी** : बोकारो के लिये परामर्श के संबंध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। दस्तूर एंड कम्पनी से इस विषय पर बातचीत की गई है। रूसी तकनीकी दल जो यहां आया है वह भी हमारी सहायता कर रहा है ; हमें रूस सरकार से बातचीत करनी है और वह अलग प्रतिवेदन तैयार करना चाहती है। आज एंग्लो-अमरीकी संस्था के लोग आ रहे हैं। उनसे बातचीत करने से पूर्व मैं कुछ नहीं बता सकता।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या जिन देशों से सहयोग प्रत्याशित है उनके बारे में विचार करने से पूर्व दस्तूर एंड कम्पनी ने कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिया था और यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति अमरीका को दी गई थी और यह देखते हुए कि रूस ने भी अपनी मर्जी जाहिर की है क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति रूस को भी उसके विचार के लिये दी गई है?

**श्री संजीव रेड्डी** : बोकारो के संबंध में उसने एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। इसे रूस सरकार को दे दिया गया था ; उसने इस पर विचार कर लिया है और इसे पुनः लिखना चाहती है। अन्य परियोजनाओं पर विभिन्न परामर्शदाताओं ने अस्थायी प्रतिवेदन तैयार किये हैं। दस्तूर एंड कम्पनी भी उनमें से एक थी। उसने होज़पेट–गोआ पर विचार किया ; हिन्दुस्तान स्टील ने विशाखापटनम-बेलाडिल्ला पर विचार किया । दस्तूर एंड कम्पनी ने निवेली सेलम परियोजना का अध्ययन किया। फिर हमें उपकरण और वित्त प्राप्त करना है। इन पर विचार करना पड़ेगा। परियोजना प्रतिवेदनों पर विचार करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मशीनें वे देंगे क्या वे हमारी परियोजना के लिये उपयुक्त है। केवल विस्तारपूर्वक परामर्श के बाद ही इन पर अन्तिम निर्णय किया जा सकता है।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Out of the conditions put forth by Govt. of India for the executive of Bokaro Steel Project which is that particular condition which makes the foreign companies reluctant for giving assistance ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi) :** No one is reluctant. Negotiations with Russia have been completed and their team is arriving.

**श्री नाथ पाई** : क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान उनके पूर्वाधिकारी द्वारा की गई घोषणा उसकी ओर दिला सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि दस्तूर एंड कंपनी तथा भारत सरकार, अर्थात्, इस्पात विभाग के बीच एक करार पर संक्षिप्त हस्ताक्षर किये गये थे? क्या सरकार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा इंजीनियरिंग के काम को दस्तूर एंड कम्पनी को सौंपने के करार से इसलिये पीछे-पीछे हट रही है कि उसपर कोई दबाव डाल रहा है? क्या संसद् से किये गये इस वायदे से हम इसलिये पीछे हट रहे हैं कि हमें विदेशों से मशीनें प्राप्त करनी हैं? क्या सरकार इस आश्वासन से इसलिये पीछे हट रही है कि इंजीनियरों द्वारा किसी भारतीय फर्म को ठेका देना भारतीय टेक्नोलोजिकल विकास के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना होगी?

**श्री संजीव रेड्डी** : जब मेरे पूर्वाधिकारी ने इस सभा में वक्तव्य दिया था तो करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे।

**श्री नाथ पाई** : मैंने कहा है संक्षिप्त हस्ताक्षर। हस्ताक्षर और संक्षिप्त हस्ताक्षर में अन्तर है। यह सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का उत्तर देना उनका भी विशेषाधिकार है।

**श्री संजीव रेड्डी** : जो बातें हैं मैं बताता हूं, सदस्य उनका जो चाहें अर्थ निकालें ; यह प्रश्न अभी तक विचाराधीन था ; कुछ बातें थीं जिन पर बातचीत होनी थीं और जो

दस्तूर एंड कम्पनी को दिये जाने वाले काम की मात्रा पर निर्भर करती थीं। इस पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया था।

इस बीच प्रत्याशित अमरीकी सहायता नहीं आई। स्वभावतः हमें दूसरे देशों को जाना पड़ा। बोकारो के लिये अब रूस द्वारा सहायता दी जा रही है। दस्तूर एंड कंपनी ने भारत सरकार को जो परियोजना प्रतिवेदन दिया है उसे रूसी इंजीनियरों ने स्वीकार नहीं किया है। वे इस में संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो उपकरण और मशीनें वे देंगे उनके लिये यह ठीक नहीं है। प्रतिवेदन में इधर उधर परिवर्तन करने की बजाय वे उसे पुनः लिखना चाहते थे। दुर्भाग्य से इससे परियोजना में 9 महीने की और देर हो गई है। रूस के तकनीकी कर्मचारी यहां पर हैं। उन्होंने एक महीने तक दौरा किया है। उन्होंने परियोजना के लिये कोयला, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर विचार किया है। वे पुनः प्रतिवेदन लिखने वाले हैं। इसको देखते हुए दस्तूर एंड कम्पनी का कार्यक्षेत्र सीमित हो जायेगा। उसे अलग नहीं किया जायेगा। इस प्रश्न पर कि रूसी इंजीनियर और दस्तूर एंड कम्पनी कितना-कितना काम करेंगी रुस सरकार के परामर्श से निर्णय किया जायेगा। इस समय यह स्थिति है और इस से अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता।

**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञ दस्तूर एंड कम्पनी के बोकारो परियोजना के लिये परामर्शदाता रहने पर नाखुश हैं। और यदि हां, तो क्या सरकार दस्तूर एंड कम्पनी को बोकारो परियोजना का काम न देने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है?

**श्री संजीव रेड्डी** : जी नहीं। हम दस्तूर एंड कम्पनी से भी काम लेना चाहते हैं परन्तु रूस सरकार को नाराज कर के नहीं जो कि इस परियोजना के निर्माण में हमारी सहायता कर रही है। हम दोनों में काम बांटना चाहते हैं। हम अब इसी का प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री जोकीम आल्वा** : समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि दस्तूर एंड कम्पनी यह चाहती है कि उसकी सेवाएं सरकारी क्षेत्र में हों, अर्थात्, वह सरकारी क्षेत्र का भाग बनना चाहती है। लगभग चार इस्पात संयंत्रों का अनुभव होने के पश्चात भी क्या सरकार हिन्दुस्तान स्टील में अपना एक एकक बनाने के योग्य नहीं है। हमारी दौड़धूप बचाने के लिये हमारे परामर्शदाता कौन होंगे?

**श्री संजीव रेड्डी** : हमारे इंजीनियर प्रत्येक इस्पात संयंत्र से संबंध रखते हैं और हमारे युवक बड़ी संख्या में प्रशिक्षित हैं। लेकिन फिर भी हम दूसरों देशों के उच्च अर्हता प्राप्त तकनिश्यनों से लाभ उठाना पसंद करेंगे। दोनों में कोई झगड़ा नहीं है।

**श्रीमती रेणुका राय** : दुर्गापुर जैसे सरकारी क्षेत्र के अन्य संयंत्रों के लिये सरकार ने क्या इंतजाम किया था? क्या उनके लिये मुख्यतः भारतीय इंजीनियरों और विशेषज्ञों से काम लिया गया अथवा विदेशी सहयोगियों ने अपने डिजाइनों के लिये आग्रह किया?

**श्री संजीव रेड्डी**: आरंभ में दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला का सारा काम विदेशी सहयोग से किया गया था। अब अपने अनुभव से हमने एक डिजाइन संगठन का निर्माण किया है जिसका विकास हो रहा है और थोड़े समय में हम स्वयं इस्पात संयंत्रों का निर्माण करने योग्य हो जायेंगे।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के इस दल ने लगभग एक मास पूर्व, परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने संबंधी बातचीत के बारे में, जब रूस का दौरा किया तो स्वयं इस दल ने सरकार की ओर से दस्तूर एंड कम्पनी के बारे में कुछ अच्छा रुख नहीं अपनाया, और क्या यह सच है कि उन्होंने रूसी अधिकारियों पर इस बात का पर्याप्त प्रभाव नहीं डाला है कि भिलाई के निर्माण के समय से दस्तूर एंड कम्पनी ने डिजाइन तैयार करने और परामर्श देने के मामले में काफी प्रगति की है?

**श्री संजीव रेड्डी**: जी नहीं। भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ दस्तूर भी गये थे। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने अच्छा रुख नहीं अपनाया। वह वहां पर थे और उन्होंने चर्चा में भाग लिया। इसके बाद मैं राजदूत और अन्य लोगों से मिला। सरकार तो यह चाहती है कि अधिक से अधिक भारतीय तकनीशियनों को इस परियोजना में लगाया जाये और रूसियों से झगड़ा किये बिना जहां तक संभव है इसका उचित भाग दिया जाना चाहिये। आखिर इन छोटे-मोटे झगड़ों की अपेक्षा बोकारो का हमारे लिये बड़ा महत्व है।

**श्री नाथ पाई**: अध्यक्ष महोदय, यह इतना आसान नहीं है जितना कि वह। हमने कई अवसरों पर इस मामले को उठाया है। माननीय मंत्री ने जो अन्तिम वक्तव्य दिया है वह मेरे प्रश्न के उत्तर में कही गई बात से बिल्कुल भिन्न है। क्या यहां पर जो कुछ कहा जाता है उसकी पवित्रता का ख्याल नहीं रखा जाता है? श्री इन्द्रजीत गुप्त को उत्तर देते हुए उन्होंने बताया.....

**अध्यक्ष महोदय**: इसके लिये पृथक प्रक्रिया है?

**सूती वस्त्र सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति**

\+

*537. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री द्वारका दास मंत्री :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 28 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 786 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूती वस्त्र सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां। **विशेषज्ञ समिति** की मुख्य सिफारिशों का सारांश सदन की मेज़ पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3306/64**]

(ख) समिति ने कुछ ऐसे तथ्यों जैसे कि कच्ची रुई की कीमतें आदि की जांच की है जिनसे कपड़ों की उत्पादन लागत का निर्धारण किया जाता है। समिति के निर्णय और निष्कर्ष कुल मिला कर परीक्षात्मक हैं तथा अनेक पहलुओं की ओर आगे विस्तृत जांच करने का संकेतमात्र करते हैं। समिति की सिफारिशें आवश्यक व्यावहारिक कार्रवाई के लिये सम्बद्ध मंत्रालयों को भेज दी गई हैं। चूंकि इन मामलों में काफी समय लगता है अतः इनका समाधान यथासमय ही हो सकता है।

**श्री रामचन्द्र उलाका**: क्या प्रशुल्क आयोग ने सूती वस्त्रों के मूल्यों के संबंध में कोई अध्ययन किये हैं; यदि हां, तो वे विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के मुकाबिले में कैसे हैं?

**श्री सें० वें० रामस्वामी**: प्रशुल्क आयोग ने सूती कपड़ों के मूल्यों पर प्रतिवेदन दिया था। परन्तु इस समिति ने अन्य पहलुओं पर भी जांच की है। उदाहरणार्थ कपास की कीमत, क्या कपास के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और क्या कपास की कीमत घटनाई जा सकती है, ऐसे मामले हैं जिन पर प्रशुल्क आयोग ने जांच नहीं की है।

**श्री रामचन्द्र उलाका**: क्या विवरण में दी गई सारी सिफारिशें सरकार को स्वीकार्य हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्री सें० वें० रामस्वामी**: हमने इन पर विचार नहीं किया है क्योंकि सर्वप्रथम हमने इसे वस्त्र आयुक्त को भेजा था। वस्त्र आयुक्त ने इनका पुनर्विलोकन किया और सुझाव दिया कि इन्हें भारतीय सूती वस्त्र निर्माता संस्था तथा अन्य संस्थाओं को उनकी राय जानने के लिये भेज दिया जाये।

**श्री भागवत झा आजाद**: विवरण में कहा गया है सिफारिशें सुझाव है और दीर्घकालीन स्वरूप की हैं; इसमें यह भी कहा गया है कि यथोचित कार्यवाही करने के लिये उन्हें विभिन्न मंत्रालयों को भेजा गया है। मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों पर विचार करना और उन पर अपनी राय देना उचित क्यों नहीं समझा है जब इस मंत्रालय ने समिति को नियुक्त किया और समिति ने इतने समय के बाद प्रतिवेदन दिया है।

**श्री स० वें० रामस्वामी**: उदाहरणार्थ यह सुझाव दिया गया है कि कपास की कीमत को नीचे लाया जाये क्योंकि कपड़े की लागत में लगभग 50 प्रतिशत स्वयं कपास पर ही व्यय होता है यह सिफारिश खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से संबंध रखती है। अतः इन सब मामलों पर कुछ अन्य मंत्रालयों द्वारा दीर्घकालीन आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

**श्री शिवाजीराव शे० देशमुख**: कपड़ों की लागत में कमी करने संबंधी सिफारिशें देने के लिये दिसम्बर, 1962 में जो कपड़ा समिति नियुक्त की गई थी उसकी विशिष्ट सिफारिशें क्या थीं?

**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की सूची मैं दे चुका हूं।

**श्री पु० र० पटेल** : माननीय मंत्री ने कहा कि कपड़े की लागत कपास की लागत तथा अन्य वस्तुओं पर निर्भर करती है। गत 10 वर्षों में अन्य लागतों की अपेक्षा कपास के मूल्य में क्या वृद्धि हुई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : कपास के मूल्य में 320 रु० प्रति पाग की वृद्धि हुई है जो कि अन्य निर्मित वस्तुओं के मुकाबिले ऊंची है।

**श्री पु० र० पटेल** : मैं प्रतिशतता पूछ रहा था।

**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न यह था कि कपड़ा महंगा क्यों है। कारण यह है कि कपास महंगी हो गई है।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Is it a fact that cotton is supplied at higher rates to the hand-loom manufacturers, but their clothes purchased at a very low price and they are not adequately rewarded for their labour; if so, whether this matter has been gone into. What is the Constitution of this Committee ?

**Shri Manubahi Shah :** As stated in the statement this committee was not constituted for this specific purpose. Its main object was to look into the cost structure of Indian textiles and suggest measures for bringing down the cost.

### अमरीका को गया सम्भरण विभाग का प्रतिनिधि मंडल

*539. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **उद्योग तथा संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संभरण विभाग के अधिकारियों का एक शिष्टमंडल हाल में ही अमरीका गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन थे तथा उनको क्या काम सौंपा गया था ; और

(ग) विदेशी मुद्रा समेत कितना धन व्यय हुआ था तथा प्रतिनिधि मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

किन्तु मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि लगभग एक वर्ष पहले तत्कालीन संभरण मंत्री श्री हाथी तथा संभरण मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव मौके पर निरीक्षण करने के लिये वाशिंगटन, लंदन तथा टोकियो गये थे।

**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : श्री हाथी का प्रतिमंडल जो संयुक्त राज्य अमेरिका गया था उससे क्या लाभ हुए ?

**श्री रघुरामैया** : उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। उनमें से कुछ सुझावों को कार्यरूप दे दिया गया है। कुछ सुझाव प्रक्रिया में गति लाने तथा कुछ मितव्ययता करने के सम्बन्ध में हैं।

**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या श्री हाथी भारतीय वाणिज्य दूतावास के प्रशासन में सुधार करने के लिये वाशिंगटन गये थे ?

**श्री रघुरामैया** : सामान्यतः वह विदेशों में हमारे वाणिज्य दूतों का कार्य संचालन देखने के लिये गये थे।

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम**

*540. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मुख्य कार्यालय को किन उद्देश्यों से बिहार के रांची नगर में स्थापित किया गया है ; और

(ख) ये उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हो गये हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) कोयला खानों पर प्रभावी देख रेख रखने के लिये यह आवश्यक था कि कोयला उत्पादन तथा विकास आयुक्त का मुख्य कार्यालय (जिसका काम अब राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने संभाल लिया है) किसी केन्द्रीय स्थान में हो, जिससे कोयला खानों तक आसानी से आया जाया जा सके। इन उद्देष्यों को ध्यान में रख कर बिहार में रांची का स्थान चुना गया था।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मुख्यालय रांची में स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और हैवी इंजीनियरिंग के कारखाने के साथ निकट संपर्क सुनिश्चित करना था।

(ख) जहां तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का सम्बन्ध है, ये उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं और जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लि० का सम्बन्ध है, ये उद्देश्य काफी मात्रा में प्राप्त किए जा रहे हैं।

**श्री मुहम्मद इलियास** : सरकार द्वारा इन दो कार्यालयों को कलकत्ता से रांची ले जाने के लिये कुल कितनी राशी व्यय की गई ?

**श्री संजीव रेड्डी** : मुझे जानकारी प्राप्त करने के लिये समय चाहिये।

**श्री मुहम्मद इलियास** : इस समय इन कार्यालयों को रांची में चलाने पर कितना व्यय होता है और जब ये कार्यालय कलकत्ता में थे तब कितना व्यय होता था ?

**श्री संजीव रेड्डी** : मेरे पास व्यय के वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मुख्यालय में क्रमशः लगभग 637 तथा 2,042 व्यक्ति काम कर रहे हैं।

**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि जब इन दो कार्यालयों को कलकत्ता जैसे भीड़-भाड़ वाले नगर में स्थापित किया गया था तो उस समय सभा के विभिन्न दलों कि ओर से इस पर आपत्ति की गई थी और यह सुझाव दिया गया था कि यदि सम्भव हो, तो इनको कलकत्ता के बजाय रांची अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान पर, जो कि विभिन्न इस्पात परियोजनाओं तथा कोयला खानों के समीप हो, स्थापित किया जाना चाहिये ?

**श्री संजीव रेड्डी** : केवल यही नहीं, बल्कि प्राक्कलन समिति ने यह विचार भी व्यक्त किये थे कि

> "उसका विचार है कि कार्य-संचालन क्षेत्र के आसपास इसकी स्थापना होने से हिन्दुस्तान स्टील लि० समस्त मामलों में सलाह एवम् मार्गदर्शन के लिये सरकार का मुंह ताकने के स्थान पर व्यापारिक आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकेगा।"

**श्री क० ना० तिवारी** : अधिकांश भारी उद्योग बिहार में चल रहे हैं और उनके मुख्यालय कलकत्ता में हैं। अतः, क्या हमारी सरकार इस बारे में पुनर्विचार करके तथा इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि बिहार की सरकार इसके लिये सब प्रकार की सुविधायें देने के लिये तैयार है, बिहार में कार्यालय स्थापित करेगी ?

**श्री संजीव रेड्डी** : इस प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० से है। अन्य उद्योगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : कलकत्ता और रांची में से किस स्थान पर कार्यालयों को चलाने में कम खर्च आयेगा ?

**श्री संजीव रेड्डी** : यह तो एक काल्पनिक प्रश्न है। खर्चे की बात अनेक बातों पर निभर करती है।

**श्री भागवत झा आजाद** : जबकि यह पहिले ही मालूम कर लिया गया है कि पट्टी के मध्य में कार्यालय की स्थापना उपयुक्त होने के साथ साथ खर्च भी कम आयेगा, तो फिर कार्यालय को रांची ले जाने का निर्णय कर लेने के बाद भी सरकार इस मामले में विलम्ब क्यों कर रही है और अभी तक कार्यालय का अधिकांश भाग कलकत्ता में ही क्यों है, रांची क्यों नहीं ले जाया गया ?

**श्री संजीव रेड्डी** : शायद, माननीय सदस्य किसी अन्य उद्योग के बारे में अथवा कुछ और ही कह रहे हैं। ये दोनों कार्यालय तो रांची आ भी चुके हैं।

**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची कि अन्य स्थानों पर भी सहायी कार्यालय है। यदि हां, तो इसका क्या लाभ है ?

**श्री संजीव रेड्डी** : इस्पात नियंत्रक तथा कोयला नियंत्रक के कार्यालय हैं परन्तु वे सहायी नहीं हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से भी कार्य करना पड़ता है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कलकत्ता में इन दोनों कार्यालयों में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों को रांची में कार्यालयों को स्थापित करने के बाद उनमें खपा लिया गया है और क्या उनके लिये समुचित आवास स्थान तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कर दी गई हैं ?

**श्री संजीव रेड्डी :** मेरे विचार से अधिकांश कर्मचारी रांची आ गये हैं और वहां ठीक प्रकार बस गये हैं।

**रेलवे अनुसंधान, डिज़ायन तथा मानक संगठन**

*543. **श्री रणंजय सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अनुसन्धान, डिज़ाइन तथा मानक संगठन को शिमला से हटा कर लखनऊ ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लखनऊ में कार्यालय का नया भवन तथा कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने में अनुमानत: कितना धन व्यय होगा ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) से (ग) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

अनुसंधान, खाका और मानक संगठन का अनुसंधान निदेशालय शुरू से लखनऊ में रहा है। इस संगठन के यांत्रिक और सिविल इंजीनियरिंग निदेशालय और कुछ दूसरे विविध स्कन्ध शिमला में थे। उन्हें भी अब लखनऊ लाया जा रहा है।

अनुसंधान खाका, और मानक संगठन भारतीय रेलों के तकनीकी परामर्शदाता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसकी कार्य-क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से समूचे संगठन को लखनऊ लाया जा रहा है। अनुसंधान कार्य के लिए शिमला सुविधाजनक स्थान नहीं है। साथ ही इस संगठन के विभिन्न स्कन्धों के लिए शिमला में पर्याप्त स्थान भी नहीं था। इसके अलावा कार्यालय और निवास के लिए पंजाब सरकार ने जो स्थान दे रखा था उसकी आवश्यकता उसे स्वयं अपने काम के लिए पड़ी। लखनऊ में, जहां यह संगठन अब लाया जा रहा है, रेलवे के पास अपेक्षित स्थान पहले से उपलब्ध है और यह स्थान वर्तमान अनुसंधान केन्द्र के नज़दीक है।

कार्यालय के लिए नयी इमारतों और अफसरों तथा कर्मचारियों के लिए निवास-स्थान के निर्माण में 179.60 लाख रुपये के खर्च का अनुमान है।

**Shri Rananjaya Singh :** Does sufficient living accommodation exist in Lucknow for the railway employees at present working there ?

**Shri Sham Nath :** There is a proposal to provide accommodation to the railway employees at present working in Lucknow and also for those who would be transferred from Simla.

**Shri Rananjaya Singh :** When the construction of all these houses would be completed ?

**Shri Sham Nath :** The construction of the houses would be completed in two phases. The construction work has been started. It is hoped that the whole process of shifting would be completed in about one and a half year.

**श्रीमती सावित्री निगम :** शिमला से कितने कर्मचारियों को लखनऊ स्थानान्तरित किया जा रहा है तथा लखनऊ में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की क्या संख्या है जिनको गत अनेक वर्षों की सेवा के बाद भी अभी तक क्वार्टर नहीं मिला है ?

**श्री शाम नाथ :** ऐसे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है जिनको अभी तक शिमला में आवास स्थान नहीं मिल सका है। इस समय ऐसे व्यक्तियों की संख्या 377 है। दो विंगों को लखनऊ भेजने के अन्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि शिमला में जो आवास स्थान उपलब्ध है वह पर्याप्त नहीं है ।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** विवरण में बताया गया है कि लखनऊ में स्टाफ के लिये क्वार्टर बनाने के काम पर लगभग 179.60 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। इस राशि में से अराजपत्रित कर्मचारियों तथा राजपत्रित कर्मचारियों के लिये कितनी कितनी राशि खर्च की जायेगी तथा दोनों प्रकार के वर्गों के कर्मचारियों के लिये कितने क्वाटर बनाये जायेंगे ?

**श्री शाम नाथ :** प्राक्कलन दो भागों में तैयार किये गये हैं। एक भाग में क्वार्टरों तथा कार्यालय के स्थान के निर्माण के लिये 1,55,65,355 रुपये की व्यवस्था की गई है। दूसरे भाग में लगभग 23,60,000 रुपयों की व्यवस्था की गई है जो कि सुख सुविधाओं जैसे कार्यों पर व्यय किये जायेंग। लखनऊ में विभिन्न प्रकार के आवास स्थानों के निर्माण पर, जिनकी व्यवस्था करने का हमारा विचार है, होने वाले व्यय का अलग अलग ब्यौरा मेरे पास नहीं है ।

**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सरकार की एक सुनिश्चित नीति है कि कार्यालयों तथा उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर भेजा जाना चालू रहना चाहिये और इस ओर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि नये स्थानों पर पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी है अथवा नहीं ? यदि हां, तो इस प्रकार की नीति से सरकार को क्या लाभ है ?

**श्री शाम नाथ :** यह लोगों को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर भेजे जाने का प्रश्न नहीं है। शिमला में इस संस्था के दो विभाग हैं। यह आवश्यक समझा गया कि इस संस्था का कार्य समेकित ढंग से किया जाये। इसलिये इन दो विभागों को शिमला से लखनऊ ले जाने का निर्णय किया गया ताकि लखनऊ में एक एकीकृत संस्था कार्य करे।

**Shri Yashpal Singh :** May I know the reasons why such an arrangement was not made under the Railway Research Institute at Lucknow which has shown a remarkable progress ?

**Shri Sham Nath :** There are so many wings of that organisation. One is the Research wing at Lucknow and other Civil Engineering and Mechanical wing at Simla. The difficulty in keeping both these wings at Simla is the non-availability of testing facilities there. It is therefore, necessary to keep them with the Research wing at Lucknow.

## Central Railway Hospital, Gorakhpur

**544. Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that a deputation of the members of the North-Eastern Railway Labour Union, Hind Mazdoor Sabha and Hind Ma zdoor Panchayat

waited upon and submitted a memorandum to the General Manager of the North-Eastern Railway on the 6th September, 1964 in connection with the deaths caused by the negligence and wrong treatment at Central Railway Hospital, Gorakhpur; and

(b) If so, the action taken or being taken in this connection ?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) Yes, Sir.

(b) The memorandum submitted by the delegation is under examination by the North-Eastern Railway Administration.

**Shri Ram Sewak Yadav:** May I know the nature of charges levelled in this memorandum ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** In the memorandum some allegations have been made against the Hospital and doctors and it is suggested that the management should be further improved.

**Shri Ram Sewak Yadav :** Is it a fact that in spite of repeated complaints, local officers are not taking any action and whether an application to this effect has been received by the Minister ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** Some of the complaints have been investigated, specially one regarding the procession that was taken out there. The investigation regarding the death of an employee has revealed that proper medicine was administered to the deceased. Afterwards the delegation that met General Manager very recently was also convinced of this fact. The findings of the delegation are under consideration.

**Shri Rameshwaranand :** Is it not a fact that the officer charged with the complaint collides with the investigating officer as a result of which there is no proper redressing of the grievance ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** There is no scope for such doubts.

**Shri Hukam Chand Kchhavaiya :** Since how long these complaints are being received, things specially complained of and whether the investigation work has been entrusted to the staff employees ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** On the 24th August, a case of titnus was admitted. That employee died on the night of 25th. Some persons staged a demonstration and afterwards complaints were received. The delegation met General Manager in September and the whole case was placed before the General Manager. The matter is under consideration.

**Shri Ram Sewak Yadav :** Have some complaints been received against the hospital doctors to the effect that they gave a medical certificate to a Railway employee and also a photo stet copy in which it was written that he was going to bemarried, but still he may be given Medical Certificate and the certificate was given.

**Dr. Ram Subhag Singh :** The hon. Member himself has sent such an allegation in writing.

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

*534. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 5 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 192 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्स की यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा पेश की गयी मुख्य मांगों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :** उपरोक्त सूचना से पूर्ण एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3325/64]**

## काठमांडू में प्रदर्शनी

*538. **श्री राम हरख यादव :**
**श्री बसवन्त :**

**वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले वर्ष नवम्बर में काठमांडू में एक प्रदर्शनी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) इस प्रदर्शनी का उद्देश्य नेपाल तथा भारत के बीच व्यापारिक आर्थिक, औद्योगिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करना है। पूंजीगत माल, उपकरण, इंजीनियरी का हल्का माल और सभी वर्गों तथा प्रकारों की उपभोग्य ऐसी वस्तुओं को प्रदर्शनी में दिखाने के लिये इकट्ठा किया जा रहा है जिन्हें भारत दे सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत में जो सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास हो रहा है और साथ ही विज्ञान, टक्नालाजी तथा सम्बद्ध विषयों के सम्बन्ध में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उन सब को प्रदर्शनी में समुचित रूप से प्रदर्शित किया जायगा। दोनों देशों के मध्य एतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सूत्रों और विकासोन्मुख देशों की सामूहिक समस्याओं तथा इनको हल करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला जायगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चलचित्र प्रदर्शन, फैशन परेड और कला सम्बन्धी आयोजन होंगे।

## Coal Accumulation in Bihar

*541 **Dr. B. N. Singh :**
**Shrimati Vijaya Raje :**

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that huge stocks of coal have accumulated at pit-heads in the Raniganj, Bokaro and Jharia areas in Bihar ; and

(*b*) if so, the measures Government intend to take to arrange the clearance of these stocks to prevent further damage to the accumulated stock ?

**The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy)** : (a) and (b). The overall pithead stocks inthese areas amounted to 2·64 million tonnes on 1-8-1964 as against 2·19 million tonnes on 1-8-1963. This increase is due gartly to the slackening in the demand for coal and partly due to a substantial increase in the production of coals of Grades II and III, which increase was not contemplated in the Plan. With a view to clearing the accumulation of stocks, distribution control over Grades II and III non-coking coal and soft coke has been relaxed with effect from July, 1964. The transport position also is easy and consumers can obtain any quantities of coals of these categories if they so desire.

## जालारपेट के लोको शैड के कर्मचारी

*542. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के जालारपेट के लोको शैड कर्मचारियों के एक सम्मेलन में 28 मई, 1964 को लोको फोरमैन ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया था ;

(ख) क्या घटना की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) लोको फोरमैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, क्योंकि उस पर जो आरोप लगाये गये थे वे साबित नहीं हुए।

## Railway Contracts

545. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
**Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministry of Railways have recently agreed at a high level joint meeting with the Department of Cooperation that contracts of the value of less than Rs. 5 lakhs should be awarded to the cooperative societies of labour, and

(b) if so, the action taken to implement this decision on the various railways ?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) and (b). A meeting was held, but the minutes have not yet been finalised.

## 'दि कॉफी हाउस' जनपथ

*546. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री जसवंत मेहता :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया काफी बोर्ड 'दि कॉफी हाउस' जनपथ, नई दिल्ली को सस्ते मूल्य पर कॉफी इसलिये देता है कि उक्त संस्थान के प्रबन्धक स्वीकृत मूल्य पर उपभोक्ताओं को कॉफी दें ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि काफी हाउस के प्रबन्धकों ने गत एक वर्ष में कॉफी के एक प्याले के मूल्य दो बार बढ़ाये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कॉफी पीने वालों ने हड़ताल कर दी है और 'मूल्य प्रतिरोधी आन्दोलन' संगठित रूप में आरम्भ कर दिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) इंडिया कॉफी हाउस, जनपथ, नई दिल्ली उन स्वीकृति प्राप्त कॉफी हाउसों में से है जिनको कॉफी बोर्ड द्वारा कच्चा काफी और पाउडर इस शर्त पर दिया जाता है कि वह उपभोक्ताओं को कच्ची कॉफी और पाउडर उन्हीं मूल्यों पर बचेंगे जिन पर कि कॉफी बोर्ड का दिल्ली स्थित डिपो बेचता है। किन्तु स्वीकृति प्राप्त कॉफी हाउसों द्वारा बची जाने वाली तरल कॉफी की बिक्री मूल्यों पर कॉफी बोर्ड द्वारा कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कॉफी के उपभोक्ताओं द्वारा बनाये गये संगठन के "मूल्य प्रतिरोधी आन्दोलन" के विषय में सरकार को भी पता लगा है ।

(घ) चूंकि इस प्रकार की स्थिति अभी हाल में ही पैदा हुई है, अतः जो स्वीकृतिप्राप्त कॉफी हाउस तरल कॉफी की कीमतें अनुचित रूप से बढ़ा देते हैं और इस प्रकार उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं उनके विरुद्ध जो उपाय किये जा सकते हैं वे कॉफी बोर्ड के विचाराधीन हैं । कॉफी बोर्ड जितना जल्दी सभी सम्बद्धों के परामर्श से उन उपायों का निर्धारण कर लेगा तो इन काफी हाउसोंको तरल कॉफी की बिक्री के लिये भी एक मूल्य संहिता से आबद्ध करना सम्भव हो जायेगा ।

## आन्ध्र प्रदेश में कच्चे लोहे का कारखाना

†*547. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भो० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र में कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना के लिये क्या कोई विदेशी सहयोग उपलब्ध होगा और यदि हां, तो क्या ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) से (ग). देश के विभिन्न स्थानों में (जिनमें आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है) कच्चे लोहे के कुछ कारखाने लगाने के लिए स्थानों की शक्यता के अध्ययन किये जा रहे हैं । आंध्र प्रदेश में कच्चे लोहे के कारखाने के लिये विदेशी सहयोग के बारे में अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

## ग्रामीण लघु उद्योग

*548. महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प० कुन्हन :
डा० सारदीश राय :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई योजना अन्तिम रूप से बना ली है जिसके अधीन ग्रामीण लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस योजना को राज्य सरकारों के द्वारा अथवा सामान्य केन्द्रीय सरकार के सामान्य अभिकरणों के द्वारा लागू करने का विचार है ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र)** : (क) से (ग). अप्रैल-सितम्बर, 1964 के काल के लिए विदेशी मुद्रा में से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि में से मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा लाइसेंस प्रदत्त वस्तुओं में से ग्रामीण इलाकों के लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल का आयात करने के लिए 50 लाख रु० का कोटा अलग से निर्धारित कर दिया गया है। इसी प्रकार ऐसे कारखानों के द्वारा विभिन्न प्रकार का इस्पात आयात करने के लिए भी 25 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है।

इस विशष कोटे का उपयोग निम्न प्रकार के लघु उद्योगों के प्रार्थना-पत्रों के लिए किया जाएगा :—

1. ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों और उन कस्बों/ग्रामों में अर्धशहरी औद्योगिक बस्तियों के कारखानों के लिए जिनकी जन संख्या 15,000 से कम है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति के उद्योगों के लिए।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा संचालित सामान्य सुविधा केन्द्रों के लिए।

4. योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित 45 छांटे हुए इलाकों के ग्रामीण औद्योगिकरण के अन्तर्गत पड़ने वाले उद्योगों के लिए ।

विशेष कोटे के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के लिए प्रार्थनापत्र सामान्य फार्मों पर ही राज्यसरकार के मार्फत विकास आयुक्त, लघु उद्योग के पास भेजने होंगे।

## कच्चे लोहे के कारखाने

*549. **श्री प्र० के० देव : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे लोहे के आठ कारखाने स्थापित करने के लिये जापानी सहायता की पेशकश की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता किस प्रकार की है तथा कितनी पेश की गई है ; और

(ग) प्रत्येक कारखाना कहां कहां पर स्थापित होगा तथा प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

## कैमरों का निर्माण

*550. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 13 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सस्ते कैमरे बनाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस बीच सहयोगकर्ताओं से कोई उत्तर मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) से (ग). सहयोगी से उत्तर प्राप्त हो गया है और अब शर्तों पर पत्र व्यवहार हो रहा है।

## विद्युत् करघा जांच समिति

*551. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री भू० ना० मण्डल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 28 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री अशोक मेहता के सभापतित्व में निर्मित विद्युत् करघा जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत् करघा जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति 21-9-64 को सदन की मेज़ पर रखी जा चुकी है ।

(ग) इसकी सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

## निर्यातकर्ताओं के लिये आचार संहिता

*552. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित व्यापार संहिता का आठ पाइन्ट का नमूना प्रारूप बनाया है और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). आन्तरिक व्यापार के लिये एक उचित व्यापार संहिता के नमूने को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । जहां तक, विदेश व्यापार का सम्बन्ध है, मैं आपका ध्यान 29 नवम्बर, 1963 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 295 के सम्बन्ध में दिये गये अपने उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जब कि मैंने आचार संहिता के प्रारूप की एक प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखी थी ।

## लौह अयस्क का निर्यात

*553. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वाणिज्य मंत्री 13 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 580 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात व्यापार की विकास योजनाओं के आयोजन तथा क्रियान्विति के पूर्ण एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिये उनके मंत्रालय में एक संगठन स्थापित करने के बारे में इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3327/64]

## राजपुरा रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

1684. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के राजपुरा रेलवे स्टेशन पर पुराने पुल के स्थान पर एक नया ऊपरी पुल बनाने के लिये धन मंजूर कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब बदला जायेगा ?

**रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). जी, नहीं। राजपुरा में पैदल ऊपरी पुल को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन मौजूदा पैदल ऊपरी पुल के लकड़ी के डेकिंग और पाये बदलने के लिये और इसकी छत बदलने का प्रस्ताव है। इस निर्माण कार्य के लिये योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यह कार्य **1965–66** में आरम्भ किये जाने की आशा है ।

## दक्षिण–पूर्व रेलवे पर यात्रा टिकट चैकर

**1685. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63 और 1963–64 में दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा कितने अतिरिक्त यात्रा टिकट चैकर नियुक्त किये गये ; और

(ख) उसी अवधि में उन टी० टी० द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से दण्ड के रूप में वास्तव में कितनी राशि इकट्ठी की गई ?

**रेलवे मंत्रालय में राय-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) वर्ष 1962–63 कोई नहीं
वर्ष 1963–64 . . . . . 16

(ख) वर्ष 1963–64 में लगभग 46,624 रु० ।

## तैयार किये गये भारतीय खाद्य-पदार्थों का निर्यात

**1686. श्री राम हरख यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963 के प्रथम पांच मास की अपेक्षा चालू वर्ष की उसी अवधि में तैयार किये गये भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उक्त अवधि में तैयार किये गये खाद्य पदार्थों के निर्यात में नाम मात्र वृद्धि हुई है। 1963 के प्रथम पांच मास में 110.77 लाख रु० के मूल्य के खाद्य पदार्थ निर्यात किये गये थे जबकि 1964 के प्रथम पांच मास में 112.07 लाख रु० के मूल्य के खाद्य पदार्थ निर्यात किये गये थे ।

(ख) डिब्बों और बोतलों में बन्द फलों, चटनी, मुरब्बों, मसालों, मिठाइयों, बिस्कुट, कोका-कोला के दाने, दूध से बनी वस्तुओं का निर्यात 1964 में बढ़ गया है ।

(ग) निर्यात का मुख्य कारण भारतीय वस्तुओं के लिये विदेशों में अधिक प्रचार करना और सरकार द्वारा व्यापार को निर्यात सम्बन्धी सहायता देना है ।

## उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

**1687. श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 और 1964–65 में अब तक उड़ीसा में कितनी औद्योगिक बस्तियां खोली गई हैं ; और

(ख) किन किन जिलों में खोली गई हैं ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र)** (क) और (ख). जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

**1688. श्री थेनगौंडर :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में टम्बारम और विल्लुपुरम के बीच रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के कार्यमें अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसके कब पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या विनियोजना किया गया है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

1. क्वार्टरों का निर्माण रिपीटर स्टेशनों के लिये इमारतें, पुलों में रुकावटों को हटाने, रिमोट कण्ट्रोल सेन्टर के लिये इमारत, स्विचिंग स्टशनों के लिये कण्ट्रोल क्युबिकल्ज आदि जैसे सिविल इंजीनियरिंग कार्य पूरे कर लिये गये हैं। टम्बारन में कार रोड में परिवर्तन का 10 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया।

2. बिजली देने का कार्य प्रगति पर है और आशा है कि 3 सब स्टेशनों पर कार्य दिसम्बर, 1964 तक पूरा हो जायेगा।

3. रिमोट कण्ट्रोल उपकरणों के बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और उपकरणों की जांच की जा रही है।

4. शीघ्र ही मद्रास राज्य विद्युत् बोर्ड भी रेलवे को तीनों सब स्टेशनों पर समय पर बिजली देने की स्थिति में हो जायेगा।

5. टम्बारम चिंगलपेट सेक्शन पर 'ओवरहैड' उपकरण का निर्माण पूरा होने वाला है और सेक्शन के शेष भाग पर––चिंगलपेट से बिल्लुरम तक––कार्य प्रगति पर है और 1965 के आरम्भ में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

6. 18 इंजिन के लिये जापान की फर्म मैसर्स मितसूबिशी को आर्डर दिया हुआ है और आशा है कि ये इंजिन दिसम्बर 1964 और अगस्त, 1965 के बीच आ जायेंगे।

7. मकेनिकल और इलैक्ट्रीकल सिग्नेलिंग में परिवर्तन का 85 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

8. डाक और तार विभाग ने भूमिगत तार बिछाने का कार्य पूरा कर लिया है।

(ख) तम्बारम से चिंगलपट सेक्शन तक के कार्य के 1964 के अन्त तक और चिंगलपट से विल्लूपुरम सेक्शन तक का काम 1965 के आरम्भ में पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) 15—9—1964 तक 285 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

## जशपुर सब-डिवीजन में रेलवे लाइन

**1689. श्री वि० भू० देव :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि मध्य प्रदेश में जशपुर सब डिवीजन में, जहां कि खनिज निक्षेप बड़ी मात्रा में हैं और जो कोरबा, रूरकेला और झरसुगुडा के औद्योगिक क्षेत्रों से घिरा हुआ है, कोई रेलवे लाइन नहीं है; और

(ख) क्या सरकार दक्षिण पूर्व रेलवे पर जशपुर और झरसुगुडा को इस खनिज वाले पश्चिमी प्रदेश से या किसी अन्य स्थान से रेलव लाइन द्वारा मिलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे इस क्षेत्र से उत्तर और दक्षिण दोनों की दूरी कम हो सके ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ):** (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

## केरल में सफेद सीमेंट का कारखाना

**1690. { श्री अ० व० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में 'लाइम रोल' से सफेद सीमेंट तैयार करने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब और कहां स्थापित किया जायेगा ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** (क) जी नहीं। कोट्टायम में एक सीमेंट कारखाना पहले से ही 'लाइम रोल' इस्तैमाल करके पोर्टलैण्ड के अतिरिक्त सफेद सीमेंट बना रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## कृत्रिम रेशम के धागे का आयात

1691. **श्री चन्द्रिकी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशम का आयात विदेशों से किया जा रहा है, और यदि हां, तो उन देशों का नाम क्या है ;

(ख) क्या यह आयात किया हुआ कृत्रिम रेशम अपनी आन्तरिक खपत के लिए अथवा उससे बना हुआ माल पुनः किसी देश को भेजा जाना है ; और

(ग) क्या यह आयात वस्तु विनिमय समझौते के आधार पर हो रहा है अथवा किसी अन्य आधार पर ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, जिन देशों से मुख्यतः रेशम आयात होता है उनके नाम हैं, बैलजियम, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, इंग्लैण्ड, पश्चिमी जर्मनी और अमरीका ।

(ख) आयातकिया हुआ कृत्रिम रेशम आन्तरिक खपत के लिए भी है और उससे माल बना कर बाहर निर्यात भी किया जाता है ।

(ग) यह आयात वस्तु विनियम के आधार पर नहीं है, इसका आधार मुख्यतः निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत है ताकि मिश्रित रेशम के माल को बना कर निर्यात किया जाय ।

## विदेशी समवायों से सहयोग

1692. **श्री मानवेन्द्र शाह :**
**श्री डुकम चन्द कछवाय :**

क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि 1963 के बाद से भारत के सार्थों के साथ सहयोग करने वाली विदेशी समवायों की संख्या कम हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) जनवरी 1964 के बाद सहयोग प्रस्तुत करने वाली विदेशी सार्थों की संख्या क्या है ; और

(घ) कैनेडा से प्राप्त होने वाली पेशकशों की संख्या क्या है ?

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## चाय अनुसन्धान केन्द्र

1693. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अच्छी कोटि की चाय के उत्पादन के लिए सरकार का विचार एक चाय गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है और इस संस्थान को किस स्थान पर बनाये जाने का विचार है ; और

(ग) इस पर लगभग क्या खर्च आने का अनुमान है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). सहकारी चाय गवेषणा संघ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा स्थापित कर दिया गया है। जोरहाट (आसाम) में एक प्रयोग केन्द्र भी बनाया गया है। यह केन्द्र संघ की केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था है। पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी एक संस्था चल रही है। उसे भी भारतीय चाय बागान संघ द्वारा ले लिये जाने की आशा है। 30 लाख के लगभग इसका व्यय है और यह सारे व्यय का 50 प्रतिशत है। बाकी इस चाय गवेषणा संघ का खर्चा चाय बोर्ड तथा औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा उठाया जा रहा है।

**पूर्वोत्तर रेलवेपर चाय-पान का दिया जाना**

1694. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाने तथा चाय पान इत्यादि के लिए मुफ्त तार तथा सन्देश भेजने की सुविधा किस दर्जे के यात्रियों को दी जाती है ;

(ख) उत्तर पूर्वी रेलवे को इस प्रकार तारों के यथा समय स्थान पहुच जाने की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) इस प्रकार की तारें रास्ते में रुकी ही न रहे, इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहें हैं

**रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड०० राम सुभग सिंह)** : (क) खाने के लिए यात्री जो सन्देश रेलवे कर्मचारियों, जैसे स्टेशन मास्टर गार्ड और कंडक्टर के द्वारा भेजे वे मुफ्त होते हैं। यह सुविधा सभी दर्जे के लोगों को दी जाती है।

(ख) इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) इस प्रकार के आदेश दे दिये गये हैं कि इस तरह की तारें तुरन्त भेजी जानी चाहिए। इस दिशा में जब कभी देरी इत्यादि हो जाती है तो उसके नोटिस में आने पर समुचित कार्यवाही की जाती है, ताकि इस तरह की बात पुनः न हो।

**Suspension of Trains between Kalyan and Shahad stations**

1695. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of trains suspended on account of obstruction by a goods truck between Kalyan and Shahad stations (Bombay Zone) on 15th September 1964 and the number of long distance and local trains among them ; and

(b) whether any transport facility was accorded to passengers of suspended local trains, and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) During the period of obstruction from 13·90 to 17·00 hours on 15-9-64 between Kalyan and Shahad, three local trains from kalyan side and three local trains in the reverse direction were cancelled. Four long distance trains, two from Bombay and two towards Bombay, were detained at Kalyan and Titvala respectively ranging from 24 to 64 minutes but none of these services was cancelled.

(b) During the period of suspension both up and down lines between Kalyan and Titvala had to be blocked for working of the crane for clearing operations and hence no local train could be run for the convenience of passengers who would have travelled to and from Kalyan by the trains which were cancelled. Normally in the local suburban sections where the services available are more frequent, such special arrangements are also not normally made. After clearance of obstructions at 17·15, adequate number of local services were available on the section.

## बम्बई की भूमिगत रेलवे

1696. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर में भूमिगत रेलवे के निर्माण को कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार से यह परियोजना क्या है ;

(ग) कब तक इस योजना को कार्यान्वित कर लिया जायेगा ; और

(घ) इस परियोजना पर कितना व्यय का अनुमान है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

## बम्बई में 'अपर फ्लौर' रेलवे

1697. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की संचार व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कोई "अपर फ्लौर" रेलवे की योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्षेत्राधिकार कितना है ; और

(ग) इस पर कितने व्यय का अनुमान है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) यदि माननीय सदस्य का मतलब ऊंची रेलवे से हैं तो इसका उत्तर 'न' है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**कोटावलासा–बेलाडिल्ला रेलवे लाइन**

1698. **श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री 21 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा को मिलाने वाली कोटावलासा–बेलाडिला वाली रेलवे लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह कब तक चालू होने के काबिल हो जायेगी ; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय अब तक हो चुका है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) अगस्त 1964 तक कुल मिला कर 63.3 प्रतिशत कार्य हो चुका है।

(ख) जनवरी 1966 तक।

(ग) अगस्त 1964 के अन्त तक 24.35 करोड़ रुपया खर्च हो चुका था।

**आसाम में रेशम उद्योग**

1699. **श्री मुरली मनोहर :**
**श्री राम हरख यादव :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में रेशम उद्योगों के विकास के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) आसाम सिल्क की चमक में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) दूसरी योजना में 37.70 लाख रुपये के मुकाबले में तीसरी योजना के अन्तर्गत 75 लाख रुपया आसाम में रेशम उद्योग के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। इस योजना के कार्यान्वित हो जाने से उस राज्य में रेशम उद्योग का समन्वित विकास हो जायेगा। 1960 में आसाम में कच्चे सिल्क का उत्पादन 1.66 लाख किलोग्राम था जो कि 1963 में बढ़ कर 2.47 लाख किलोग्राम हो गया।

(ख) बम्बई विश्वविद्यालय के रसायनिक तकनीकी विभाग द्वारा फरवरी 1962 में मूंगा रेशम का भौतिक तथा रसायनिक अध्ययन करने का कार्यक्रम बनाया गया था। मूंगा रेशम को साफ करने के प्रयोग किये गये थे। परिणामस्वरूप उस कार्य को करने का सस्ता तथा सरल ढंग खोज निकाला गया है। इससे रेशम की सफेदी में काफी वृद्धि हो जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में भी यह योजना बम्बई विश्वविद्यालय में जारी रहेगी।

जहां तक ऐसी रेशम का सम्बन्ध है केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशमी सूत की चमक और रंगाई की किस्म में सुधार करने के लिए गवेषणा कार्य भी आरम्भ किया हुआ है।

**हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद्**

1700. **श्री थेनगौंडर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि हथकरघा निर्यात प्रोत्साहन परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ;

(ग) इसकी कब तक स्थापना हो जायेगी ; और

(घ) इसके कार्य का क्षेत्र क्या होगा ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

**डागापोसी स्टेशन के पास रेलवे दुर्घटना**

1701. **श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री बै० ना० कुरील :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि एक शंटिंग इंजिन की राजखारसवन–बाराजमदा यात्री गाड़ी के साथ डागापोसी रेलवे स्टेशन के पास 17 जुलाई, 1964 को दक्षिण पूर्व रेलवे पर टक्कर हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार से दुर्घटना का विवरण क्या है ; और

(ग) दुर्घटना से पीड़ित लोगों को कुछ मुआवजा दिया गया ?

**रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) जी, हां।

(ख) 17–7–64 को डागापोसी रेलवे स्टेशन ऊपर के यार्ड में जिन का शंटिंग करते हुए एक 17 बक्स का इंजिन बाहरी सिगनल के बाहर चला गया। यात्री गाड़ी संख्या 1 जो 20.37 पर उसी रेलवे स्टेशन पर आ रही थी उस इंजिन से टकरा गयी। यह दुर्घटना 20.48 पर हुई।

(ग) किसी प्रकार के मुआवजे की मांग प्राप्त नहीं हुई। वैसे 3315 रुपये का अनुदान इस के लिए दिया गया है।

**सरकारी उपक्रमों की व्यवस्था में सुधार**

**1702. श्री शशि रंजन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूत पूर्व मंत्री द्वारा सरकारी उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किये है वे क्या हैं, और वर्तमान मंत्री महोदय ने इसमें और आगे क्या सुधार किया है।

**इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी)** : 20 सितम्बर, 1963 को लोक-सभा में इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री ने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया था उसकी ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करवाता हूं। जो विभिन्न संस्थानों में परिवर्तन हुए हैं वे उसमें देखे जा सकते हैं।

## दिल्ली में भूमिगत रेलवे

1703. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्रीमती रेणुका राय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमिगत रेलवे के निर्माण के बारे में योजना पर फिर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: (क) जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है कि दिल्ली की नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमिगत रेल बनायी जा रही है। यह मामला तो नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता है। रेलवे मंत्रालय इस दिशा में कोई योजना नहीं बना रहा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

## दिल्ली में माचिसों की कमी

1704. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री भवन :**
**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि राजधानी में माचिसों की कमी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ;

(ग) क्या यह भी ठीक है कि माचिसें अधिक मूल्य पर बिक रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). नहीं जी, परन्तु जुलाई, 1964 में जो माचिसें मैसर्ज वैसटर्न इंडिया मैच कम्पनी बनाती है, उसमें कुछ कमी जरूर हो गयी थी। परन्तु उसके बाद स्थिति सामान्य हो गयी थी।

(ग) जुलाई, 1964 में विमको माचिस राजधानी में 2 पैसे प्रति माचिस के हिसाब से अधिक में बिकती रही। इसके बाद वह उसी कीमत पर बिकती रही जो कीमत कि उस पर लिखी थी।

(घ) क्योंकि माचिसों के वितरण तथा मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं था अतः इस मामले में दिल्ली प्रशासन ने कोई कार्यवाही न की।

## Coal Control

1705. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
**Shrimati Savitri Nigam :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government intend to lift control on coal ;

(b) if so, when ; and

(c) the grades of coal on which the control would be lifted ?

**The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy)** : (a) to (c). Government have already relaxed control on the distribution of soft coke and non-coking coals of grades II and III with effect from the 1st July, 1964.

## कल्पी में रेलवे पुल

1706. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई–लखनऊ सड़क पर कल्पी के स्थान पर बने रेलवे पुल की गारंटी का समय निकल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बिल्कुल गिर जाने से पहले उसकी मरम्मत के लिए समुचित कार्यवाही करने की दिशा में क्या पग उठाया गया है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख). कल्पी के रेलवे पुल के गर्डर यद्यपि कमजोर हो गये हैं, परन्तु अभी कोई यातायात के खतरे की बात नहीं है। इस पर स्थायी यातायात को दस मील प्रति घंटा की गति से जाने का आदेश दिया गया है। भारी माल की गाड़ियां यहां से नहीं भेजी जाती।

1958–59 में यहां पर नये गर्डर लगवाने का कार्यक्रम था। यह काम इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि परिवहन मंत्रालय रेल-रोड पुल बनाने में लगा था। परन्तु जुलाई, 1964 में परिवहन मंत्रालय ने इस प्रकार के पुल के बनाने का विचार छोड़ दिया। अतः अब केन्द्रीय रेलवे को इस बारे में योजना बनाने का आदेश दे दिया गया है ताकि पुल के लिए नये गर्डरों की व्यवस्था कर दी जाय।

## Enemy Property

1707. **Shri M. L. Dwivedi :**
**Shrimati Savitri Nigam :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the value of enemy property taken possession of by Government since the Chinese aggression and arrangements made for its supervision and disposal ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy)**: Government have not taken possession of any property since the Chinese aggression. The properties of those Chinese nationals who have either left the country or were interned under the Foreigners (Internment) Order, 1962 are vested in the Controller of Enemy Firms and Custodian of Enemy Property who looks after them in accordance with the provisions of Part XIV B of the Defence of India Rules, 1962. The value of such properties is estimated at about Rs. 28·85 lakhs.

## न्यूज़ीलैंड में अन्तर्राष्ट्रीय मेला

1708. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री धवन :**
**महाराजकुमार विजय आनन्द :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त–सितम्बर, 1964 में न्यूजीलैंड में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में केन्द्रीय सरकार ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो मेले म भारतीय उद्योग और व्यापार की किस किस चीज का वहां प्रदर्शन किया गया ; और

(ग) भारत के मेले में भाग लेने से दोनों देशों के व्यापार सम्बन्धों में क्या वृद्धि हुई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मुख्य चीजें, जिनका प्रदर्शनी के भारतीय मंडप में प्रदर्शन किया गया, वह थीं विभिन्न प्रकार का कपड़ा, चाय, काफी, खाद्य पदार्थ तथा तम्बाकू, जूट, नारियल, कालीन, कम्बल, खेल का सामान, बिजली का सामान, साइंस का सामान, साईकल, सीने की मशीनें और कुछ इंजीनियरिंग चीजें। उसके अतिरिक्त भारतीय हथकरघा वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया गया।

(ग) भारत के इस न्यूजीलैंड के मेले में भाग लेने के कारण न्यूजीलैंड के लोगों को प्रथम बार पता चला है कि भारत बढ़िया कपड़ा भी बना सकता है, और उच्च कोटि की चाय भी भारत में उपलब्ध होती है। इससे निर्यात की इन दो मदों में विशेष वृद्धि होने की संभावना है। इससे वहां के लोगों का ध्यान इंजीनियरिंग की चीजों की ओर भी गया है। हथकरघा के बारे में तो वहां कोई जानकारी ही न थी। खेलों के सामान, कालीन, खाद्य पदार्थ तथा सिगार इत्यादि के निर्यात की इससे वृद्धि हो जाने की सम्भावना है।

## कोयले की मांग

1709. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कोयले की अनुमानित मांग कितनी है तथा तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्य क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी)** : हाल में ही किए गए निर्धारण के अनुसार 1965–66 में कोयले की मांग लगभग 745 लाख टन होगी तथा 1963–64 में लगभग 650 लाख टन उत्पादन होगा। परन्तु ऐसा भी पता लगा है कि इतने कोयले की मांग न आये और उत्पादन का ठीक समायोजन करना पड़े। स्थिति पर ध्यान रखा जा रहा है।

कोयले के उत्पादन के लिये चौथी योजना के लक्ष्य के बारे में सरकार को अभी निर्णय करना है। खपत वाले क्षेत्र विशेषतया इस्पात और विद्युत् के अन्तिम लक्ष्यों के बारे में निर्णय किये जाने के बाद स्पष्ट बात का पता लगेगा।

## इथोपिया को सूती कपड़े का निर्यात

1710. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में भारत से इथोपिया को सूती कपड़े का निर्यात बहुत कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1962 1963 तथा 1964 के पूर्वार्द्ध में कितना सूती कपड़ा निर्यात किया गया ; और

(ग) इस निर्यात की कमी के क्या मुख्य कारण हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां। 1962, 1963 तथा 1964 (जनवरी से जून) में इथोपिया को भारत से सूती कपड़ का निर्यात नीचे दिया जाता है :—

(लाखों में रुपये)

| 1962 | 1963 | 1964 (जनवरी से जून) |
|---|---|---|
| 49 | 27 | 16 |

(ग) कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हो सकती है :

(1) जीन आदि का इथोपिया में अधिक उत्पादन जिससे कपड़े का निर्यात कम हो गया ;

(2) इम्पीरियल इथोपियन सरकार द्वारा लगाये गये शुल्क ; और

(3) कपास के स्थान पर कृत्रिम फाइबर के कपड़ों के प्रति उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ।

**केन्द्रीय रेशम बोर्ड**

1711. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में लागू किये जाने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने क्या विभिन्न योजनायें बनाई हैं ; और

(ख) रेशम के विकास के लिये 1964–65 में विभिन्न राज्यों को रेशम बोर्ड ने कितना धन दिया है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा लागू की जाने वाली केन्द्रीय योजनाओं की सूची सम्बद्ध है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3328/64 ।]**

(ख) 1964–65 के लिये राज्यों में रेशम उद्योग के विकास के लिये योजना आयोग ने 146.07 लाख रुपये स्वीकार किये हैं । राज्यवार नियत की गई रकम दिखाने वाला विवरण सम्बद्ध है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3328/64]**

**चाय के विकास के लिये कार्यक्रम**

1712. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में चाय के विकास के लिये चाय बोर्ड ने क्या विभिन्न योजनायें अथवा कार्यक्रम पेश किये हैं ;

(ख) 1964–65 के लिये विभिन्न चाय उगाने वाले राज्यों को बोर्ड ने कितनी धन राशि दी है ;

(ग) 1963–64 में पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में चाय के विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई ; और

(घ) 1963–64 में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) 1964–65 में चाय बोर्ड ने निम्नलिखित योजनायें/कार्यक्रम चाय के विकास तथा उत्पादन के लिये लागू किये हैं ।

1. बागान वित्त योजना
2. चाय मशीन किराया खरीद योजना
3. सिंचाई उपकरण किराया खरीद योजना
4. कछार, त्रिपुरा, कांगड़ा तथा मंडी के बागानों के लिये वित्तीय सहायता योजना
5. छोटे उत्पादकों के लिये उर्वरक सहायता योजना
6. सहकारी कारखानों का विकास
7. विपणन सुविधाओं का सुधार
8. पालमपुर प्रयोगात्मक फार्म, पंजाब में अच्छे बीज का उपयोग करके कृषि के परीक्षण

9. कांगड़ा में चुने हुए चाय बागानों में 8″ रोटो खाने से निर्माण परीक्षण

(ख) 1964–65 में राज्यवार उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों पर 15 सितम्बर, 1964 तक बोंड द्वारा स्वीकृत राशि नीचे दी जाती है :—

| | (लाखों में रुपये) |
|---|---|
| (1) बागान वित्त योजना | |
| (एक) पश्चिम बंगाल | 8.82 |
| (दो) आसाम | 10.28 |
| (तीन) मद्रास | 7.49 |
| (चार) त्रिपुरा | 0.48 |
| जोड़ | 27.07 |
| **(2) चाय मशीन किराया खरीद योजना** | |
| (एक) पश्चिम बंगाल | 10.70 |
| (दो) आसाम | 31.70 |
| (तीन) त्रिपुरा | 1.72 |
| (चार) मद्रास | 6.04 |
| (पांच) केरल | 5.40 |
| जोड़ | 55.56 |
| **(3) सिंचाई उपकरण किराया खरीद योजना** | |
| (एक) पश्चिम बंगाल | 6.89 |
| (दो) आसाम | 10.84 |
| (तीन) मद्रास | 1.20 |
| जोड़ | 18.93 |
| **(4) कछार त्रिपुरा कांगड़ा तथा मण्डी के बागानों के लिये वित्तीय सहायता योजना** | |
| (एक) कछार | 0.10 |
| (दो) त्रिपुरा | 0.44 |
| (तीन) कांगड़ा (पंजाब) | 0.02 |
| जोड़ | 0.56 |
| **(5) छोटे उत्पादकों के लिये उर्वरक सहायता योजना** | |
| (एक) केरल | 1.91 |
| (दो) पंजाब | 0.09 |
| जोड़ | 1.10 |

(6) सहकारी कारखानों का विकास

पंजाब 1.50

(7) विपणन सुविधाओं का सुधार

पंजाब 3.00

(8) पालमपुर प्रयोगात्मक फार्म पंजाब में अच्छे बीज का उपयोग करके कृषि के परीक्षण

पंजाब 0.10

(9) कांगड़ा में चुने हुए चाय बागानों में 8" रोटोखाने से निर्माण परीक्षण

पंजाब 0.21

(ग) जब कि 1963–64 में पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के बारे में रक़म लगभग 20,000 रुपये थी परन्तु 1964–65 में (15 सितम्बर तक) 4.92 लाख रुपये स्वीकार किए गए थे।

(घ) विकास की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन 1963–64 में 119.42 लाख रुपये दिए गए थे।

**पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों रेशम का विकास**

1713. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम के विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को कोई योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने योजना स्वीकार कर ली है तथा इसकी क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) योजना में पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों में सघन 'मलबरी' बागान कार्यक्रम के अधीन विभिन्न केन्द्रों में 67 मलबरी की नर्सरी स्थापित की जायेंगी। योजना में यह भी व्यवस्था है कि रेशम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला को शक्तिशाली बनाया जाये। समस्त पंचवर्षीय अवधि के लिए इसका अनुमानित व्यय 172.00 लाख रुपये है।

(ग) क्योंकि योजना की विस्तृत जांच करना ज़रूरी है इसलिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक अधिकारी को इसका अध्ययन करने तथा इस पर विचार करने के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था। उन्होंने पंजाब के रेशम कीट वाले क्षेत्रों का सितम्बर, 1964 के दूसरे सप्ताह में दौरा किया था तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत की थी। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य सरकार को परामर्श दिया है कि इन बातचीतों के आधार पर योजना को पुनः बनाये।

**Sericulture Industry**

1714 **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the States where Sericulture Industry is being developed ;

(b) the State which is most suitable for the development of this industry ; and

(c) the special encouragement being given to that state ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy)** : (a) and (b). There are four different varieties of silk worms raised in India, each requiring varying conditions of temperature and humidity. Mysore, West Bengal and Jammu and Kashmir are the major mulberry silk producing States. Madhya Pradesh, Bihar and Orissa are the major tasar-silk producing States while Assam is the leading State producing muga and eri silk. In the other States *viz.*, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, U. P., Punjab, Madras, Manipur, Tripura and NEFA, the sericulture industry is being developed, wherever favourable climatic conditions exist.

(c) Every possible encouragement has been given to all silk producing States. Adequate funds are, also allocated in order to ensure that implementation of Developmental schemes is duly carried out.

## Fire in Railway Godown in Delhi

1715. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that considerable loss was caused due to a fire in a Railway godown of Delhi on the 4th June, 1964 ;

(b) if so, whether any person has been arrested in this connection ;

(c) if so, the identity thereof ; and

(d) the cause of the fire ?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) The fire was accidental and according to the findings of the Officers' Joint Enquiry Committee, a spark from a locomotive passing by the Lost Property Office, which entered the Godown through the expanded metal of the ventilator was suspected to be the cause of this fire.

## Metric System

1716. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have directed the owners of newly established factories to manufacture goods according to metric system ;

(b) if so, whether all the factory owners have followed the direction ;

(c) if not, the time limit prescribed for this purpose ; and

(d) the action to be taken after the expiry of that period ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy)** : (a) Government have advised owners of new factories to manufacture goods designed on the metric system. The law only requires that all quantities and dimensions must be expressed in metric units. Owners have the discretion to adopt designs in the foot pound system, provided the dimensions are expressed in metric units by conversion. Government cannot, therefore, direct owners to manufacture according to original metric designs.

(b) The advice was given very recently. The response is being watched.

(c) No time limit can be prescribed. Government has advised owners of new factories to adopt original metric designs from the time they start production.

(d) The only action which can be taken is pursuasion to adopt metric designs rather than converting foot pound system designs, wherever that is possible.

## M/s. Ashoka Paper Mills Ltd.

1717. **Shri Onkar Lal Berwa**. Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that North Eastern Railway has, on account of the non-payment of one lakh rupees due from M/s. Ashoka Paper Mills Ltd., refused to give some wagons containing machinery which had been imported from foreign countries ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that 35 wagons are still standing on Thalwara Railway station and the demurrage thereon comes to one thousand rupees daily ; and

(d) if so, the total amount of the demurrage thus accrued and the reasons for its non-receipt ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath)**: (a) Yes, the North-Eastern Railway refused to give delivery of some wagons consigned to M/s. Ashoka Paper Mills Ltd., in view of the firm's failure to pay freight, siding and shunting charges amounting to nearly twenty nine thousand (Not one lakh as mentioned in the Question). Most of those wagons were said to contain machinery parts imported from abroad.

(b) As stated against part (a), delivery of the consignments was withheld due to non-payment of railway dues.

(c) It is not a fact that 35 wagons are still standing under load at Thalwara station. All the 35 wagons in question were delivered to the consignee on 20th June, 1964. The demurrage charges on these wagons came to approximately a thousand rupees a day.

(d) The total demurrage charges that accrued on these wagons amounted to Rs. 33,540·50. The question of the recovery of this demurrage is still under negotiation.

## दिनाजपुर में रेलवे सवा का अस्त-व्यस्त हो जाना

1718. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाजन के बाद पश्चिम दिनाजपुर के ज़िले में रेल सेवा बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बलुरघाट से मिलाने वाली कोई रेलव लाइन नहीं है;

(ग) माल्दा से बलुरघाट तक रेलवे लाइन के बढ़ाने में क्या कठिनाई है; और

(घ) एखलाकी और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन बिछाने का विचार है ?

**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). तीसरी योजना के लिये नई लाइनों की अपनी सूची में पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित लाइन की सिफारिश नहीं की थी । इसलिये सीमित निधियों और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए उन लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई थी जिनसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को और खनिजों के निकालने में फायदा पहुंचता था और जिन्हें पत्तनों के विकास और युद्ध की तैयारी के लिये आवश्यक समझा गया था । अगली योजना में जिन लाइनों पर काम आरम्भ किया जायेगा उनके बारे में योजना आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों से मिलकर विचार किया जा रहा है और यह कहना कठिन है कि इस प्रस्ताव को उनमें शामिल किया जायेगा अथवा नहीं ।

## टिप ट्रकों का आयात

1719. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
**श्री यशपाल सिंह** :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्क मोटर वर्क्स द्वारा निर्मित 25 टन वाले टिप ट्रक रूस से आयात किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इन ट्रकों को किन परियोजनाओं पर काम में लाया जायेगा; और

(ग) क्या इस देश में इसी प्रकार के ट्रकों के निर्माण करने की कोई योजना है ?

**उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

## ताज एक्सप्रेस

*1720. { श्री विभति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और आगरा के बीच "ताज एक्सप्रेस" के नाम से एक नई रेलगाड़ी चलाई जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). ताज एक्सप्रेस गाड़ियां नई दिल्ली और आगरा छावनी के बीच 1-10-64 से चलाई गई है। यह गाड़ी नई दिल्ली से सुबह 7.50 बजे चलती है और 10.10 पर आगरा छावनी पहुंचती है और वापसी दिशा में आगरा छावनी से 18.30 पर चलती है और 21.40 पर नई दिल्ली पहुंचती है। दोनों तरफ की गाड़ियां मथुरा जकशन पर 5 मिनट के लिये ठहरती हैं।

ये गाड़ियां गलियारे वाली हैं। इन में 10 डिब्बे हैं, एक भोजन कार है और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, साधारण प्रथम श्रेणी और तीसरी श्रेणी में बैठने के स्थान हैं।

## Milk Powder Factories

1721 **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) the number of milk powder factories in the country; and

(b) the quantity of milk powder produced annually?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra)** : (a) Six.

(b) Approximately 1500 metric tons.

## Recovery of Ganja at the Delhi station

1722 { **Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Gulshan :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ganja was seized from the Parcel Office at the Delhi Station on the 11th July, 1964;

(b) if so, the number of Railway employees arrested;

(c) whether some of these employees were involved in some other cases also; and

(d) the measures taken to prevent the recurrence of such incidents?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) Yes.

(b) One Parcel Clerk was arrested. According to the Government Railway Police, no other railway employee was found involved. The case is still under police investigation.

(c) The same Parcel Clerk was found responsible for short remittance of freight collected by him in December 1963. The Parcel Clerk had already been punished for this offence.

(d) Prevention and detection of crime and prosecution of offenders is the responsibility of the State Police. Close cooperation is maintained by Railway Protection Force with the Government Railway Police at all levels and such assistance as is required by the State Police is given.

## गोलागोकरणनाथ (पूर्वोत्तर रेलवे) पर उपागमन मार्ग

1723. **श्री बाल गोविन्द वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोलागोकरणनाथ स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे), खेरी, उत्तर प्रदेश में प्रवेश सड़क कब बन कर तैयार हो गई थी;

(ख) इस सड़क पर कुल कितनी लागत आई;

(ग) इस सड़क के टूटने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके निर्माण के लिये जिम्मेवार ठेकेदारों तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) 1960 में।

(ख) लगभग 16,680 रु०।

(ग) नीचे नर्म मिट्टी के कारण कुछ सुराख हो गये जिससे सड़क को मामूली नुकसान पहुंचा।

(घ) रेलवे द्वारा मामले की पूरी जांच की गई है और यह पता लगा है कि नुकसान ठेकेदारों द्वारा खराब काम अथवा पर्यवेक्षकों की ढील के कारण नहीं हुआ है।

## छोटे पैमाने के एकक

1724. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 और 1963-64 में आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक विस्तार सेवा संस्थाओं द्वारा छोटे पैमाने के कितने एककों को फायदा पहुंचा है और यह लाभ उठाने वाले देश के अन्य एककों के मुकाबिले में उनकी क्या प्रतिशतता है; और

(ख) 1962-63 और 1963-64 में आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के एककों को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी गई और देश के छोटे पैमाने के एककों को दिये गये ऋण के मुकाबले में ये राशियां कितने प्रतिशत थीं ?

**उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) 1962-63 और 1963-64 में आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक विस्तार सेवा सस्थाओं का लाभ उठाने वाले छोटे पमाने के एककों की सख्या इस प्रकार है :—

| | 1962–63 | समस्त भारत से प्रतिशतता | 1963–64 | समस्त भारत से प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. तकनीकी सलाह प्राप्त करने वाले पत्रों की संख्या . | 1215 | 2.5 | 2493 | 4.7 |
| 2. उद्योग चालू करने के लिये जानकारी प्राप्त करने वाले पत्रों की संख्या . . . | 310 | 1.3 | 487 | 1.9 |
| 3. मौके पर सलाह देने के लिये अधिकारियों द्वारा जितने कारखानों का दौरा किया गया . | 1217 | 2.5 | 1865 | 3.5 |
| 4. अन्य सहायता प्राप्त करने वाले पत्रों की संख्या . . | 1785 | 4.1 | 2763 | 5.6 |

(ख) एककों को उद्योग निदेशक, आन्ध्र प्रदेश द्वारा उद्योगों के लिये राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये कारणों तथा स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, राज्य वित्तीय निगम तथा आन्ध्र प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये ऋणों की वास्तविक राशि इस प्रकार है :—

| वर्ष | दी गई राशि |
|---|---|
| 1962–63 . . . . | 70,42,889.35 रु० |
| 1963–64 . . . | 100,61,261.53 रु० |

अखिल भारतीय ऋण की प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है और इसका हिसाब सभी राज्यों के उद्योग निदेशकों, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, राज्य वित्तीय निगम आदि से आंकड़ इकट्ठे करने के पश्चात् लगाया जायेगा। इस जानकारी को इकट्ठा करने में जितना परिश्रम और समय लगेगा उससे इतना लाभ नहीं होगा।

### भारतीय विदेश व्यापार संस्था

**1725. श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या जुलाई, 1964 में भारतीय विदेश व्यापार संस्था द्वारा किसी विचार गोष्ठी का प्रायोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या गोष्ठी ने मलेशिया में संयुक्त भारत–मलेशिया उपक्रमों की संभावनाओं का पता लगाने के लिये दक्षिण-पूर्व एशिया विकास संस्था की स्थापना की सिफारिश की है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). जी हां।

(ग) विचार गोष्ठी का प्रतिवेदन मिल गया हैं और विचाराधीन है। प्रतिवेदन की एक प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है।

## रूरकेला में पैदा की गई गैस

1726. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 22 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में कोक ओवन गैस के इस्तेमाल में लाने के प्रश्न पर कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके निर्देशपद क्या हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) जी हां।

(ख) विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

**अध्यक्ष**

डा० **हुसैन जहीर,**

महा निदेशक,

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्।

**सदस्य**

डा० एम० जी० कृष्ण, निदेशक भारतीय पेट्रोलियम संस्था।

डा० ए० लहरी, निदेशक केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था।

श्री स० व० राजन, वरिष्ठ लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय।

श्री के० के० राय चौधरी, सुप्रिन्टेन्डेन्ट, ऊर्जा तथा अर्थव्यवस्था, मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी।

समिति के निर्देशपद इस प्रकार हैं :—

1. रूरकेला की कोक ओवन बैट्रियों द्वारा लगातर पैदा की जा सकने वाली कोक ओवन गैस की कुल मात्रा तथा इसकी रचना का अनुमान लगाना तथा उन पर प्रतिवेदन देना। यह अनुमान (क) वर्तमान संयंत्र और (ख) विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिष्ठापित की जाने वाली अतिरिक्त बैट्री के लिये लगाये जाने चाहिये।

2. कोक ओवन गैस के इस्तेमाल करने के वर्तमान तरीके का पुनर्विलोकन करना।

3. इस बात की जांच करना कि क्या गैस के वर्तमान जनन और इसकी संरचना के आधार पर और उपलब्ध गैस की मांग के आधार पर उर्वरक सन्यन्त्र में उपलब्ध क्षमता को (क) वर्तमान हालतों और (ख) विस्तार के बाद पूर्ण रूप से उपयोग में लाना सम्भव होगा।

4. यदि यह इस नतीजें पर पहुंचती है कि इस समय अथवा विस्तार के बाद उपलब्ध कोक ओवन गैस के लिये इस्पात सन्यन्त्र की वर्तमान आवश्यकता को पर्याप्त रूप पूरा करना और उर्वरक सन्यन्त्र की पूर्ण क्षमता को काम में लेने के लिये हाइड्रोजन की पर्याप्त मात्रा देना सम्भव नहीं है, तो इस बात का अध्ययन करना और प्रतिवदन करना कि क्या इस्पात सन्यन्त्र को अन्य प्रकार का ईंधन देना तकनीकी तथा आर्थिक पहलू से अधिक लाभप्रद होगा और क्या उर्वरक सन्यन्त्र के लिये अन्य तरीकों से तैयार की गई हाइड्रोजन देना अधिक लाभदायक होगा। प्रत्येक मामले में समिति को इस बारे में विशिष्ट सिफारिश करनी है कि अन्य प्रकार का ईंधन कहां से मिल सकता है और किस तरीके से तैयार किया जा सकता है।

## काफी बोर्ड

1727. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री लेश्वर मीना :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 6 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कॉफी उगाने के लिये बागानों को वित्तीय सहायता देने के लिये कॉफी बोर्ड द्वारा सुझाई गई योजना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख) कॉफी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई योजना अभी विचाराधीन है।

## गारो पहाड़ियों में कोयला खनन

1728. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच गारो पहाड़ी क्षेत्र में 5 लाख मीट्रिक टन की न्यूनतम क्षमता के एक नये कोयला खनन एकक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :** (क) और (ख) यदि राज्य सरकार उस क्षेत्र में 125 मैगावाट बिजली देने के लिये तैयार हो जाये तों 5 लाख मीट्रिक टन की क्षमता का खनन एकक स्थापित किया जा सकता है। यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**पटसन का निर्यात**

1729. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री **13** मार्च, **1964** के तारांकित प्रश्न संख्या **583** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच भारतीय पटसन आयुक्त की सिफारिशों पर विचार कर लिया है जिसने कि विदेशी मण्डियों में भारतीय पटसन की खपत की सम्भाव्यता का अनुमान लगाने के लिये दिसम्बर, **1963**–जनवरी, **1964** में ई० सी० एम० देशों और यूरोप के कुछ अन्य भागों का **6** सप्ताह का दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3329/64]** ।

## Small Scale Industries in Punjab

**1730. Shri Bagri :** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) the nature of schemes approved by the Central Government for the development of small scale industries in Punjab during 1963-64; and

(b) the amount sanctioned and spent on those schemes during the above period?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra):** (a) and (b) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

## Industrial Cooperatives in Punjab

1731. **Shri Bagri:** Will the Minister of **Industry and Supply** be leased to state:

(a) the number of industrial cooperatives working in Punjab at present; and

(b) the nature and extent of work done by them?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) :** (a) 5658 as on 30-6-1964.

(b) The nature of the activities of these societies relates to production of Handloom goods, Engineering goods, Woodworking, Bricks, Sports goods, Ghani oil, Soap, Khadi, Leather and leather goods and Handicrafts etc. Their production was to the tune of Rs. 339·06 lakhs during the year ending 30-6-1964.

## उत्तरी रेलवे पर धोखा धड़ी

1732. **श्री गुलशन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1962 से 31 मई, 1964 तक उत्तरी रेलवे पर डिब्बा सामग्री निरीक्षकों, स्टेशन लेखा निरीक्षकों तथा स्टोर लेख निरीक्षकों द्वारा धोखा धड़ी के कुल कितने मामले पकडे गये ?

**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ)**: 1 जनवरी, 1962 से 31 मई, 1964 तक की अवधि में स्टशन लेखा निरीक्षकों (जिन्हें उत्तरी रेलवे पर डिब्बा सामग्री तथा माल निरीक्षक कहा जाता है) द्वारा उत्तरी रेलव पर धोखा धड़ी के कुल 8 मामले पकड़ गये। इस अवधि में स्टोर लेख निरीक्षकों ने ऐसा कोई मामला नहीं पकड़ा है।

## रेलवे स्टाक निरीक्षक

1733. **श्री गुलशन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलव में रेलवे स्टाक निरीक्षकों के पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना को अन्तिम रूप कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होना।

## दुर्गापुर में नगर निर्माण

1734. **श्री गुलशन** : क्या **इस्पात तथा खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दुर्गापुर में नगर निर्माण करने के लिए सरकार ने भूमि अर्जित कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि के स्वामियों को पूरा मुआवजा दिया गया है ?

**इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री सेंजीव रेड्डी)**: (क) और (ख) जी हां, दुर्गापुर नगर निर्माण के लिए जिन भूमि स्वामियों की भूमि अर्जित की गयी थी, उन्हें पूरा मुआवजा दे दिया गया ?

## शारदा रेलवे पुल

1735. **श्री बालगोविन्द वर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी रेलवे पर मेरा तथा पलिया कलां रेलवे स्टशनों के बीच शारदा रेलवे पुल का फर्श पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) कब तक यह आशा की जा सकती है कि यह पुल रेल-सड़क यातायात के लिए खुल जायेगा ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शामनाथ)**: (क) और (ख) जी हां, रेलवे ने अपने हिस्से का काम मई, 1964 में समाप्त कर दिया था।

(ग) राज्य सरकार जब अपने हिस्से का कार्य समाप्त कर लेगी तो इसे सड़क यातायात के लिए खोल दिया जायेगा। यातायात की अनुमति देने के लिए रोशनी और सड़क पर कोट करने की अपेक्षा है।

**यात्रा सहायक, माल क्लर्क तथा चिट्ठियां छांटने वाले**

1736. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री ओंकार लाल बैरवा :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि यात्रा सहायक, माल क्लर्क और चिट्ठियां छांटने वाले जहां अन्य ऐसे ही कार्य करने वाले लोगों को वे सुविधायें प्राप्त नहीं हो रहीं जो दूसरे वर्गों को प्राप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). यात्रा सहायक, माल क्लर्क, और चिट्ठियां छांटने वालों को वह सुविधायें और भत्ता नहीं दिया जाता जो ब्रेक मैनों को दिया जाता है। भारतीय रेलवे में माल गार्डों का कोई पद इस समय नहीं है।

**गासलीटेंड खान से कोयला**

1737. **श्री प्र. रं० चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि अक्तूबर, 1962 से अप्रैल, 1964 के काल में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की दुग्धा कोयला वाशरी ने मानभूम कोयला कम्पनी लिमिटेड शिजुआ, धनबाद की कोयला खान गासलीटेंड से 3471228 रुपये का कोयला प्राप्त किया ;

(ख) क्या यह भी ठीक है कि कोयला 'ग्रैफ' ग्रेड का था, यद्यपि कीमत 'डी' ग्रेड की ली गयी;

(ग) क्या कोयला बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में यह प्रमाणित किया था कि उपरोक्त खान 'डी' ग्रेड का कोयला उत्पादन ही नहीं करती; और

(घ) क्या इस भूल के परिणामस्वरूप मैसर्ज हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 172,421 रुपये की हानि उठानी पड़ी ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)**: (क) से (घ). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कोयला वाशरी 1 ने 1,29,992 टन कोयला 31,64,644.12 रुपये की कीमत में 3-10-62 से 29-2-64 तक गासलीटेंड खान से लिया गया। इस गासलीटेंड के मालिक मैसर्ज न्यू मानभूम कोल कम्पनी लिमिटेड हैं। कोयला नियन्त्रक ने 3-10-62 को खान के कोयले को 'ग्रैफ' ग्रेड का करार दे दिया है, परन्तु यह मूल्य 'डी' ग्रेड का ही लिया जाता रहा। इससे, 1,62,735 रुपये 76 नये पैसे की अधिक अदायगी हो गयी। जैसे ही यह बात हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के नोटिस में आई, खान से तथा नियन्त्रक से मामले के बारे में बातचीत की गयी। कोयला नियन्त्रक इस मामले की जांच कर रहे हैं। अधिक अदायगी को बारबर करने के लिए कोयला नियन्त्रक के आदेश से उनकी 1,63,069 रुपये 23 नये पैसे की राशि रोक ली गयी है।

खान की ओर से 8001.8 टन 'ग्रैफ' ग्रेड कोयला मार्च, अप्रैल, 1964 को सम्भरम किया गया। उन्होंने इसके लिए 'डी' ग्रेड के हिसाब से 2,09,896 रुपये 83 नये पैसे का दावा किया। परन्तु 'ग्रैफ' ग्रेड की कीमत के हिसाब से 1,93,571 रुपये 92 नये पैसे की अदायगी कर दी गयी।

**इस्पात का उत्पादन**

1738. { **श्री रामचन्द्र मालिक :**
**श्री बागड़ी :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 के वर्ष में देश के तीनों संयन्त्रों द्वारा कितनी मात्र में और कितने मूल्य का कोयला देश भर में उत्पादन हुआ ;

(ख) और उपरोक्त मात्रा में से कितना निर्यात कर दिया गया ; और

(ग) जिन देशों में यह कोयला निर्यात किया जायेगा, उनके नाम क्या हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :** (क)

| संयत्र | मात्रा (हजार टनों में) | मूल्य (दस लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| रूरकेला . . . . . | 528.8 | 504 |
| भिलाई . . . . . | 882.2 | 537 |
| दुर्गापुर . . . . . | 724.6 | 442 |

(ख) 15.9 हजार टन।

(ग) सूडान और दक्षिण वायतनाम:

**गोआ नारियल उद्योग**

1739. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना के अन्तर्गत गोआ के निर्माण क्षेत्र में नारियल उद्योग का आधुनिकीकरण तथा विकास करने के लिये कोई योजना है ;

(ख) जी हां, तो इस योजना का मुख्य अंग क्या है ; और

(ग) इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है और उसमें से कितनी खर्च कर ली गयी है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग). गोआ में नारियल उद्योग के विकास के लिए कुछ योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं। उसमें उद्योग के

आधुनिकीकरण का प्रश्न भी है। उसके लिए नारियल प्रशिक्षण स्कल तथा एकक स्थापित किये जायेंगे। इस प्रकार के एक एकक के गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने की अनुमति दी गयी है। उसके लिए मशीनरी जापान से आयात की जा रही है। रबड़ एकक की भी स्थापना करने पर विचार किया जायेगा। क्योंकि इस प्रकार की योजनायें गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रही हैं अतः किसी प्रकार की राशि के स्वीकृत करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः इस प्रकार की कोई ऐसी राशि नहीं रखी गयी जिसका प्रयोग कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है।

**उत्पादिता में वृद्धि**

1740. **श्री काशीनाथ पांडे :** क्या **उद्योग और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी आक्रमण के बाद से देश के विभिन्न उद्योगों की उत्पादिकता में हुई वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किसी अभिकरण की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अभिकरण का नाम क्या है ?

**उद्योग और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

**रेलवे स्टेशन पर पानी ठंडा करने की मशीनें**

1741. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री काशीनाथ गुप्त :**
**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे के लिए स्वीकृत की गयी ठंडे पानी की मशीनों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या किसी एक स्टेशन पर एक से अधिक मशीन भी लगाई गयी है, यदि हां, तो ऐसे रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं।

(ग) क्या यह ठीक है कि मौसम लगभग सारे समय में ये मशीनें प्रायः बिगड़ी ही रहती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3330/64।**

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जब कभी पानी की मांग अधिक हो जाती है, तो मशीन का पानी ज्यादा ठंडा नहीं रहता। इससे यह महसूस होता है कि शायद मशीन काम नहीं कर रही है।

## Delhi-Jodhpur Mail

1742. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to discontinue the running of the Delhi-Jodhpur Mail;

(b) whether some representations in this behalf have been received;

(c) if so, Government's reaction thereto;

(d) whether it is a fact that the Railway line near Suratgarh and Hanumangarh has breached this year also due to floods in River Ghaggar; and

(e) if so, what preventive measures are proposed to be taken against such breaches on this section of the line ?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh ) :** (a) to (c) . Representations against the alleged diversion of 93Up/94Down Jodhpur Mails from their existing route have been received. There is, however, no proposal at present either to divert these trains from their existing route or to discontinue them.

(d) The Railway line near Suratgarh and Hanumangarh was breached this year also due to floods in River Ghaggar since 27th July, 1964.

(e) A scheme for constructing a diversion channel to take away Ghaggar flood water is being finalised by the Rajasthan Government.

## लाहौरा खान में लौह अयस्क के निक्षेप

1743. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के चंदा जिले में लाहौरा खान में लौह अयस्क के निक्षेपों की मात्रा क्या है ;

(ख) क्या यह ठीक है कि खान में नियमित रूप में कार्य हो रहा है और वहां 2000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या उसमें अब काम हो रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)**: (क) से (घ). अगस्त 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने लाहौरा लौह अयस्क का पुराना पट्टा रद्द कर दिया है जो कि एक गैर-सरकारी सार्थ के पास थी। इसके विरुद्ध ठेकेदार ने केन्द्रीय सरकार को याचिका प्रस्तुत की थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। अब मामला पंजाब उच्च न्यायालय में है, अतः इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

## लघु उद्योग

1044. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री उइके :**

क्या **उद्योग और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास आयुक्त ने फरवरी–मार्च 1964 के बीच कभी अलौह धातुओं को प्रयोग करने की क्षमता का अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या उसके आधार पर राज्यों को अलौह धातुओं का कोटा निर्धारित किया जायेगा ;

(ग) क्या इसी के आधार पर राज्यवार अप्रैल–सितम्बर का कोटा दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**उद्योग और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र)** : (क) लघु उद्योग एककों द्वारा कितनी अलौह धातुओं को खपत है, इसके सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम अनुमान नहीं लगाया गया।

(ख) इन धातुओं की विभिन्न राज्यों में खपत की मात्रा क्या है इसका अनुमान लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ). इस अनुमान के आधार पर कोटा देने के मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

## गोहाटी स्टेशन के पास रेल का पटरी से उतर जाना

1745. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि 18 अगस्त, 1964 को उत्तर सीमान्त रेलवे के गोहाटी स्टेशन के निकट एक यात्री गाड़ी का इंजिन पटरी पर से उतर गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या थे ; और

(ग) इससे हुई हानि का अनुमान क्या है ?

**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना का कारण मशीन की खराबी थी।

(ग) इससे रेलवे सम्पत्ति को जो हानि हुई है उसका अनुमान लगभग 861 रुपये है।

**उत्तर सीमान्त रेलवे का काठीहार-सिलीगुडी सेक्शन**

**1746. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमा रेलवे के काठीहार–सिलीगुड़ी क्षेत्र में बाढ़ों के कारण रेलवे संचार ठप्प हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह किस सीमा तक हुआ था ; और

(ग) क्या यह प्रस्थापना है कि इसका रास्ता बदल कर सुरक्षित स्थानों से ये रेलें निकाली जायें, और वे पाकिस्तान की सीमा से दूर हों ?

**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ों के कारण सारी संचार व्यवस्था ठप्प हो गयी। यह अवस्था बागडोगरा और ठाकुरगंज स्टेशन के बीच काठीहार–सिलीगुड़ी क्षेत्र में 8–7-64 के 23.57 से 10–7–64 के 19.10 बजे तक रही।

(ग) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

**Railway Passes to Private Institutions**

1747. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some private and semi-Government institutions and individuals other than M.Ps. and Government officials have also been issued free complimentary railway passes;

(b) if so, the principles followed in this behalf:

(c) whether any applications for the issue of railway passes from private organisations and semi-Government institutions and individuals are also under consideration and if so, when a decision would be taken in regard thereto; and

(d) the number of passes issued and the names of individuals to whom they have been issued?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) Yes.

(b) Employees of one semi-Government institution *viz.* National Coal Development Corporation are given passes/P.T.Os. on the same scale and under the same rules as admissible to serving railway employees since they were Railway employees prior to the formation of the Corporation but the cost

of such passes is evaluated and recovered from the Corporation. Railway employees who go on deputation to semi-Government institutions like Heavy Electricals, Heavy Engineering Corporation etc. are also entitled to passes on a certain scale.

Complimentary card passes are issued to organisations/individuals of high repute to facilitate work of national importance where such Governmental assistance is considered deserving for work of social or cultural importance and where activities of the organisations/individuals cover a field wider than governmental activities in this direction.

(c) Three only. A decision would be taken shortly.

(d) A statement is attached. [*Placed in Library. See No. LT-3331/64*]

## रेलवे के सामान की बरामदी

1748. **श्री द्वारका दास मन्त्री :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में जो छापे मारे गये उसके फलस्वरूप उत्तर रेलवे पुलिस ने लगभग एक लाख रुपये का रेलवे का माल बरामद किया ;

(ख) यदि हां, तो जिनके यहां से यह माल बरामद हुआ उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) जिन लोगों को इस सम्बन्ध में पकड़ा गया है, उनकी संख्या क्या है ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) हां, परन्तु यह उत्तर रेलवे पुलिस ने बरामद नहीं किया, रेलवे सुरक्षा बल ने 1,65,000 रुपये की कीमत का रेलवे का सामान बरामद किया है।

(ख) पुलिस में 7 मामले लखनऊ में रजिस्टर किये गये और 4 दिल्ली में। रेलवे स्टोर अवैध कब्जा अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जांच चल रही है।

(ग) 16.

## राज्यों के लिये बच्चों की गाड़ियां

1749. **श्री बै० ना० कुरील :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य को बच्चों की गाड़ी देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इन गाड़ियों पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां। यह निर्णय किया गया है कि बच्चों की एक गाड़ी जिसमें एक इंजिन और दो या तीन डिब्बे होंगे और जो एक समय

में लगभग 15 बच्चों को ले जा सकती है रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य को उसकी प्रार्थना पर निःशुल्क दी जा सकती है। इन गाड़ियों को चलाने के लिये जिन अन्य उपकरणों, उपसाधन आदि की आवश्यकता होगी उनकी व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी लागत पर की जायेगी।

(ख) बच्चों की गाड़ियां रेलवे मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दी जायेंगी। अनुमान है कि प्रत्येक गाड़ी पर 15,000 रु० खर्च आयेंगे।

**पूर्वोत्तर रेलवे में केन्द्रीय यातायात नियन्त्रण सेवा**

1750. **श्री बैं० ना० कुरील :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे में केबिन पद्धति के स्थान पर केन्द्रीय यातायात नियंत्रण सेवा लागू करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे लाइन का सम्पूर्ण क्षेत्र इसमें आ जायेगा अथवा इसका केवल कुछ भाग ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, हां। काम जारी है।

(ख) लक्ष्य के अनुसार यह कार्य 3.94 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर मई, 1965 में चालू हो जाना चाहिये।

(ग) केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण की व्यवस्था केवल गोरखपुर चपड़ा भाग के 179 किलोमीटर लम्बे रास्ते पर की जा रही है न कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर रेलवे पर।

**Clash between passengers and Railway Officials**

1751. **Shri B. N. Kureel.**
**Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 15th August, 1964 there was a serious clash between railway passengers and railway officials at Gorakhpur Railway station (N.E.R.) which resulted in injuries to several persons and heavy loss of railway property;

(b) if so, the causes thereof;

(c) the amount of loss of railway property and the number of persons injured; and

(d) the steps being taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a), (b) and (d): On 15-8-1964, a large number of ticketless travellers mostly students who had come to Gorakhpur for merry-making on the eve of

Independence Day, tried to travel by 2 Down Mail and 5 Down Express trains on roofs and foot-boards of compartments, causing detention to the trains. The Railways Protection Force and the Police managed to detrain the roof and foot-board travellers. As soon as the 2 Down Mail train left Gorakhpur station, it was it was stopped in the yard by some one pulling the alarm chain. When some Railway Protection Force men and Police reached there, the students with some ticketless passengers started pelting stones, resulting in minor injuries to 3 police officers, 9 Railway Protection Force staff and 1 Fireman. The situation was immediately brought under control by the Railway Protection Force and the Police. No loss to railway property is reported.

(d) 163 persons were arrested under sections 112/120/122 Indian Railways Act. 128 of them were released after admonition by court and 35 were sentenced to different terms of simple imprisonment.

The maintenance of law and order and prevention of crime in trains and railway premises is the responsibility of the State Governments. State Governments have been moved from time to time to ensure effective action against such law breakers.

## भारतीय सप्लाई दूतावास, वाशिंगटन

**1752. श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारतीय सप्लाई मिशन, वाशिंगटन में नियुक्त भारतीय कर्मचारियों में कुछ अदला बदली की गई है और यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ख) विदेशी मुद्रा सहित इस पर कुल क्या व्यय होगा ?

**उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में सम्भरण मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां । यह सामान्य तरीका है कि जब विदेशों में भारतीय व्यक्तियों का सेवा काल समाप्त हो जाता है तो उन्हें बदल दिया जाता है । 1–4–64 से दिसम्बर, 1964 तक की अवधि में भारतीय सप्लाई मिशन, वाशिंगटन के कर्मचारियों में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं अथवा किये जायेंगे :—

(एक) एक एस ० ए ० एस ० लेखापाल को वापस बुला लिया गया है और उसके स्थान पर भारत से एक अन्य एस ० ए ० एस ० लेखापाल को भेज दिया गया है ।

(दो) तीन सहायकों को वापस बुला लिया गया है और उनके स्थान पर भारत से 3 सहायकों को भेज दिया गया है ।

(तीन) एक उपमहानिदेशक वापस बुला लिया गया है । उसका स्थान शीघ्र ही भरा जायेगा ।

(चार) एक उपपत्र निदेशक के स्थान पर एक क्रय निदेशक को नियुक्त कर दिया गया है––पद को नीचे स्तर का कर दिया गया है ।

(पांच) एक लेखा अधिकारी के स्थान पर अन्य लेखा अधिकारी को अक्तूबर के आस-पास नियुक्त किया जायेगा ।

(ख) अनुमान है कि इन बदलियों पर 1,76,000 रु ० खर्च होंगे और इस कुल राशि में से विदेशी मुद्रा का भाग लगभग 62,000 रु ० होगा ।

## खनन सम्बन्धी अधिकार शुल्क

1753. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के अनेक खान मालिकों ने उड़ीसा सरकार द्वारा कानून के विपरीत भूतलक्षी—1953 से—प्रभाव से अधिकार शुल्क निर्धारण करने के विरुद्ध 1960 के खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को पुनर्विलोकन याचिकायें भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) पुनरीक्षण याचिकायें विचाराधीन हैं ।

## बोकारो स्टील लिमिटेड

1754. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के मुख्य मंत्री ने बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रमुख प्रबन्ध कार्यालय को कलकत्ता में स्थापित करने पर आपत्ति की है और यह सुझाव दिया है कि इस कार्य-स्थल पर ही स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)**: (क) और (ख). मुख्य मंत्री ने हमको लिखा है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि बोकारो स्टील लिमिटेड के कार्यालय को कलकत्ता में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है और इसे कार्यस्थल पर पर्याप्त मूल सुखसुविधाओं के उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र बोकारो में ले जाने की इच्छा है ।

## मध्य रेलवे पर हाल्टिंग स्टेशन

1755. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि केन्द्रीय रेलवे पर कुछ सवारी गाड़ियां करेली और बोहानी और करेली और नरसिंहपुर के बीच के स्टेशनों पर ठहरती हैं, फिर भी इन स्टेशनों के लिये टिकट नहीं दिये जाते हैं और इस प्रकार यात्रियों को काफी असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) टिकटें कब से दी जाने लगेंगी ?

**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)**: (क) और (ख). करपगांव और कथोरिया स्टेशनों को जो क्रमश: बोहानी और करेली और करेली और नरसिंहपुर के बीच स्थित हैं, गाड़ियों के मिलाप के लिये खोला गया था । कुछ गाड़ियां इन स्टेशनों पर केवल कार्य संचालन परियोजना के लिये ठहरती हैं । इन स्टेशनों के लिये टिकट इसलिये नहीं दिये जाते हैं कि इन स्टशनों को यात्रियों को टिकट देने के लिये नहीं खोला गया है ।

(ग) इन मिलाप के स्टेशनों को सवारी यातायात के लिये खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

**कोलम्बो में औद्योगिक प्रदर्शनी**

**1756. श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1965 में कोलम्बो में होने वाली औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें भारत द्वारा भाग लेने पर अनुमानत: क्या खर्च आयेगा ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमानत: खर्च 3,67,000 रु० है जिसमें 2,92,000 रु० के बराबर विदेशी मुद्रा है ।

**उड़ीसा में मैंगनीज की खानें**

**1757. श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री 1 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 171 तथा 10 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 995 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 से उड़ीसा की मेंगनीज़ खानों के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ; और

(ख) उत्पादन की गति तीव्र करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) 1961 के बाद उड़ीसा में मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

| | (उत्पादन मीट्रिक टनों में) |
|---|---|
| 1961 | 393,049 |
| 1962 | 421,814 |
| 1963 (जनवरी से जन) | 375,414 |
| 1964 (जनवरी से जून) | 206,066 |
| | 204,730 |

मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन 1963 में 1962 और 1961 के उत्पादन की अपेक्षा कम रहा। 1964 के प्रथम 6 मास में गत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले उत्पादन में केवल सीमान्त कमी रही ।

खान मालिकों द्वारा निदेशक, भारतीय खान विभाग को उत्पादन में कमी के निम्नलिखित कारण बताये गये हैं :—

(क) विदेशी मांग की कमी के कारण मैंगनीज़ अयस्क मंडी के मूल्यों में गिरावट ;

(ख) बरबिल की दूरी के कारण परिवहन की कठिनाई और बरसुआ पर लदान सम्बन्धी सुविधाओं का उपलब्ध न होना ;

(ग) दो खानों के पट्टों की अवधि समाप्त हो जाना ।

(ख) मैंगनीज़ अयस्क उद्योग को सहायता देने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(एक) नवम्बर, 1958 से मैंगनीज़ अयस्क पर से निर्यात शुल्क हटा लिया गया है ;

(दो) 1-4-63 से निर्यात किये जाने वाले मैंगनीज़ अयस्क पर रेल के भाड़ में 37 प्रतिशत तक की कमी कर दी गयी है जो कि फासलों पर निर्भर है ;

(तीन) 1 सितम्बर, 1963 से मैंगनीज़ अयस्क के निर्यातकों को यह आज्ञा दे दी गई है कि वे अपने निर्यात द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत भाग के बराबर, खानों के आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण और संधारण के लिये, मशीनें और उपकरण आयात कर सकते हैं।

(चार) अधिकार शुल्क की दरें पहले खान-द्वार मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती थीं। उनमें संशोधन करके टन भार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। आशा है कि इस सरल प्रक्रिया से खान मालिकों को सहायता मिलेगी;

(पांच) सरकार ने मैंगनीज़ अयस्क उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं, विशेषतः भारतीय मैंगनीज़ अयस्क के लिये मंडियां बनाये रखने के प्रश्न पर विचार करने के लिये, एक समिति नियुक्त की है।

**लौह और मैंगनीज अयस्क का निर्यात**

1758. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1961-62 से लौह और मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात में कमी हुई जिसके कारण विदेशी मुद्रा के अर्जन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अयस्क के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) **लौह अयस्क,** जी, नहीं। वास्तव में मात्रा और मूल्य दोनों के हिसाब से निर्यात में वृद्धि हुई है।

**मैंगनीज अयस्क** : 1961-62, 1962-63, 1963-64 और 1964-65 (अप्रैल-जून 1964) में मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात इस प्रकार रहा :—

| | हजार मीट्रिक टन | मूल्य (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| 1961-62 | 959 | 1032.96 |
| 1962-63 | 743 | 776.48 |
| 1963-64 | 944 | 805.73 |
| 1964-65 (अप्रैल—जून 1964) | 351 | 304.79 |

ऊपर के आंकड़ों से पता चलेगा कि निर्यात की कमी को रोक दिया गया है और अब निर्यात में वृद्धि हो रही है।

(ख) मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिये जो उपाय किये गये हैं, उनके बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

**मैंगनीज अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये उपाय**

1. खनिज तथा खनिज अयस्क की निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मैंगनीज़ अयस्क के निर्यातकों को इस बात की इजाज़त दी जायेगी कि वे अपने निर्यात की आमदनी का 10 प्रतिशत भाग, अपनी खानों के यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण के लिये, मशीनें, उपकरण, फालतू पुरज़े आदि आयात करने के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खनन की लागत घटाई जा सके। और कार्य कुशलता बढ़ाई जा सके। इस 10 प्रतिशत आयात में नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तर्क के बराबर रसायन आयात किये जा सकते हैं।

2. लौह और मैंगनीज़ अयस्क आदि जैसे खनिज अयस्क के निर्यात को बढ़ाने और भारत सरकार, खनिज तथा धात व्यापार निगम और सम्बन्धित व्यापार हितों में गहरा सम्पर्क स्थापित करने के लिये "खनिज अयस्क निर्यात सलाहकार समिति" के नाम से एक समिति स्थापित की गई है।

3. जबकि तीव्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा चल रही है विदेशों में भारतीय मैंगनीज अयस्क के लिये मण्डियां बनाये रखने की समस्याओं की जांच करने के लिये सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है "मैंगनीज अयस्क सम्बन्धी समिति।" इस समिति द्वारा जो सिफारिशें की जायेंगी उनके आधार पर मैंगनीज अयस्क पर रेल भाड़ा, पत्तन भार, स्वामिस्व आदि जैसे करों में अग्रेतर कमी करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

4. निर्यात के स्तर को बनाये रखने के लिये वस्तु विनिमय और सम्पर्क व्यवस्था के अन्तर्गत मैंगनीज अयस्क के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा वस्तु विनिमय के कई सौदे किये गये हैं।

**लिग्नाइट की खानें**

1759. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 को लिग्नाइट की खानों पर भी लागू किया जायेगा जिनका कि काम अब निवेली लिग्नाइट निगम द्वारा किया जा रहा है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)** : कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर सारे भारत में लिग्नाइट की खानों सहित सभी खानों पर लागू है। अतः यह नियम निवेली लिग्नाइट निगम की लिग्नाइट खान पर अपने आप लागू होता है।

**छोटी कोयला खानों का विलय**

1760. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी कोयला खानों के विलय के बारे में विधान पेश करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) और (ख) छोटी कोयला खानों के अनिवार्य विलय के लिये विधान पेश करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

## युगाण्डा में चीनी मिलें

1761. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्री मुरली मनोहर :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार युगाण्डा सरकार के सहयोग से युगाण्डा में कई चीनी मिलें स्थापित करने को राजी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां । सरकार, सिद्धान्त रूप से, युगाण्डा में चीनी उद्योग के विस्तार के लिये उनकी योजनाओं में युगाण्डा के अधिकारियों के साथ सहयोग करने को राजी हो गयी है ।

(ख) भारतीय सहयोग की शर्तों के बारे में वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में हाल में युगाण्डा का दौरा करने वाले भारतीय शिष्टमण्डल ने युगाण्डा के अधिकारियों से बातचीत की । भारतीय शिष्ट मण्डल और युगाण्डा के अधिकारियों के बीच आदान-प्रदान किया गया करार ज्ञापन में दोनों सरकारें संशोधन कर सकती है और उस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

## उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के वेतन स्तर

1762. **श्री बूटा सिंह :**
**श्री ुलशन :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे लेखा विभाग के विभिन्न श्रेणी के गर-राजपत्रित कर्मचारियों को 1-7-1959 से लागू पुनरीक्षित वेतन-स्तर दिया गया है और उनको बकाया का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नही, तो उनको किन कारणों से अभी तक पुनरीक्षित वेतन-स्तर नहीं दिये गये हैं ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) जी, हां । निम्नलिखित दो कर्मचारियों के अतिरिक्त :

(1) लेखी विभाग का एक प्रथम श्रेणी क्लर्क ये वेतन-स्तर लागू होने के समय से पहले से निलम्बित है और उसके विरुद्ध मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(2) एक गैस्टेटनर आपरेटर ने, जिसको 60--130 रुपये का निर्धारित वेतन-स्तर मिलता था, अपने कारणों से वही वेतन-स्तर स्वीकार किया ।
गैस्टटेनर आपरेटर के पद के लिये अधिकृत स्तर 105--135 रुपये हैं । उसने अपने व्यक्तिगत स्तर के समान अधिकृत स्तर देने के प्रस्ताव को नहीं माना, अब उसका वेतन उसकी स्वीकृति के अनुसार अधिकृत स्तर में निर्धारित करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

## केरल में कताई मिलें

1763. **श्री अ० ब० राघवन् :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से केरल के हर जिले में सहकारी आधार पर कताई मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ये मिलें किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी; और

(ग) योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

## त्रिपुरा में रेलवे लाइन

1764. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में धर्मनगर स्टेशन पर रेलवे सर्वेक्षण कर्मचारियों को त्रिपुरा के भीतर रेलवे लाइन के और विस्तार के लिये सर्वेक्षण कार्य जारी रखने के आदेश दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मील के लिये ?

**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## Gazetted Officers in the Ministry of Industry and Supply

1765. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state the number of gazetted officers belonging to S.C. and S.T. employed in his Ministry and the posts held by them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra)** : A Statement is attached.

STATEMENT

| S. No. | Designation of the Gazetted posts | Number of S.C. | Number of S.T. |
|---|---|---|---|
| 1 | Director (Grade II) | 1 | .. |
| 2 | Deputy Director | 3 | 1 |
| 3 | Development Officer | 1 | .. |
| 4 | Assistant Director (Gr . I) | 4 | .. |
| 5 | Research Officer | 1 | .. |
| 6 | Section Officer | 7 | .. |
| 7 | Asstt. Director (Physical) (Tn.) | 1 | .. |
| 8 | Inspecting Officer | 2 | .. |
| 9 | Asstt. Inspecting Officer | 15 | 2 |
| 10 | Superintendent Salt | 1 | .. |
| 11 | Librarian | 1 | .. |
| 12 | Examiner of Patents & Designs | 4 | .. |
| | TOTAL | 41 | 3 |

**Porters of Allahabad Station**

1766. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the porters of Allahabad station have sent a memorandum to his Ministry complaining against the working of the Railway Station Porters Co-operative Labour Contract Society Ltd., Allahabad ;

(b) if so, the charges made by the porters against the said Society; and

(c) the action taken by Government in this connection.

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) Yes.

(b) The main charges made were that the co-operative society is not a genuine one, some of the porters have been removed from the list of porters and some others are being harassed by the officials of the society.

(c) The Assistant Registrar, Co-operative Societies, U.P., Allahabad, had certified after enquiry that the society is functioning satisfactorily in accordance with the provisions of the Co-operative Societies Act. Other complaints have have been enquired into and found to be baseless.

**Begonia Mines**

1767. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 857 on the 18th September, 1964 and state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to restart mining operations in the Begonia mines; and

(b) if so, when these are likely to be taken up ?

**The Minister of Steel and Mines (Shri Sajniva Reddy)** : (a) and (b). The present managing agents for the mines have already initiated action to restart mining operations and expect to raise coal from about the beginning of the Fourth Plan. The question of Government itself restarting these mining operations does not arise at this stage.

## भारतीय खान ब्यूरो

1768. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों ने मांग की है कि उनको भारत के भतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के समान सुविधायें, वेतन तथा रोजगार की शर्तें दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो के ड्राइवरों ने मार्च, 1963 में एक अभ्यावेदन दिया था कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के ड्राइवरों को जो क्षेत्रीय प्रबन्ध भत्ता मिलता है वह उनको भी दिया जाये। तब से यह भत्ता उनको भी दिया जाने लगा है।

दूसरा अभ्यावेदन भारतीय खान ब्यूरो के कारखाने में काम के घंटे कम करने के बारे में है। इस पर विचार किया जा रहा है।

## विदर्भ में भूतत्वीय सर्वेक्षण

1769. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विदर्भ (महाराष्ट्र) जिले में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)** : (क) जी, हां। अक्तूबर, 1963 से जुलाई, 1964 तक की अवधि में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश में चान्दा, नागपुर, भंडारा और वर्धा जिलों में सर्वेक्षण किया। चान्दा में तांबे के लिये, भंडारा और नागपुर में क्रोमाइट के लिये और नागपुर में शीशा-जस्ता के लिये व्यापक सर्वेक्षण किया गया। चान्दा में कोयले के लिये भी छिद्रण कार्य किया गया।

(ख) सर्वेक्षण के परिणाम प्रतीक्षित हैं।

## उत्तर रेलवे में क्लर्कों की वरिष्ठता

1770. **श्री गुलशन** :
**श्री ओंकार लाल बेरवा** :
**श्री यशपाल सिंह** :

क्या रेलवे मन्त्री 11 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न सख्या 440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्कों की वरिष्ठता,

जो 4 अगस्त, 1931 के स्वर्गीय रेलवे लेखा नियन्त्रक के पत्र संख्या 93 ी ं के अनुसार वर्ष 1957 में निर्धारित की गई थी, वर्ष 1961 में बदल दी गयी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे विभाग में एक बार एक श्रणी में निर्धारित वरिष्ठता ो बदला नहीं जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में निर्देशित कर्मचारियों की वरिष्ठता को किन परिस्थितियों में बदला गया ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## मूंगफली और मूंगफली का तेल

1771. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूंगफली और मूंगफली में वायदा व्यापार की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) मूंगफली की नई फसल के, जिसके इस बार बड़ी होने की आशा है, व्यवस्थित विपणन के लिये तथा विशेषतः भांडागार आदि की सुविधाएं देकर किसानों के लिये मूल्यों को स्थिर करने में सहायता देने के लिये।

## स्टीमरों में उच्च श्रेणियों में पंखों की व्यवस्था

1772. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महेन्द्रू घाट और पलेजा घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच चलने वाले स्टीमरों में उच्च श्रेणियों में पंखों की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) पलेजा घाट और महेन्द्रू घाट के बीच चलने वाले स्टीमरों में उच्च श्रेणियों में पंखों की व्यवस्था पहले से ही है और ऊपर के डेक के बन्द सैलूनों में बिजली के पंखों की व्यवस्था कर दी गई है। आगे और पीछे के डेकों में पंखे नहीं हैं क्योंकि वे सिरों पर खुले हुए हैं और सामान्यतः वहां पर पंखों के बिना काफी ठंडी हवा रहती है।

## मद्रास में सीमेंट के कारखाने

1773. श्री म० प० स्वामी :
श्री परमशिवन :
डा० श्रीनिवासन :
श्री रेड्डियार :
श्री मलाइछामी
श्री थेनगोंडर :

क्या **उद्योग और सम्भरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास राज्य में वेल्लीपुर और राजापाल्यम के स्थान पर सरकारी क्षेत्र के सीमेंट कारखाने स्थापित करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) मद्रास सरकार राजापाल्यम के पास 400,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट का कारखाना स्थापित कर रही है । वैल्लीपुर में कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) 18 जून, 1964 को एक स्वीकृति पत्र भेजा गया था । कच्चे माल का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है । कारखाने तथा खनन प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित की जा रही है । सन्यन्त्र और मशीनों के निर्माण और सम्भरण के लिये टेंडर मंगाने हेतु सूचनाएं प्रकाशित कर दी गई हैं । मद्रास औद्योगिक विकास निगम, जो कि मद्रास सरकार द्वारा शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा, परियोजना का काम अपने हाथ में ले लेगा ।

## लाइसेंस शुदा कुलियों की मजूरी

1774. श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवेज़ पर लाइसेंसशुदा कुलियों की मंजूरी कब निर्धारित की गई थी ;

(ख) अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों की देखते हुए इस बीच किन-किन स्टेशनों पर इन मज़ूरियों का पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार भारतीय रेलवेज पर सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मजूरियों का पुनरीक्षण करना चाहती है ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) विभिन्न स्टेशनों पर सवारियों के सामान को ले जाने की मजूरियां अलग-अलग समय पर गत २० वर्षों में निर्धारित की गई थीं ।

(ख) वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि सहित समस्त बातों को विचार में रख कर कुछ स्टेशनों पर मजूरियों का पुनरीक्षण कर दिया गया है । यह जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है कि

किन-किन स्टेशनों पर मजूरियों का पुनरीक्षण किया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--3332/64।]

(ग) कुछ स्टेशनों पर मजूरियों की दरों में पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव सम्बन्धित रेलवे प्रशासनों के विचाराधीन हैं। ऐसा पुनरीक्षण आम तौर पर जोनल रेलवे के उपयोगकर्ताओं की परामर्शदाता समितियों से परामर्श करने के पश्चात् किया जाता है।

**भारतीय रेलों पर लाइसेंस शुदा कुली**

1775. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों पर लाइसेंसशुदा कुलियों से लाइसेंस शुल्क और पर्यवेक्षण-एवं-सुखसुविधा भार विभिन्न दरों से लिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस निधि में से कुलियों को क्या-क्या सुखसुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास निधि के पर्यवेक्षण-एवं-सुख सुविधा भाग को उनकी श्रमिक सहकारी समितियों को देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव के ब्योरे क्या हैं ?

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) लाइसेंसशुदा कुलियों से लाइसेंस शुल्क विभिन्न स्टेशनों पर अलग-अलग दर से लिया जाता है जो कि स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित है। शुल्क इस तरीके से निर्धारित किया जाता है कि उससे पर्यवेक्षक कर्मचारियों को रखने और रेलवे द्वारा वर्दी देने का खर्च पूरा हो जाये। कोई सुख-सुविधा भार नहीं लिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, रेलवे प्रशासकों द्वारा लाइसेंसशुदा कुलियों को निःशुल्क 'बहिरंग रोगी' चिकित्सा उपचार दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Exports**

1776. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of licences given during the last three years for the export of various commodities; and

(b) the value of goods exported during the last three years?

**The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :** (a) The number of licences given for the export of various commodities controlled under Export

Control Regulations in 1962-63 to 1964-65 were as follows: —

| Years | No. in '000 |
|---|---|
| 1962-63 | 37 |
| 1963-64 | 40 |
| 1964-65 | 15 |

(b) The value of goods exported in the last three years was as indicated below:—

| Years | Value in Lakhs of Rs. |
|---|---|
| 1962-63 | 71361 |
| 1963-64 | 79412 |
| 1964-65 (April-July) | 27094 |

## North-Eastern Railway Medical Officers

1777. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the N. E. Railway Medical Officers who get non-practising allowance and who earn some money by examining the patients privately have to give a part of it to Railways under the Rules ; and

(b) if so, the total income of the Railways therefrom from April, 1963 to March, 1964?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a). No. However before June, 1963 the doctors were required to deposit the whole amount of fees charged from non-railway persons temporarily staying with railway employees and claim their share later on.

(b) During the period from April, 1963 to June 1963 a sum of Rs. 105·20 paisa was only received by the N.E. Railway Administration.

## आन्ध्र के तम्बाकू के लिये विदेशी मण्डी

1778. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के स्टाक के लिये मण्डी का पता लगाने के लिये क्या कोई प्रतिनिधिमण्डल रूस तथा पूर्व यूरोपीय देशों को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) प्रतिनिधिमण्डल ने क्या काम किया है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां। एक तम्बाकू प्रतिनिधिमण्डल रूस, पोलैण्ड, पूर्व जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया का दौरा करने के बाद भारत लौट आया है।

प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

१. श्री एस० हमीद, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (नेता);

२. श्री एम० जे० ओजा, सयुक्त विभागीय प्रबन्धक, राज्य व्यापार निगम;

३. श्री के० रामाकृष्णमूर्ति, तम्बाकू, विशेषज्ञ, गुन्तुर; और

४. श्री ब० सुब्बा राव, गुन्तुर।

(ग) प्रतिनिधिमण्डल ने इन देशों के कुछ खरीदारों से ७,५०० मीट्रिक टन तम्बाकू की अतिरिक्त मात्राएं खरीदने के लिये आश्वासन लिये।

## Accommodation for North-Eastern Railway Employees

**1779. Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees working in the Operating, Stores and Medical Branches of the N.E. Railway Headquarters Office, Gorakhpur who got themselves registered for the allotment of quarters in 1957;

(b) the number out of them department-wise who have since been allotted accommodation and the latest year in which they got themselves registered ;

(c) the number still on the waiting-list department-wise; and

(d) whether the same set of rules is followed in the matter of allotment for all these Branches of the N.E. Railway Headquarters Office or there exist separate rules for each department?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

## Purvottar Railway Mazdoor Sabha

**1780. Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a deputation of the North-Eastern Railway Workers Union waited upon the General Manager of that Railway on the 6th September, 1964 and submitted to him a memorandum regarding harassment of workers by the Railway Administration; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken in the matter?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) Certain office bearers of the Purvottar Railway Mazdoor Sabha, an un-recognised Trade Union on North-Eastern Railway, formed part of a delegation which waited on the General Manager of the Railway on 6th September, 1964, and submitted a memorandum.

(b) The points raised in the memorandum are being examined.

### सूती कपड़े की कीमतें

1781. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 28 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : एक विवरण सभा पटल पर जाता है ।

### विवरण

कपड़ा उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है और इसमें कपड़े और धागे की बहुत सारी किस्में हैं। इसके अतिरिक्त ये किस्में एक उत्पादक के पास दूसरे उत्पादक से भिन्न होती हैं। फिर भी प्रशुल्क आयोग ने कीमतों की तह में पहुंचने का एक मोटा सूत्र निकाला है और कीमतों सम्बन्धी ब्योरे तैयार करने का काम सरकारी अभिकरणों (वस्त्र आयुक्त तथा अन्य अधिकारी) के लिये छोड़ दिया है। इसलिये मूल्य निर्धारण के लिये आयोग द्वारा विहित सूत्र को तुरन्त लागू करने के लिये इस सूत्र पर अग्रेतर कार्य किया जाना था। इसलिये मूल्य-निर्धारण के लिये आयोग की सिफारिशें अग्रेतर जांच के लिये सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति को निर्दिष्ट कर दी गई है। सुख्यात वस्त्र टेक्नोलोजिस्ट्स की एक तालिका ने भी आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन किया था।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने की अपनी नीति के अनुसरण में सरकार सूती कपड़ों के मूल्यों पर कानूनी नियंत्रण रखने के प्रश्न पर भी विचार करती रही है ।

आम जनता के उपभोग के लिये मिल के कपड़े के उत्पादन तथा मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में 28 सितम्बर, 1964 को एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। कानूनी नियंत्रण के अन्तर्गत मूल्यों को निर्धारित करते समय प्रशुल्क आयोग, तकनीकी समिति तथा वस्त्र टेक्नोलोजिस्ट्स की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है ।

### Gogameri Station in Bikaner Division (N. Railway)

1782. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
**Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 15th September, 1964 special train No. 516-P.D. No. 9 started from Gogameri Station in Bikaner Division on the Northern Railway 2½ hours later than its scheduled departure time ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that this train carried about 3,000 passengers and there were no arrangements for drinking water at the above railway station; and

(d) whether any complaint to this effect was made by the travelling public and if so, the action taken thereon?

**The Minister of state in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) and (b). As there are no stabling facilities at Gogameri, which is a wayside station on the Sadulpur-Hanumangarh metre gauge section, empty rake for the special train had to be worked from Ellenabad station, which is at a distance of 57 Kms. from Gogameri. The empty rake was scheduled to arrive Gogameri at 19·51 hours and the special was to start from there at 20·25 hours. Due to extra time taken for filling the water tank on the train at Ellenabad station and other detentions en route, the empty rake actually arrived at Gogameri at 20·25 hours. The reversing of the engine at this station took about 25 minutes as the shunting movements have necessarily to be slowed drown due to the crowded yard. In the meantime, about 100 passengers got on to the roof of the train. The de-roofing of the passengers caused further detention to the train and there was no margin to start the special train as 3BSH passenger from Hanumangarh, which provides a connection to 92 Down Bikaner Mail at Sadulpur, arrived Gogameri station at 22·08 hours according to schedule. The special train, therefore, left Gogameri at 22·18 hours or one hour and 53 minutes late.

(c) and (d). It is not correct that this train carried about 3,000 passengers. A complaint was registered in the Complaint Book about the scarcity of water but actually there was no lack of supply of water at the station.

---

## चीन द्वारा कथित अणु बम विस्फोट के बारे में

## RE : REPORTED ATOM BOMB EXPLOSION BY CHINA

**श्री नाथपाई** (राजापुर) : चूंकि आज इस सत्र का अन्तिम दिन है इसलिए देश की सुरक्षा की दृष्टि से हम यह जानना चाहते हैं कि चीनी अणु विस्फोट के कारण उत्पन्न स्थिति का सरकार का किस प्रकार सामना करने का विचार है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई चर्चा उठाई जाये और उसके लिये समय उपलब्ध हो, तब इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि उसकी अनुमति दी ही जानी चाहिये । जहां तक ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं का सम्बंध है, सरकार इस बारे में क्या वक्तव्य दे सकती है ।

**श्री नाथपाई** : चीन जैसे देश के पास अणु बम के होने से संसद् का चिन्तित होना उचित ही है । इसका हमारी सुरक्षा से बहुत गहरा सम्बंध है । सरकार ने अपनी ओर से इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है । अतः इस महत्वपूर्ण विषय को यहां पर उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

**श्री हेम बरुआ** (गाहाटी) : हम सरकार से विस्तृत जानकारी नहीं चाहते अपितु यह जानना चाहते हैं कि सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ।

**श्री बड़े** (खारगोन) : कम से कम संसद को तो इस बारे में चिन्ता है ।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : चूंकि आज वर्तमान सत्र का अन्तिम दिन है, इसलिये सरकार को इस महत्वपूर्ण मामले में अपना दृष्टिकोण सभा के सामने अवश्य ही रखना चाहिये ।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : इस अणु बम विस्फोट से जिन देशों का सीधा सम्बंध नहीं है उन्होंने भी इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है । हमारी चीन से दुश्मनी है और उसकी ओर से हमें हर समय खतरा बना हुआ है । अतः इस बदली हुई परिस्थिति में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये ।

**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : इस घटना से हमारा सीधा सम्बंध है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी तो अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया गया है, इसलिये इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता ।

**श्री भागवत झा आज़ाद** (भागलपुर) : चीन द्वारा अणु बम का विस्फोट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के कारण हम सब को बड़ी चिन्ता है । यह सत्र का अन्तिम दिन है, इसीलिये हमें अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर दिये जाने से पहले यह मामला उठाना पड़ा । सरकार को स्वयं ही इस मामले के सम्बंध में कोई वक्तव्य देना चाहिये था । सभा के अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने से पहले सरकार को बदली हुई परिस्थिति के बारे में अपनी प्रतिक्रिया सभा को बतानी चाहिये ।

**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मेरी राय में इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगना उचित नहीं होगा । यहां तक कि ब्रिटेन ने भी इस बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रकार इस चर्चा के उठाए जाने के पक्ष में नहीं हूं । मैंने श्री नाथपाई को लिखा था कि मैं इस मामले पर फिर से विचार करूंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई माननीय सदस्य जरूर ही मेरे कमरे में हाजिर हो । वे मुझे लिखकर मेरी राय जान सकते हैं । यदि मैं श्री नाथपाई से सहमत हो गया होता तो मैं सरकार से वक्तव्य देने के लिये कहता और यदि मैं सहमत नहीं भी होता तो भी इस मामले को उठाने के लिये अभी काफी समय था । परन्तु अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर दिये जाने से पहले इस मामले को नहीं उठाया जा सकता । क्या सरकार इस बारे में कुछ कहना चाहती है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : चीन में किसी भी ऐसी घटना के घटने से जिसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है हमारा चिन्तित होना स्वाभाविक है । परन्तु क्या बिना विचार किये इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में वक्तव्य देने से कोई फायदा होने वाला है ? आप इस मामले के बारे में विचार करके जो भी निर्णय करेंगे, उसका पालन किया जायेगा ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (बाढ़) : अमरीका को भी जो चीन से हजारों मील दूर है इस अणु विस्फोट के बारे में जानकारी थी परन्तु हमें मालूम नहीं है कि यह विस्फोट किस स्थान पर किया गया है, आदि । सरकार को लोगों को विश्वास दिलाना चाहिये कि इस विस्फोट से हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । बिना विचार करके कोई वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा ।

**संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : आपका आदेश मिलने पर जो भी जानकारी सरकार के पास है वह सभा के स्थगित होने से पहले सभा को दे दी जायेगी ।

**Shri Rameshwaranand** (**Karnal**): Everybody in the country is gripped with a sense of panic after reading in the news papers the news of nuclear a explosion by China. The Defence Minister should make a statement to allay fears of the countrymen.

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : इस तरह से मेरे जसे व्यक्ति को बोलने का अवसर ही नहीं मिल सकता क्योंकि हम आप की अनुमति मिलने पर ही ऐसा कर सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : जब दूसरे सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोल र हे हैं तो माननीय सदस्य भी ऐसा कर सकते हैं और कोई चारा नहीं है । यदि माननीय सदस्य चुप नहीं रहेंगे तो मुझे यहां से जाने के लिये मजबूर होना पड़ेगा ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : आप कोई समय निश्चित कर दीजिये ताकि हम प्रश्न पूछ सकें और मंत्री महोदय उनका उत्तर दे सकें ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने यही निवेदन किया था कि मुझे इस मामले पर पुनर्विचार करने का समय दिया जाये । परन्तु माननीय सदस्यों को यह मंजूर नहीं था ।

अब हम अल्प सूचना प्रश्नों को लेंगे ।*

---

## अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर
## SHORT NOTICE QUESTION

### Conference of the Ministers of Food and Agriculture

**S.N.Q. 11. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether an informal Conference of the Ministers of Food and Agriculture of the States was held in Delhi recently ;

(b) if so, the decisions taken thereat ;

(c) whether the worsening food situation in Uttar Pradesh was also discussed in this Conference ? and

(d) if so, the decisions taken in that regard ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). जी हां । २४ और २५ सितम्बर, १९६४ को नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक हुई । विचार विमर्श में बीजों का प्रवर्धन तथा वितरण, उर्वरकों का वितरण, भूमि सर्वेक्षण, पौध रक्षा उपाय, सिंचाई प्रबन्ध तथा जल-प्रयोग, कृषि प्रशासन तथा विस्तार और कृषि अनुसंधान का पुनर्गठन शामिल थे । बैठक द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों तथा निष्कर्षों के विषय में विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखि संख्या एल० टी०—३३३३/६४**]

(ग) और (घ). जी नहीं ।

**Shri Prakash Vir Shastri :** The former Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture once said in this House that Government was considering to integrate all the departments related to agriculture. But this state-

---

*अल्प सूचना प्रश्नों को प्रश्नोत्तर भाग के अन्तर्गत दिखाया गया है ।

ment is silent about any action being taken in this regard even when this problem has taken a grave form, nor there is any mention of the small irrigation schemes. Have he deferred its earlier decision to integrate all the departments related to agricultural production and if not the time by which it is likely to be implemented ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह एक पृथक प्रश्न है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की बैठक के लिये कृषि मंत्रियों की उपस्थिति का लाभ उठा कर विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिये मैंने उनके साथ एक अनौपचारिक सम्मेलन में बातचीत की थी । इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार अन्य विषयों की ओर ध्यान नहीं दे रही है । वे सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं ।

**Shri Prakash Vir Shastri :** Recently the Minister of Food and Agriculture had stated in this very House that they would distribute food grains in a way as would sufficiently meet the requirements of Uttar Pradesh. Two days after this statement was made, Shrimati Sucheta Kripalani had alleged that Centre was not supplying adequate quantity of Food grains as a result of which the Government grain shops ran short of the stocks. Afterwards only half the ration of Foodgrains was supplied and due to this the conditions in U.P. have become critical. In view of all this whether the Central Food Minister is going to take special decisions regarding the Food situation in U.P. to check further discontentment in the public.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिये विशेष निर्णय करना पड़े । परन्तु यह एक सर्वथा भिन्न बात है । खाद्य स्थिति के बारे में मैं एक विवरण रख रहा हूं जिसमें उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति का भी उल्लेख किया गया है ।

**Shri Bade :** Did every State lay its requirements in the Agriculture Ministers meeting and whether Madhya Pradesh also spoke of its requirements ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन नहीं था, यह कृषि मंत्रियों का सम्मेलन था, जैसे कि मैंने स्पष्ट कहा था । अतः हमने देश में हो रहे कृषि विकास पर ही सामूहिक रूप से विचार किया ।

**Shri Sinhasan Singh :** This statement does not indicate that government have fixed any price for the fertilizers. The available supply is very dear and is not in the interest of the farmers. Whether the government are considering to reduce this price, and the committee have considered to give any subsidy. Farmers should know before the Rabi crop the rate on which the fertilizers will be supplied to them.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अभी तो कीमतों का कोई प्रश्न नहीं है । यह तो सम्भरण का प्रश्न है । जो कुछ हमारे पास होगा वह हम बेच सकते हैं । मैं इससे सहमत नहीं हूं कि बाद में कीमतें भी एक उपयुक्त प्रश्न होगा । जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि एक समिति नियुक्त की गयी है जोकि इस सारे मामले पर विचार करेगी ।

**श्री दाजी** : क्या सम्मेलन ने कोई बीज निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है ताकि बीज का वितरण किया जा सके ? यदि हां तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अगले बोने के समय तक इस निगम के द्वारा बीज उपलब्ध हो जायेंगे । और क्या यह निगम उर्वरकों की कीमतों को कम करने पर भी विचार करेगा ताकि किसान आसानी से इसे ले सके ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उर्वरकों के बारे में मैंने अभी कहा है कि एक समिति की स्थापना की जा रही है जो कि इस मामले पर विचार करेगी। उसकी सिफारिशों पर विचार किया जायेगा। एक बीज निगम तो अब भी चल रहा है जो मक्की इत्यादि का कार्य करता है। एक निगम और भी स्थापित किया जाना चाहिए इस दृष्टि से अन्य निगम की स्थापना की गयी। हमारा यही विचार था कि इन निगमों द्वारा लाभदायक कार्य होगा।

**Shri Ram Sewak Yadav :** I want to know whether the conference of Agriculture Ministers considered the proposal of giving encouragement to the farmers by exempting those who are not getting benefit from the agriculture, from the revenue and also give them some financial facilities ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी नहीं।

**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि यह कृषि मंत्रियों का सम्मेलन था और उसका खाद्य समस्या से कोई सम्बन्ध न था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में देश में हो रही खाद्यान्नों की कमी के विषय पर चर्चा हुई ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : आज की खाद्य स्थिति तथा खाद्य वितरण के बारे में चर्चा नहीं हुई वहां तो हमारा सम्बन्ध खाद्य उत्पादन से था, आखिर उसके आधार पर, ही तो वितरण सम्भव हो सकता है।

**श्री रंगा** : यह तो अनौपचारिक सम्मेलन था। इससे भारत सरकार और पंजाब सरकार की कार्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रियों को इस प्रकार के सम्मेलन में अपने साचिवों का परामर्श प्राप्त होता रहता है ताकि वे केन्द्रीय मंत्रियों के सहयोग से उचित निर्णयों पर पहुंच सकें? इस सम्मेलन और उस सम्मेलन में क्या अन्तर होता है, जहां कि पूरी तैयारी से निर्णय किया जाता है ? क्या कारण है कि सरकार को सामान्य रास्ता छोड़ते हुए यह नयी प्रक्रिया अपनानी पड़ी और लोगों को ठीक निर्णय पर पहुंचने में सहायता प्राप्त होती है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैंने कृषि मंत्रियों को अनौपचारिक बैठक के लिए लिखा था ताकि विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा सके। मैंने उनको विषयों की अनुसूची भी दी थी और नोट भी भेजे थे। वास्तव में सभी चर्चा करने की तैयारी करके आये थे। वैसे यह अनौपचारिक बैठक थी। एक और भी सरकारी सम्मेलन में वे आये तो मैंने भी इस अवसर पर उनकी बैठक बुला ली।

**श्री इकबाल सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि वस्तु समिति को समाप्त कर देने के बारे में कृषि मंत्रियों का मत क्या था ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : देश में गवेषणा कार्य के पुनर्गठन के लिए वस्तु समिति के निर्माण और कार्यक्रम के बारे में उप समिति की सिफारिशें उन के समक्ष रखी गयी थी। सामान्यतः मेरा विचार यह है कि वस्तु समिति के कार्य को केन्द्रीय निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को दिया जा सकता है।

**श्री भागवत झा आजाद** : अनौपचारिक समिति में सारा अनुमान लगाने के बाद खाद्य तथा कृषि मंत्रियों का सम्मेलन किसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि किस प्रकार आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : उनको काफी आशा और विश्वास था कि आने वाले समय में वे उत्पादन बढ़ा सकेंगे ।

**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या इस बैठक में राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन बोर्ड निर्माण करने के मामले पर भी विचार किया था । यदि हां, तो इसके बारे में कृषि मंत्रियों का मत क्या है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कृषि उत्पादन बोर्ड तो पहिले ही स्थापित किये जा चुके हैं । इनका निर्माण डा० राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में की गयी उप समिति की सिफारिशों के अनुसार किया गया था । इनका उदेश्य राज्य तथा अन्य कृषि सम्बन्धी सभी विभागों के समन्वय के लिए है । ये बोर्ड कार्य कर रहे हैं ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार बिहार में बाढ़ों के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार करेगी । इस से 5 लाख टन खाद्यान्नों की फसल प्रभावित हुई है, क्या इस विपत्ति में सरकार बिहार की सहायता करने के मामले पर विचार करेगी ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : प्रभावित क्षेत्रों को बीज देने का प्रश्न था, और हमने यह निर्णय किया कि पंजाब से काफी मात्रा में बीज लिया जाय और उसे बिहार भेजा जाय ।

**Shri Sarjoo Pandey** : It has been stated just now that there has been no talk regarding the seeds in Uttar Pradesh. Now the situation in Eastern Uttar Pradesh is very bad and the state government tell the people that centre is not giving us seed, whether the central government are thinking of taking an early decision so that the farmers in Uttar Pradesh may get seed.

**Mr. Speaker** : This is a different question, another question regarding supply is also coming. You can ask this supplementary at that moment, I will give you an opportunity.

## Prices of Foodgrains

**S.N.Q. 12. Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Food and Agrculture** be pleased to state :

(a) whether the committee set up to determine the prices of agricultural products and foodstuffs has submitted its report ;

(b) if so, the extent to which Government are agreeable to its conclusions ; and

(c) the time from which those prices will be enforeced ?

**The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam)** : (a) to (c) : An *ad hoc* committee under the Chairmanship of Shri L. K. Jha was appointed to advise the Government on the prices of rice, paddy and wheat to be fixed during the coming kharif and rabi seasons. They were also to advise the Government about the terms of reference for the proposed Agricultural Prices Commission to be set up. The Committee has submitted its report in respect of the prices of rice and paddy and the producers' prices for wheat. This is under consideration at present.

**Shri Prakash Vir Shahstri :** The basis on which the committee appointed to fix the prices of food grains, have fixed such prices, whether the committee also considered the advice of the representatives of the farmers ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जैसे मैंने इस से पूर्व भी कहा है कि यह तदर्थ समिति खरीफ और रबी की फसल के मामले में तुरन्त सिफारिशें करने के लिए थी । परन्तु समिति सारे हालात का अध्ययन न कर सकी । यह काम कृषि मूल्य आयोग द्वारा किया जायेगा जिसकी कि स्थापना की जा रही है । उस समिति ने चालू वर्ष और गत वर्ष की की मतों का तुलनात्मक अध्ययन करके मूल्यों के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की ।

**Shri Sinhasan Singh :** Regarding the fixing of foodgrain prices Hon'ble Minister said in a statement before the A.I.C.C. that the prices will be finally fixed by the end of September. As the fresh grain is coming in market, the prices should be fixed as early as possible so that the farmers may with confidence sell their goods to Government alone ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मेरा विचार नहीं कि मैंने 15 सितम्बर, की तिथि की बात की थी । मेरे विचार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में मैंने 15 अक्तूबर की बात की थी । मेरे विचार में उस दिन तक हम यह काम कर देंगे । वैसे तो देश के विभिन्न भागों से थोड़ा बहुत अनाज आ ही रहा है परन्तु असली फसल 15 अक्तूबर के बाद आनी आरम्भ होगी । आशा है कि 15 अक्तूबर से पूर्व ही सरकार की ओर से घोषणा कर दी जायेगी ।

**Shri Prakash Vir Shastri :** I want to know whether after the fixation of prices the farmers will be free to sell their produce to the Government or the private party at their will by getting the reasonable price.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वास्तव में हम बड़े उचित मूल्य ही निर्धारित कर रहे हैं। इससे किसानों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा । हमारी सिफारिश यही होगी कि सरकार की दर पर कोई भी किसान जितना भी अनाज वह सरकार को बेचना चाहेगा, बेच सकेगा, । कीमतों के बारे में क्या झा समिति ने भी सिफारिश की है, । उनकी सिफारिशों पर भी चर्चा की गयी है, और राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया । मुझे आशा है कि 15 अक्तूबर से पूर्व मैं निर्णय की घोषणा कर दूंगा ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि मूल्य निर्धारण के न होने के कारण अनाज की तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, उसका मुकाबला करने के लिए सरकार क्या कर रही है ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह तो चर्चा नयी फसल के उल्लेख से की गयी है, बढ़ी हुई कीमतों के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं और मैं विस्तार से बता चुका हूं कि सरकार इस बारे में क्या पग उठा रही है ।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्षेत्रीय व्यवस्था को हटा देने का प्रभाव भी कीमतों पर पड़ेगा ? क्या कीमतों के बारे में विचार करते हुए क्षेत्रीय व्यवस्था को हटा देने के बारे में भी विचार किया जायेगा ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** इस मामले पर दो भागों में विचार किया जायेगा । एक गेहूं के मामले में और एक चावल के मामले में। जहां तक गेहूं के क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैंने स्पष्ट कह दिया है कि इस पर तो केवल आगामी फ़सल के समय में ही विचार किया जा सकता है चावल के मामले पर अभी हाल ही विचार हो सकता है ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश को बीज दिया जायेगा । अब जब कि पंजाब को बीज दिया जा रहा है, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह बीज उत्तर प्रदेश के किसानों को किस समय प्राप्त होगा ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** इस प्रश्न के साथ इस बात का कोकोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता फिर भी . . .

**अध्यक्ष महोदय :** श्री राम सेवक यादव ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** श्रीमान जी, माननीय मंत्री इसका उत्तर देने को तत्पर हैं।

**Shri Ram Sewak Yadav:** In order that the producer may set the reasonable rate of the foodgrains and the consumer may be able to buy the food grain on reasonable rate, is it not necessary to consider the question of fixing prices of other essential commodities.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** झा समिति ने अब अन्य चीजों की कीमतों के बारे में विचार नहीं किया है । उन्होंने केवल गेहूं और चावलों की कीमतों को निर्धारण करने की ही बात की है । इन दो पदार्थों के बारे में ही उन्होंने सिफारिशें की हैं। अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में भिन्न आधार पर विचार किया जायेगा ।

**राज्यों को खाद्यान्न का सम्भरण**

+

**अल्प सूचना प्रश्न संख्या 13.** 
**श्री काशीनाथ पाण्डे :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री ब्रिज बिहारी मेहरोत्रा :**
**डा० सरोजिनी महिषी :**
**श्री उमा नाथ :**
**श्री यल्लमन्दा रेड्डी :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों को खाद्यान्न के संभरण में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(घ) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार किसी अन्य आधार पर न हो कर सरकारी आधार पर विनियमित किया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख) जी हां। विभिन्न राज्यों में सितम्बर मास के दौरान गेहूं की कमी हो गई थी। इसका एक कारण तो यह था कि विदेशों से गेहूं कम मिला क्योंकि अमरीका के पत्तनों पर हड़ताल हो गई थी।

(ग) इस बात की व्यवस्था की गई है कि विदेशों से गेहू का आयात करने की दिशा में तीव्रता लाई जाय। इसके अतिरिक्त कमी वाले क्षत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल की अतिरिक्त कोटि भी उपलब्ध कर ली गई है।

(घ) और (ङ) इस मामले पर 26 सितम्बर, 1964 को मद्रास में हुए खाद्य मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में भी विचार हुआ। मामला विचाराधीन है।

**श्री काशीनाथ पांडे** : खाद्य मंत्री महोदय के कथनानुसार उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि लोगों का कोटा आधा कर दिया गया है। अब इस वक्तव्य से और मुख्य मंत्री के वक्तव्य में कैसे समन्वय हो सकता है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर सबसे प्रथम जून में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी। मैंने प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री से व्यक्तिगत रूप में भेंट करके विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को जानने का प्रयत्न किया। जो कुछ मुझे बताया गया उसके आधार पर ही मैंने आलाटमेन्ट कर दी। जुलाई, में मुझे पता लगा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है। अतः मैं सारी स्थिति की जानकारी के लिये स्वयं लखनऊ गया। मैंने उनको आश्वासन दिया कि उन्हें कम से कम 105,000 टन प्रति मास दिये जायेंग। यह जुलाई में चलता रहा। अगस्त में हम ने 105,000 टन के स्थान पर 121,000 टन दिया। अर्थात् 16,000 टन अधिक दिया। सितम्बर, में कुछ स्थिति खराब थी और हम 85,000 टन से अधिक न दे सके। यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं थी प्रत्युत् सब राज्यों में ऐसी ही स्थिति थी।

**Shri Vishwanath Pandey :** I want to know the quantity of seeds that was demanded by the Uttar Pradesh Government at the time of sowing and assurance of supply of wheat, grams and peas given by the Central Government and the time by which the supply will be made ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : इस मामले में हमें आंक ठीकड़े प्रकार से एकत्रित कर नहीं सके। परन्तु अन्तिम आंकड़े इस सम्बन्ध में यह हैं कि यह 50,000 टन हैं। ये 50,000 टन हम पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश को देने का यत्न कर रहे हैं।

**Shri Braj Bihari Mehrotra :** Honouralbe Minister stated here on the floor of this House that the he will give 105 tonnes to Uttar Pradesh but when even 46 thousand was not available upto September, then how the assurance will be implemented. The sowing season will begin from 15th of October.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : बीज उत्तर प्रदेश को भेजे जा रहे हैं। पंजाब इस मामले में बीज की उपलब्धि के लिए पूरा प्रयत्नशील है। प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी राज्यों को बीज दिया जा सके।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि चाय बागान क्षेत्र में चावल की बहुत कमी है और वहां श्रमिकों की संख्या 12 से 13 लाख के लगभग है। क्या आसाम सरकार की मांग को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। वहां की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है। क्या राज्य को कुछ और अधिक सम्भरण किया जा रहा है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मेरी जानकारी के अनुसार तथा जो कुछ मेरी आसाम के मंत्री से बातचीत हुई उसके अनुसार आसाम की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले में अच्छी है।

**श्री रंगा** : आंध्र में जो अनर्थ हो रहा है, और वहां गत दो मास में जिस प्रकार की स्थिति रही है। अक्तूबर, और नवम्बर, में आंध्र प्रदेश को गेहूं और चावल अधिक मात्रा में देना पड़ा।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं कल आन्ध्र गया था और बाढ़ पीढ़ित क्षेत्रों का हवाई जहाज से सर्वेक्षण भी किया। मैंने कुछ बाढ़पीढ़ित कस्बों का भी दौरा किया। निस्सन्देह क्षति काफी हुई है लेकिन जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, अभी इस बारे में हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मुझे कुछ आशा है कि क्षति इतनी नहीं होगी जितनी कि आशा है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य की इस बात से भी सहमत हूं कि अक्तूबर में गेहूं की, चावल की नहीं, कमी हो सकती है। उन्होंने अधिक गेहूं मांगा है और मैं आन्ध्र को अधिक गेहूं देने को राजी हो गया हूं।

**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या यह सच है कि सरकार को राजस्थान राज्य समेत विभिन्न राज्यों से इस बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि रोलर आटा मिल की क्षमता आयातित गेहूं के संभरण के अभाव में भी बन्द पड़ी है ? यदि ऐसी बात है तो सरकार उनको कुछ तत्काल सहायता देने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का "आयातित गेहूं भी" से क्या तात्पर्य है। आयातित गेहूं का संभरण कम हो रहा है। इसीलिये हमें कठिनाई हो रही है। हम अक्तूबर, में गेहूं का अधिक आयात करेंगे और मुझे आशा है कि स्थिति में सुधार होगा।

**श्री यलमन्दा रेड्डी** : बाढ़ के कारण गंभीर स्थिति को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय चावल का संभरण करने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध कर रहे हैं ? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या विशेष ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं नहीं समझता कि हम स्थिति को और गंभीर बनायें। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, आन्ध्र में चावल की कोई कमी नहीं है।

**श्री रंगा** : आप गलत कह रहे हैं।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : आखिर मैं कल वहां गया था।

**श्री रंगा** : आप वहां गये होंगे । अक्तूबर और नवम्बर सबसे अधिक कमी वाले महीने हैं। आपको पता नहीं है और यह भी नहीं चाहते कि आपको उचित परामर्श दिया जाये ।

**श्री नम्बियार** विमान द्वारा कमी का पता नहीं लगाया जा सकता है ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : उसका यहां से भी पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इस बारे में मैंने राज्य सरकार से बात की है और मुझे विश्वास है कि चावल की स्थिति पर माननीय सदस्य प्रसन्न होंगे क्योंकि यह बड़ी संतोषजनक है। इसको अन्य कमी वाले क्षेत्रों को भेजने का प्रश्न है। इसके लिये यह आवश्यक है कि किसी अन्य राज्य से चावल भेजा जाये। आन्ध्र में चावल उपलब्ध है और यह कमी वाले क्षेत्रों को भेजा जायेगा। इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अतः उनके बाहर से संभरण पर निर्भर रहने का कोई प्रश्न नहीं है। आन्ध्र सरकार द्वारा सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि वे स्थिति के प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं।

**श्री नाथ पाई** : महाराष्ट्र के कुछ भागों में मौजूदा भारी अभाव की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि राज्य में, जो कि बड़ा कानून-पालक राज्य है, कुछ खाद्यान्न की दुकानों पर हुए दंगों और लूटमार की घटनाओं से पता चलता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार महाराष्ट्र राज्य की मांग को पूरी करने के लिये कुछ कर रही है और क्या उस राज्य में वर्तमान कठिनाई को दूर करने के लिये कोई प्रभावशाली कदम उठा रही है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हम महाराष्ट्र की भरसक सहायता कर रहे हैं । वास्तव में, अन्य राज्यों ने भी यह आरोप लगाये हैं कि महाराष्ट्र को पहले भंडार दिया जाता है क्योंकि बम्बई ही एक ऐसा मुख्य पत्तन है जहां से यह आयात किया जाता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि, बम्बई उनके राज्य में होने से, उन्हें पहले मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको अपने अभ्यंश से अधिक मिलता है। उनको उनके अभ्यंश के भीतर ही मिलता है । हम महाराष्ट्र की स्थिति पर गौर कर रहे हैं और इसको यथासभव पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय आंध्र में खाद्य की स्थिति से किस कारण संतुष्ट हैं। आन्ध्र प्रदेश में दो या तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर खाद्यान्न के बारे में दंगे हुए हैं और गोलियां चली हैं। अब मंत्री महोदय का कहना है कि आन्ध्र में स्थिति संतोषजनक है। क्या वह स्थिति पर पुनर्विचार कर अपने वक्तव्य पर विचार करेंगे और आन्ध्र को अधिक चावल देने का प्रयत्न करेंगे ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : दक्षिणी ज़ोन में आन्ध्र ही फालतू अनाज वाला राज्य है जहां 8 से 9 लाख टन तक फालतू अनाज पैदा होता है और वहां से समीपवर्ती मैसूर और केरल राज्य को चावल का संभरण किया जाता है। यदि माननीय सदस्य आन्ध्र को भी कमी वाला राज्य बनाना चाहते हैं तो कोई भी स्थिति को नहीं सुधार सकता ।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या मध्य प्रदेश से गेहूं की तत्काल मांग की गई है और यदि हां, तो कितनी मांग की गई है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी मांग पूरी की है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मध्य प्रदेश ने भी मांग की है। मध्य प्रदेश में भी सदैव फालतू अन ज रहता है। लेकिन अब फालतू अनाज वाला हर राज्य स्वयं को कमी वाला राज्य बनता रहा है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश में स्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री मनी राम बागड़ी ।

**श्री यलमन्दा रेड्डी** : **स्पष्टीकरण के प्रश्न पर. . . (अन्तर्बाधा)**

**संचार तथा संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? बिहार में खाद्यान्न की स्थिति कैसी है ?

---

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में

## Re : MOTION FOR ADJOURNMENT

**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी ) : आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । मेरे राज्य में बड़ी मात्रा में छात्रों के गिरफ्तार किये जाने तथा पुलिस के अत्याचार के बारे में हमें तार पर तार प्राप्त हो रहे हैं । सरकार ने उड़ीसा के कुछ मंत्रियों के बारे में हमारे द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं की है जिसके कारण वहां के लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है । अतः आप इस मामले पर पुनर्विचार करें । कम से कम मंत्री महोदय को उस ज्ञापन पर की गई कार्यवाही के बारे में वक्तव्य देने के लिये कहा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोंदय : मैं इसके बारे में इस समय कोई उत्तर नहीं दे सकता । उन्होंने मेरा ध्यान उस ओर दिला दिया है और मैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा ।

---

## सत्र के अन्तिम दिन सदस्योंको एक घंटे का समय दिया जाना

## ALLOTMENT OF AN HOUR TO MEMBERS ON THE LAST DAY OF A SESSION

श्री रंगा (चित्तूर ) : मेरा निवेदन है कि आप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिससे सत्र के अन्तिम के एक अथवा दो दिन के लिये सदस्यों के लिये कुछ समय निश्चित किया जा सके क्योंकि स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों की अनुमति न दिये जाने पर सदस्य अपनी बात नहीं कह सकते हैं । अतः अपने उद्गार व्यक्त करने के लिये उन्हें कुछ समय दिया ही जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं कि सत्रके अन्तिम दिनों में काम का जोर रहता है । सदस्य इस बात को ध्यान में रखगे कि मैंने अन्तिम के दो तीन दिनों में प्रत्येक दिन अल्प सूचना प्रश्नों की अनुमति दी है । आज भी अल्प सूचना प्रश्नों पर एक घण्टा खर्च हो गया है । इंगलैंड की संसद् में सदस्यों को सत्र के अन्तिम दिन आधे घण्टे का समय दिया जाता है और उस समय में सदस्य जो जी चाहें कह सकते हैं । यदि माननीय सदस्य की वैसी राय है तो मैं वही प्रक्रिया यहां पर भी अपनाने के लिये तैयार हूं ।

**संचार तथा संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : सरकार की ओर से मेरा निवेदन है कि आप आधे घण्ट की बजाय इसे एक घण्ट कर दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । परन्तु यह प्रक्रिया अगले सत्र से लागू होगी ।

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### 28 सितम्बर, 1964 को बारामूला में कथित दो बम विस्फोट घटनाएं

**Shri Bagri** (Hissar) : I call the attention of the Home Minister to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

"Reported explosion of two bombs in Baramulla, Jammu and Kashmir, on the 28th September, 1964."

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) :** On the 28th September, 1964, at about 12·30 hours two bomb explosions took place—one outside the Tehsil headquarters in Baramulla and the other beneath the bridge on the river Jhelum in Baramulla district. Slight damage was caused to the bridge. No damage was caused to the building near the tehsil headquarters. These explosions occurred at 15 miles inside the cease-fire line. Investigations with the help of police dogs are in progress and military experts have also been called to help in these investigations.

**Shri Bagri :** There is always tension and disorder in Jammu and Kashmir state and the main cause of it is that either Shaikh Abudullah or Bakshi is kept behind the bars. Do Government propose to review the position in the light of the above ?

**Shri Hathi :** The Pakistani spies alone have a hand in these explosions.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas). Detention of Bakshi Gulam Mohammad is the main cause of the recent increase in such incidents. Do Governm:nt intend to repeal article 370 of the constitution in the case of Jammu and Kashmir State keeping in veiw these incidents ?

**Shri Hathi :** The question of repeal of article 370 does not arise out of this. As stated earlier, such incidents have been happening there since 1957. The situation there is not so serious.

**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : पाकिस्तान के राष्ट्रपति की हाल की ब्राडकास्ट को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार को अब यह विश्वास हो गया है कि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध दोहरा प्रहार शुरू कर दिया है—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक चाल द्वारा तथा देश के अन्दर भारतीयों को पाकिस्तानी एजेंट बना कर उनके द्वारा तोड़फोड़ के कार्य करवा कर ?

**श्री हाथी** : सरकार को पता है कि देश के अन्दर तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में पाकिस्तानी एजेंटों का हाथ है ।

**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा)** : राजनीतिक प्रचार तो काफी समय से चल रहा है । वह सब कुछ हमारे ध्यान में है ।

**Shri Naval Prabhakar** (Delhi Karol Bhah) : What is the opinion of the military experts about those two bomb explosions ?

**Shri Hathi :** Their report has not yet been submitted to me.

**श्री पें० वेंकटा सुब्बाय** (अडोनी) : भारत में पाकिस्तानी जासूसों के अतिरिक्त, यह सन्देह है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार की सेवाओं में कुछ जासूस घुस आए हैं और यही कारण है कि वहां पर आए दिन बम विस्फोट तथा तोड़फोड़ की घटनाएं होती रहती हैं। यदि ऐसा है, तो क्या सरकार राज्य सरकार को अपने अधिकारियों की जांच करने के लिये कहेगी ताकि अवांछनीय तत्वों को नौकरी से अलग किया जा सके ?

**श्री हाथी** : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार के अधिकारी वर्ग में कुछ पाकिस्तानी जासूस घुस आए हैं परन्तु दूसरे लोग अवैध रूप से राज्य में प्रवेश करते रहते हैं और उसे रोकने के लिये व्यवस्था को मजबत किया जा रहा है।

---

## उपमंत्रियों का परिचय

## INTRODUCTION OF DEPUTY MINISTERS

**संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से, मैं आप को तथा सभा को पू० शे० नास्कर तथा श्री रामेश्वर साहू से परिचित कराता हूं जिन्हें 1 अक्तूबर, 1964 को राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः स्वास्थ्य उपमंत्री तथा वित्त उपमंत्री की शपथ दिलाई गई थी।

---

## जम्मू तथा काश्मीर में स्थिति के बारे में

## *RE* : SITUATION IN JAMMU AND KASHMIR

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री को अपनी बात कहने के लिये एक दो मिनट का समय देता हूं।

**Shri Prakash Vir Shastri** (Bijnaur) : A letter signed by 31 Members of Parliament was addressed to the Prime Minister requesting him to make a statement on the explosive situation obtaining in Jammu and Kashmir. He had indicated to me at the time of my interview with him that if possible a statement would be made by the Home Minister to clear the ambiguities lurking in the minds of the people of Kashmir and the rest of the country regarding the position of Kashmir, before the termination of the present session. The Home Minister is now present in the House. If you think it proper, then allow the Home Minister an opportunity to make a statement thereon.

**Mr. Speaker :** There is no meaning in my allowing an opportunity. If he wants to make a statement, I shall readily give him an opportunity.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** I had also asked a question . . .

**Mr. Speaker :** It is too late now. I shall include his name also along with Shri Prakash Vir Shastri's name.

---

# आंध्र प्रदेश में बाढ़ स्थिति के बारे में

## *RE*: FLOOD SITUATION ANDHRA PRADESH

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : श्री चि० सुब्रह्मण्यम तथा डा० कु० ल० राव ने आंध्र प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को हुई क्षति का हाल में विमान द्वारा सर्वेक्षण किया था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे बाढ़ से हुई हानि तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को दी जाने वाली राहत के बारे में आज वक्तव्य दे सकेंगे ?

**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मैं अभी कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया जा रहा है अथवा दिया जा चुका है और मैं डा० कु० ल० राव से यहां पर भी वही वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : प्रक्रिया सम्बंधी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो गया है। सरकार ने राज्य सभा में वक्तव्य देना उचित समझा जबकि यहां पर वह नहीं दिया गया है। वह प्रतीक्षा कर रही थी कि हम पहले इस वक्तव्य की मांग करें और अध्यक्ष महोदय से झगड़ा मोल लें। हम से सरकार द्वारा स प्रकार का व्यवहार किया जाना उचित नहीं है।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : राज्य सभा में एक ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव पहले से मौजद था। मैंने यह उचित समझा कि उस क्षेत्र के मेरे द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण सम्बंधी जानकारी भी उस वक्तव्य में जोड़ दी जाये जो वहां दिया जा रहा था।

**श्री पें० वेंकटा सुब्बया** : परन्तु यहां पर ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यहां पर एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की नियमों के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य कारण से अनुमति नहीं दे रहा हूं जबकि दूसरे सदन में उसकी अनुमति दे दी जाती है। निस्संदेह वह सदन पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उसका सभापति उस सदन के नियमों के अनुसार जो वह उचित समझे वह निर्णय कर सकता है। परन्तु जब सचेतक भी है और सरकार भी एक ही है, तो दोनों सदनों में कुछ समन्वय होना चाहिये। यदि वहां पर कोई वक्तव्य दिया जा रहा है तो मुझे भी उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। पिछले दिन भी ऐसी ही घटना हुई थी। जिन सदस्यों के प्रस्तावों की मैंने अनुमति नहीं दी है उन्हें मैं क्या उत्तर दूं ? सरकार को मेरी कठिनाई की ओर भी कुछ ध्यान देना चाहिए।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यहां पर अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर के समय मैंने जो कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देखा था उसकी झलक दे दी गई है। उससे अधिक जानकारी उस सभा को नहीं दी गई है। चूंकि वहां पर सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री द्वारा ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव का उत्तर दिया जाना था, इसलिये मैंने वह जानकारी उस सभा को भी देना उचित समझा। इस सभा से कोई जानकारी छिपाने का सरकार का कोई इरादा नहीं था।

---

# सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID OF THE TABLE

### मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण

**संचार तथा संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं तीसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

| | |
|---|---|
| (एक) विवरण संख्या 1 . | . नवां सत्र, 1964 |
| (दो) अनुपूरक विवरण संख्या 2 | . आठवां सत्र, 1964 |
| (तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 5 | . सातवां सत्र, 1964 |
| (चार) अनुपूरक विवरण संख्या 8 | . छठा सत्र, 1963 |
| (पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 10 | . पांचवां सत्र, 1963 |
| (छ) अनुपूरक विवरण संख्या 13 | . चौथा सत्र, 1963 |
| (सात) अनुपूरक विवरण संख्या 14 . | दूसरा सत्र, 1962 |

**[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—3304/64 से एल०टी०—3310/64]**

### गोदी श्रमिक (सलाहकार समिति) संशोधन नियम

**श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया)** : मैं गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 25 अप्रैल, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1401 में प्रकाशित गोदी श्रमिक (सलाहकार समिति) संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3311/64 ।]**

### व्यापार चिन्ह पंजीयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी)** : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्न प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) व्यापार तथा पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये व्यापार चिन्ह पंजीयन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3312/64 ]**

(दो) वर्ष 1963–64 के लिये आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3316/64 ]**

———

## बम्बई राज्य भेषज विज्ञान परिषद् (पुनर्गठन) आदेश

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री हाथी)** : मैं अन्तर्राज्यिक निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक, 26 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3378 द्वारा शोधित, दिनांक 17 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2814 में प्रकाशित बम्बई राज्य भेषज विज्ञान परिषद (पुनर्गठन) आदेश, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--3313/64 ]**

## हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उसके कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा; हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में आग लग जाने के बारे में प्रतिवेदन

**उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह)** : मैं निम्न-लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) (क) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित एक प्रति ।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल०टी०--3314/64 ।]**

(दो) 29 जनवरी, 1964 को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के भारी मशीन निर्माण संयंत्र में आग लग जाने के बारे में श्री बी० मुकर्जी के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--3315/64 ।]**

## अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा०रा० चव्हाण)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) दिनांक 22 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1400

(दो) दिनांक 24 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1402 में प्रकाशित आंध्र प्रदेश मोटा चावल (अधिकतम मूल्य) दूसरा संशोधन आदेश, 1964 ।

(तीन) दिनांक 25 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1404 में प्रकाशित आंध्र प्रदेश मोटा चावल (अधिकतम मूल्य) तीसरा संशोधन आदेश, 1964 ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०--3317/64 ]**

**भारत के समाचार पत्र पंजीयक का वार्षिक प्रतिवेदन**

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : मैं भारत के समाचार पत्र पंजीयक के वार्षिक प्रतिवेदन 1964 (भाग 2) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3318/64 )**

---

## संसदीय समितियों के कार्यवाही--सारांश

## MINUTES OF PARLIAMENTARY COMMITTEES

**गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति**

**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति की चालू अधिवेशन में हुई बैठकों (46वीं से 49वीं) के कार्यवाही सारांश स ा पटल पर रखता हूं ।

**सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति**

**श्री खाडिलकर** (खेड़) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बंधी समिति की चालू अधिवेशन में हुई दसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

---

## वित्तीय समितियां (१९६३-६४)--एक समीक्षा

## FINANCIAL COMMITTEES (1963-64)—A REVIEW

**सचिव** : मैं "वित्तीय समितियां (1963-64)--एक समीक्षा" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

## राज्य सभा से सन्देश

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं :--

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के अनुसरण में, मुझे लोक-सभा को यह बताने का निदेश मिला है कि राज्य सभा अपनी 30 सितम्बर, 1964 को हुई बैठक में लोक सभा द्वारा 24 सितम्बर, 1964 को पास किये गये केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1964 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

---

## विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

## PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

**सचिव** : मैं चालू अधिवेशन में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा 1 अक्तूबर, 1964 को सभा में अन्तिम सूचना दिये जाने केपश्चात राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा पटल पह रखता हूं :—

(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1964

(2) विधिमान्य निविदा (अन्तर्लिखित नोट) विधेयक, 1964

---

## सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

## LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बंधी समिति ने अपने दसवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में दी गई अवधि से लिये निम्नलिखित छः सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

1. श्री मोतीलाल कुन्दनमल फिरोडिया
2. श्री आर० कनकसवै
3. श्री मुज़फ्फर हुसैन
4. चौधरी ब्रह्म प्रकाश
5. श्री प्रिय गुप्त, और
6. श्री महेश्वर नायक

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिये श्री ब्रु० प्रि० मौर्य की अनुपस्थिति माफ कर दी जाये ।

क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत है ?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन सदस्यों को यह सूचना दे दी जायेगी ।

---

## तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ के उत्तर में शुद्धि

## CARRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 1328

**शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन)** : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा उपमंत्री ने कहा था :—

"हो सकता है कि माननीय सदस्य का अनुमान ठीक हो ; परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, ये कैम्प केवल विदेशी छात्रों तक ही सीमित हैं । यह एक तथ्य है ।"

[श्री भक्त दर्शन]

सही स्थिति यह है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे ग्रीष्मकालीन कैम्पों में कुछ भारतीय छात्रों को भी प्रवेश की अनुमति दी जाये ताकि विदेशी छात्रों को अलग न रखा जा सके और भारतीय तथा विदेशी छात्र एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें ।

---

## आंध्र प्रदेश में स्कूल के बच्चों की मृत्यु के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE: DEATH OF SCHOOL CHILDREN IN ANDHRA PRADESH

**शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन)**: शिक्षा मंत्री के इस दुखःद घटना के बारे में दिये गये पिछले वक्तव्य के बाद सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से करनूल के कलक्टर तथा आंध्र प्रदेश के लोक स्वास्थ्य निदेशक से बनी समिति का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । समिति ने पूरी तरह से जांच तथा घटना-स्थल का निरीक्षण करने के बाद 25 सितम्बर, 1964 को अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया । समिति ने इन तीन संभावनाओं की जांच की :—(1) हैजे का प्रकोप, (2) भोजन के तत्वों में रासायनिक विष का होना, (3) पकाए हुए भोजन का रोगाणुओ द्वारा दूषित होना । समिति का विचार है कि महामारी फैलने का कारण शायद मध्याह्न भोजन तैयार करने या पकाने अथवा इसके बांटे जाने के समय स्थानीय रोगाणुओं द्वारा भोजन का दूषित हो जाना हो सकता है । परन्तु समिति ने अपना अन्तिम निर्णय नहीं दिया है, क्योंकि विभिन्न रासायनिक तथा रोगाण्विक विश्लेषणों का परिणाम अभी आना बाकी है ।

स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी भी इस दुर्घटना के बारे में सूचना देने के लिये हैदराबाद भेजा गया था । वह अधिकारी इस अस्थायी परिणाम पर पहुचा है कि इस आंत्र-शोथ के फैलने का कारण दोपहर का भोजन पकाने की जगह का बहुत ही गन्दा होना तथा नल्लानाभा के दूषित पानी का प्रयोग हो सकता है । शिक्षा मंत्रालय को मिले इन दो प्रतिवेदनों के आधार पर, आंध्र प्रदेश सरकार से मद्दीकेरा गांव की स्वच्छता की ओर अधिक ध्यान देने तथा दोपहर के भोजन को तैयार करने तथा उसे बांटने के समय स्वच्छता नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है ।

**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): हम ने शिक्षा मंत्री से पिछली बार यह जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा था कि जब कि यह महामारी 15 सितम्बर को फैली, तब 27 सितम्बर तक उसी भोजन के दिये जाने के क्या कारण हैं। परन्तु इस वक्तव्य में वह जानकारी नहीं दी गई है ।

**श्री भक्त दर्शन** : मैं ने कहा है कि भोजन 17 और 18 सितम्बर, को तैयार किया तथा दिया गया था, परन्तु 19 सितम्बर और उसके बाद यह बन्द कर दिया गया था ।

**श्री हेम बरुआ** : उसके बाद, यह फिर से दिया जाना शुरू कर दिया गया था और 27 सितम्बर तक यह क्रम जारी रहा ।

**श्री भक्त दर्शन** : सूचना प्राप्त होते ही यह बन्द कर दिया गया था ।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं ने पिछली बार यह सुझाव दिया था कि संयुक्त राष्ट्र चिल्ड्रेन कमेटी के हैदराबाद में नियुक्त प्रतिनिधि को भी इस मामले में अपना प्रतिवेदन पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये। क्या कारण है कि सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा ?

**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का प्रश्न तभी उत्पन्न होता जब उन के द्वारा दी गई खाद्य सामग्री में कुछ दोष पाया जाता । राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों द्वारा अब तक की गई जांच का परिणाम यह है कि दूषित जल के प्रयोग के कारण ही यह महामारी फैली थी ।

**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (करनूल) : जब मद्दीकेरा के आस पास की जगहों में हैजे के जीवाणु मौजूद थे, तो क्या केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा विशेष हिदायतें दी गईं थीं कि दूषित जल का प्रयोग न किया जाय और क्या उन्होंने अब यह व्यवस्था कर दी है कि विशेषकर स्कूलों में प्रयोग में लाया जाने वाला पानी शुद्ध हो ?

**डा० सुशीला नायर** : उस तालक के कुछ गांवों में हैजे का प्रकोप था परन्तु यह गांव 19 तारीख तक हैजे से पूर्णतया बचा हुआ था। इसीलिये स्कूल अधिकारियों ने भोजन दिये जाने की अनुमति दी थी । उस समय तक कुंए के पानी में जीवाणुओं के होने का पता नहीं था ।

**Shri Bagri** (Hissar) : May I know why adequate steps were not taken immediately to inoculate the children and also to improve the sanitation of the whole village immediately after the contamination of well water came to notice. Is Government taking precautions to check the recurrence of such cases in future?

**Dr. Sushila Nayar** : We have been very much pained at the death of children. The first case occurred on 19th and the meals were stopped immediately and whatever medical aid could be given was given to them and they were also taken to the hospital. The deaths were due to cholera infection. Central Government has directed the Andhra Pradesh Government to ensure complete sanitary conditions of cooking before meals are served to the children.

**Shri Bagri** : May I know why all the children were not inoculated immediately when it was found that the deaths were due to cholera?

**Dr. Sushila Nayar** : Inoculation does not produce immideate effect. It takes sometime to develop its effect.

**Shri Bade** (Khargone) : When cholera breaks out in a taluka, all the school children of the surrounding areas are also inoculated as a precautionary measure. May I know whether the children who have died had been inoculated before their death?

**Dr. Sushila Nayar** : Most of them had not been inoculated because their parents were against such inoculation.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी): यह एक बहुत ही दुखद घटना हुई है । क्या यह सच है कि गुन्ताकल से डाक्टरी सहायता प्राप्त नहीं की गई जहां एक बहुत बड़ा रेलवे हस्पताल है और इसके विपरीत करनूल से जो 80 मील से भी अधिक दूरी पर है डाक्टरी सहायता की प्रतीक्षा की गई और यह भी इस दुर्घटना का एक कारण था ?

क्या इसकी भी जांच की गई है ?

**डा० सुशीला नायर** : रेलवे हस्पताल सामान्यतया आम जनता की सहायता के लिये नहीं है । इनको जल्दी से जल्दी डाक्टरी सहायता देने का रास्ता अपनाया गया था । वहां पर भी एक डाक्टर अपने कुछ कर्मचारियों सहित उपलब्ध था । और अधिक सहायता तुरन्त पहुंचाई गई ।

**Shri Vishram Prasad** (Lalganj) : When cholera broke out in the eight surrounding villages, what preventive action was taken by the Government to check the spread of cholera there. The Minister has said that it is the responsibility of the local panchayat and not the Central Government, Then why this question has been allowed to be answered in this Hosue.

**Dr. Sushila Nayar :** The State Government must have done whatever was necessary in the circumstances. If the hon. Member so wants, I will collect this information from the State Government.

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): माननीय शिक्षा मंत्री के पहले दिन के वक्तव्य से साफ जाहिर था कि पकाने में दोष के कारण ये मृत्युऐं हुई थीं। परन्तु अब यह कहा गया है कि इस दुर्घटना का कारण हैजा था । इसलिये मेरा निवेदन है कि लोगों के सन्देह को दूर करने के लिये इस मामले की एक उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये।

**डा० सुशीला नायर** : जी, नहीं । पहले हमें चिन्ता थी कि कभी अन्न में कोई जीवाणु न हों । परन्तु बाद में पता लगा कि भोजन पकाने में स्वच्छता के अभाव के कारण यह दुर्घटना हुई है । अत: इस मामले में आगे जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

---

## प्रतिरक्षा सम्बन्धी मानचित्रों के पाए जाने के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE: DISCOVERY OF DEFENCE MAPS

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : 28 सितम्बर, 1964 को प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य के दौरान जो आश्वासन दिया था उसके बारे में स्थिति यह है कि सेना शिक्षा कोर के एक हवलदार एस० डी० किमोथी ने चौबटिया, रानीखेत से जूनियर कमीशंड आफिसर, जमादार गुणानन्द शास्त्री, सेना शिक्षा केन्द्र तथा स्कूल, पचमढ़ी, रेलवे स्टेशन पिपरिया को सेवों का पार्सल भेजा था ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): हम ने यह भी पूछा था कि क्या पार्सल भेजने वाले व्यक्ति तथा जिसको वह पार्सल भेजा गया था, दोनों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे छानबीन की गई थी और यदि हां, तो उस छानबीन का क्या परिणाम निकला ?

**श्री अ० म० थामस** : एक व्यक्ति से छानबीन की गई थी। दूसरे व्यक्ति को जिसे वह पार्सल भेजा गया था अभी पकड़ा नहीं जा सका है। पकड़े जाने पर उससे छानबीन की जायेगी।

**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है जिन्होंने हमारे प्रतिरक्षा सम्बन्धी कागजों को एक बाजारी वस्तु बना दिया है ?

**श्री अ० म० थामस** : चीफ आफ आर्मी स्टाफ की राय में यह जानकारी सामान्यत: जनता को पहले से ही थी। फिर भी इस मामले में पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है।

**Shri Prakash Vir Shastri** (Bijnaur) : The hon. Defence Minister had promised to make an enquiry as to how these maps of Nefa and Laddakh found their way into Ranikhet. Has that information been collected ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : जमादार तथा हवलदार दोनों शिक्षाकोर से संबंध रखते हैं। ये नक्शे वहां पर सेना की टुकड़ियों की शिक्षा के लिये प्राप्त किये गये थे और वह हवलदार स्वयं इस प्रकार के शिक्षा कार्य से संबंध रखता है।

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : It has been stated here that these maps were sent by some army instructor. May I know whether any instructions have been sent to check the recurrence of such cases in future ?

**Shri Y. B. Chavan :** Rules are already there in regard to such papers. The person in question has shown some negligence and carelessness. The question of taking any action against him is under consideration.

---

## विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

## RE: MOTION OF PRIVILEGE

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे 23 सितम्बर, 1964 को श्री बागड़ी तथा श्री हेम बरुआ के एक पत्र में छपे कुछ आरोपों के बारे में दो विशेषाधिकार प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी। मैंने उन्हें सभा में पढ़ा था। सभी सदस्यों ने मुझ में पूर्ण आस्था प्रकट की और सभा के नेता ने मुझे उस मामले को वहीं पर छोड़ने की सलाह दी। फिर भी, मैंने समूचे मामले को विरोधी पक्ष के नेताओं के समक्ष रखने का प्रस्ताव किया। उन्हें 25 सितम्बर, 1964 को 2-30 बज मेरे कक्ष में आने के लिये कहा गया था। श्री बागड़ी ने मुझे सूचना दी थी कि डा० राम मनोहर लोहिया उनकी ओर से भी वहां पर हाजिर होंग क्योंकि श्री बागड़ी को कुछ जरूरी काम था। बैठक के कुछ समय पहले डा० राम मनोहर लोहिया ने सैद्धान्तिक आपत्ति के आधार पर इस बैठक में भाग लेने से इन्कार कर दिया।

श्री रंगा, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री फ्रैंक एन्थनी तथा श्री हेम बरुआ ने इस बैठक में भाग लिया। मेरे पास सभी पत्र थे और अपनी स्थिति को स्पष्ट करना शुरू किया। परन्तु सभी ने उन पत्रों में जाने से इन्कार कर दिया।

[अध्यक्ष महोदय]

इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। यदि इन प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति दे दी जाये तो अध्यक्ष के आचरण की अवश्य ही चर्चा की जायेगी और यह तभी हो सकता है जब कि अध्यक्ष को हटाने सम्बन्धी सीधा प्रस्ताव लाया जाये। इसलिये इन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सदस्यों ने मेरे प्रति जो प्रेम तथा आस्था दिखाई है, उसके लिये उनका आभार प्रकट करने के लिये मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : पिछली बार आपने कहा था कि मैंने कुछ ऐसी बात कह दी थी जिससे आपका अपमान हुआ था। मैंने आपको पत्र भी लिखा है और मैं यहां पर भी दोहराता हूं कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मुझे आशा है कि आप ऐसी कोई चीज अपने दिल में नहीं रखेंगे। मुझे इस बारे में बड़ा खेद है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। मुझे किसी भी माननीय सदस्य से द्वेष नहीं है। मैं यहां पर हुई इस प्रकार की घटनाओं को कभी भी अपने दिल में नहीं रखता।

---

## लोकप्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक

## REPRESENTATION OF PEOPLE (SECOND AMENDMENT) BILL

**विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव)** : नें श्री अ० कु० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was Adopted**

**श्री जगन्नाथ राव** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

## खाद्य संभरण स्थिति के बारे में विवरण

## STATEMENT RE: FOOD SUPPLY POSITION

**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मैं खाद्यान्न संभरण की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रख। गया। देखिये संख्या एल० टी०-3324/64।]**

# पिछडे वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारेमें प्रस्ताव

## MOTION *RE*: REPORT OF BACKWARD CLASSES COMMISSION

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : Mr. Speaker, Sir, in the report it is mentioned that the real and only solution of the problem lies in the fact that the entire political power should be vested in the so-called Shudras *i.e.*, Scheduled caste, Scheduled Tribes and other Backward classes, until such time as this caste feeling of high and low shall have disappeared. Mahatma Gandhi also wanted this.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
**Mr. Deputy Speaker in the Chair**)

In the report it is also stated that a sum of 5000 million rupees will be given to labour societies. A sum of Rs. 26 crores have been allotted for 26 crores of people. A sum of Rs. 25.1 million is given to an industrialist, Shri Kirloskar. If so much amount has been given to one person, then the amount allotte for 26 crores of people was very meagre. How the labour societies will run, how the farming will go, how the land will be developed as the persons h could develop the land, have been kept out ? The assurance given of 'Fair field and no favour, equal opportunities' is not being followed. The assurance of 12½ per cent. reservation is also not being implemented. A step-motherly treatment is being meted out to these persons. The late Prime Minister gave an assurance while addressing a Gujar Conference at Shivpur that the fate of Gujars is quite safe in the hands of the Congress Government. These six crores Gujars have no representatives in the Parliament. This is their safety. There is no Governor, no Ambassador, no Chief Secretary out of these. 26 crores of people of backward classes.

Seven crores of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have no land and no other means of subsistance. The Government remember these people only on one day in five years, is the day of General elections. The Government could not so far solve the food problem. The persons, who have been entrusted to solve this problem, know nothing about the agricult re. Even Dr. Radhakrishnan once said in his speech that whatever is done fo agriculture, that is on paper only. Like this we cannot do any welfare o these people.

So far as qualifications are concerned, there should be some relaxation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates for the various competitive examinations. *Viva Voce* is a comonflage to reject these candidates.

Government cannot treat the fate of these 26 crores of people lightly. The people of these communities cannot be kept in darkness for long.

Today, the structure of socialism is made of capitalists. The person who serves most is looked down upon. A washerman is treated of a low category as he washes clothes. Sweepers are also treated of low category. Persons who indulge in uncleanliness around them are held in high esteem and the persons who are devoted to cleanliness are treated with Contempt. These 26 crores of people belonging to backward classes and backward tribes are in the deplorable condition.

The law and order situation in the country is very disappointing as compared to ancient times. The crimes are on the increase. If our moral is high, then the moral of the country would be high.

[Shri Yashpal Singh]

If the Government want peace and happiness in the country, it should look towards those crores of persons who are starving.

The six crores of Gujars are homeless. These people need protection and settlement. They are not even represented in the Parliament.

In case the Government desires to establish *Ram Rajya* in this country, it should see that exploitation of all types is stopped. With these words I move the motion and shall be grateful to those who support the motion.

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन (खंड 1-3) तथा उस पर की गई कार्यवाही की व्याख्या करने वाले ज्ञापन पर, जो 3 सितम्बर, 1956 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**डा० प० शा० देशमुख** (अमरावती) : सरकार से कई गलतियां हो सकती हैं, कई त्रुटियां रह सकती हैं लेकिन अभी तक पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन सभा में न रखना सबसे बड़ी गलती है । यह आयोग इसलिये नियुक्त नहीं किया गया कि पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित एक मंत्री इस आयोग को नियुक्त करना चाहते थे और न ही राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों की दयनीय स्थिति देख कर मानवता के नाते यह नियुक्त किया गया बल्कि संविधान में इस बारे में एक स्पष्ट उपबन्ध है कि राष्ट्रपति के लिये आयोग नियुक्त करना आवश्यक है । इसीलिये उन्होंने यह नियुक्त किया लेकिन काफी बाद में नियुक्त किया ।

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था । श्री ठक्कर बापा ने, जिन्होंने आदिवासियों की स्थिति सुधारने के लिये बड़ा श्रम किया, अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति हो रही उपेक्षा देख कर राष्ट्रपति, सरदार बल्लभभाई पटेल और अन्य व्यक्तियों से संविधान के अनुसार शीघ्र ही इस आयोग की नियुक्ति के बारे में पत्र लिखे । फिर भी सरकार ने इस आयोग को नियुक्त करने में तीन वर्ष लगा दिये । आयोग ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में दो वर्ष लगा दिये । उस प्रतिवेदन को प्रकाशित हुए $9\frac{1}{2}$ वर्ष हो गये और अब इस पर विचार किया जा रहा है । मैं नहीं समझता कि क्या संविधान का अवमान करने का इससे बड़ा भी कोई उदाहरण हो सकता है ।

इस समय पिछड़े वर्गों की दशा अत्यन्त दयनीय है । इतना ही नहीं कि प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया गया, इस पर विचार नहीं किया गया और इसकी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गयीं, वरन् आयोग की नियुक्ति से पहले जो कुछ किया गया था उसको भी अब समाप्त किया जा रहा है और इन जातियों की स्थिति सुधारने की बजाय इनको इनके अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया है । आश्चर्य की बात है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति जाति प्रथा को समाप्त करना चाहता है किन्तु समाज की स्थिति ही ऐसी है कि इस दशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है । अतः सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर जब उनकी स्थिति सुधारी जानी चाहिये, उनकी उपेक्षा करना सरकार का बड़ा अन्याय होगा । लेकिन वर्तमान स्थिति यह है इन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में दी जा रही कुछ सुविधाओं को भी समाप्त किया जा रहा है ।

आयोग ने कई सिफारिशें की हैं। काका कालेलकर साहब ने भी इन सब सिफारिशों को मूल रूप से मान लिया था लेकिन 30 और 31 मार्च, 1953 की रात्रि को कुछ घटना हुई और इन लोगों को कष्ट भोगने पड़े। मैं तो चाहता हूं कि इन विभिन्न घटनाओं की ज़ांच के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग अथवा अधिकरण बनाया जाये। यह बड़ी आश्चर्य-जनक घटना है।

स्थिति यह है कि संविधान के अनुसार आयोग की नियुक्ति की जायेगी और आयोग द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने पर इसकी एक प्रति उस पर की गई कार्यवाही बताने वाले ज्ञापन सहित सभा के प्रत्येक सदन में रखी जायेगी। पिछले 9½ वर्षों में सरकार ऐसा करने में असफल रही है। इसके अतिरिक्त अब जो वे कर रहे हैं वह यह है कि इस घोषणा द्वारा कोई जाति नहीं होनी चाहिये और अब सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर छात्रवृत्ति नहीं दी जानी चाहिये अन्य पिछड़े वर्गों को समाप्त ही कर रही है। इन लोगों को तब तक संरक्षण दिया जाये जब तक वे जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर तक न पहुंच जायें अन्यथा इनका कभी भी उत्थान न हो सकेगा।

इन छात्रों को पिछले 10 या 15 वर्षों से जो छात्र-वृत्तियां दी जा रही हैं, यदि उसको बन्द कर दिया गया तो यह उनके प्रति दोहरा अन्याय होगा। ये छात्रवृत्तियां इनको दी जाती रहें और उनको सरकारी संस्थाओं में अधिक आसानी से भर्ती किया ज़ाये और इस मामले में उनकी क्षमता को भरती का आधार न बनाया जाये। सरकार को आयोग की सभी सिफारिशें मान लेनी चाहिये क्योंकि ये उचित हैं और आवश्यक हैं—ये केवल पिछड़ें वर्गों के हित में ही नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित में भी है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि जब तक आप भारत में सभी वर्गों के साथ सहानुभूति नहीं दिखायेंगे, भारत राष्ट्र कभी भी सुदृढ़ नहीं बन सकता। यदि आप मनमानी करेंगे और आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं होगा, तो जनता आप में विश्वास खो बैठेगी।

---

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### उनचासवां प्रतिवेदन

**श्री हेमराज** (कांगड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनचासवें प्रतिवेदन से, जो 30 सितम्बर, 1964 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनचासवें प्रतिवेदन से, जो 30 सितम्बर, 1964 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

---

# भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प--जारी

## RESOLUTION *RE* : DEFENCE OF INDIA ACT—*Contd.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में 18 सितम्बर, 1964 को श्री बीरेन दत्त द्वारा रखे गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार होगा :

> "कि इस सभा की यह राय है कि जब तक आपात काल को समाप्त नहीं किया जाता जो कि वास्तव में बहुत पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, जब तक भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के दमनकारी उपबंधों और उन के अन्तर्गत बनाए गए नियमों को राजनीतिक, मजदूर संघ तथा लोकतन्त्रात्मक आन्दोलनों के अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अथवा खाद्य के लिए तथा ऊंचे मूल्यों के विरुद्ध जनता के आन्दोलनों का दमन करने के लिये प्रयोग में न लाया जाए ।"

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I oppose the way in which the Defence of India Rules are being used. Defence of India Rules are enforced against those people who demand food, cloth etc. and the persons who are responsible for sabotage in the country, are not held under these rules. The persons who demand for their arrest, those who support the labour, they are having detained and no action is taken against those who are opportunists.

In Pimpri, the communists have made the whole factory as their strong hold and they indulge in wrong publicity and even then they are not arrested but they are being given shelter.

I submit, Sir, that the DIR should be enforced against those who indulge in sabotage activities, which are harmless to the interest of the nation. Such activities are going in Jammu and Kashmir. Shri Frank Anthony delivered a very dangerous speech in the House. He along with Shri Jai Prakash Narayan and Sheikh Abdullah should be detained under the Defence of India Rules.

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** ( सीरामपुर ): यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है । पश्चिम बंगाल में कुछ घटनायें हुई हैं; 25 तारीख को कई सौ व्यक्तियों को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और फिर भी हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प में दो या तीन बातें उठायी गयी हैं। पहली यह है कि आपातकाल को बहुत पहले समाप्त किया जाना चाहिये था; दूसरी यह कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम और इसके अधीन नियमों के दमनकारी उपबंध हैं जिनका राजनीतिक, कार्मिक सघ और अन्य लोकतन्त्रात्मक आन्दोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है और तीसरी यह कि इनका लोगों के भोजन और अधिक मूल्य विरोधी आन्दोलन को दबाने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है ।

मैं नहीं समझता कि क्या सदाचार समिति नियुक्त किये जाने से या भ्रष्टाचार के बढ़ जाने से यह निर्णय किया जा सकता है कि देश में आपात्काल है या नहीं । ऐसी बात नहीं है कि आपातकाल में सदाचार समिति नियुक्त करने या भ्रष्टाचार दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय सदस्य को याद होगा कि सन्थानम समिति, जो कि एक संसदीय समिति थी, वर्ष 1962 में नियुक्त की गयी थी। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इन दो वर्षों में ही यह कार्य किया गया। इस समिति के प्रतिवेदन पर ही कुछ कदम उठाये गये। इन में एक कदम सतर्कता आयोग की नियुक्ति है। अतः आपात्काल निर्धारित करने की कसौटी यह नहीं है बल्कि इस से भिन्न है।

सकल्प के प्रस्तावक ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि यद्यपि चीन के साथ हमारा सीमा सम्बन्धी झगड़ा है, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को देख कर हम यह नहीं कह सकते कि युद्ध की हालत पैदा हो गई है या चीन के साथ हमारी लड़ाई है। इस से पता चलता है कि माननीय सदस्य जिस दल से संबंध रखते हैं उस दल के बिचारों में और देशवासियों के विचारों में कितना बड़ा अन्तर है।

उन्होंने एक आरोप यह लगाया कि भारत प्रतिरक्षा नियमों को राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिये काम में लाया जा रहा है। आपात की घोषणा से 31 अगस्त तक कुल 3,006 व्यक्ति भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। 31-8-64 को केवल 986 व्यक्ति नज़रबन्द थे। इसमें से 81 साम्यवादी हैं। इससे सभा अंदाजा लगा सकती है कि क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों को विपक्षी दलों को कुचलने के लिये काम में लाया जाता है।

**श्री नन्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : यदि उनकी संख्या इतनी छोटी है तो उनको रिहा करने में क्या नुकसान है ?

**श्री हाथी** : उन्हें तब गिरफ्तार किया जाता है जब वे संचार व्यवस्था और उत्पादन को बन्द करने का प्रयत्न करते हैं।

**Shri Bagri** (Hissar) : Do the Defence of India Rules apply to the carrying on the peaceful agitation?

**श्री हाथी** : गृह मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि भारत प्रतिरक्षा नियमों को शांतिमय आंदोलन करने वालों पर लागू न किया जाये। परन्तु संचार साधनों और उत्पादन के बन्द करने के प्रश्न पर राज्य सरकार अपना विवेक प्रयोग में ला सकती हैं।

मेरे मित्र ने कुछ व्यक्तिगत मामलों का भी उल्लेख किया है। मेरे मित्र समेत 65 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। प्रशासनक ने 256 व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश दिया था। परन्तु यह आदेश देते समय उन्होंने यह आदेश नहीं दिया था कि शेष व्यक्तियों को विरुद्ध रखा जाये। फिर यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि क्या इन व्यक्तियों को निरुद्ध रखना उचित था। परन्तु फिर भी उन्हें रिहा कर दिया गया था और तब से अब तक मैं नहीं समझता कि इन निरुद्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी के फिर से वारंट जारी किये गये हों।

मेरे माननीय मित्र ने गोआ में की गई कुछ गिरफ्तारियों का उल्लेख किया है। गोआ में गिरफ्तारियां इस लिये की गई थीं कि वहां की हड़ताल ने भारत की अर्थ व्यवस्था को खतरे में डाल दिया था।

[श्री हाथी]

एक बार एक शांति संकल्प पास किया गया था जिस पर श्रमिक संघ के मजदूर और साम्यवादी दल के सदस्य भी राजी हो गये थे और उन्होंने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि काम बन्द करने का उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है ।

मेरे माननीय मित्र श्री स० मो० बनर्जी ने राज्य सरकार से संबंधित कुछ मामलों का उल्लेख किया है। ये मामले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं । मैं इन्हें राज्य सरकार को भेज दूंगा । मैं केवल इतना कहूंगा कि भारत प्रतिरक्षा नियमों का गलत प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

**श्री वीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम ) : माननीय मंत्री को साम्यवादी दल के साथ मेरे सम्बन्ध के बारे में कुछ गलतफहमी है। मैं माननीय मंत्री को बता दूं कि शांति संकल्प में दोनों पक्षों का दायित्व होता है। यदि सरकार मजदूरों का पक्ष लेती तो भारत प्रतिरक्षा नियमों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । भारत प्रतिरक्षा नियमों को जान बूझ कर इस्तेमाल किया गया था ।

25 सितम्बर को सारे भारत में शांतिमय हड़ताल थी। त्रिपुरा प्रशासन ने संविधान सभा के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इन सदस्यों को अभी तक सभा में शपथ लेने का भी अवसर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको जेल में रखना आवश्यक है। इस प्रकार की घटनाएं अन्य स्थानों पर भी हुई हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इस संकल्प का विरोध कर रही है। शायद सरकार इस बात पर तुली हुई है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों को उन व्यक्तियों के विरुद्ध कांम में लाया जाये जो शांतिमय उद्देश्यों के लिये आन्दोलन करते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे संकल्प को स्वीकार करें।

**उपाध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की यह राय है कि जब तक आपातकाल को समाप्त नहीं किया जाता जो कि वास्तव में बहुत पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिये था, तब तक भारतीय प्रतिरक्षा एक्ट के दमनकारी उपबन्धों और उनके अन्तर्गत लगाये गये नियमों को राजनीतिक, मजदूर संघ तथा लोकतंत्रात्मक आंदोलनों के अन्य कार्य-कर्त्ताओं के खिलाफ अथवा खाद्य के लिये तथा ऊंचे मूल्यों के खिलाफ जनता के आन्दोलनों का दमन करने के लिये प्रयोग में न लाया जाये ।"

**लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।**

**The Lok Sabha divided.**

पक्ष में 20; विपक्ष में 93 ।

Ayes 20; Noes 93.

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was negatived.**

---

# भष्टाचार उन्मूलन कें बारें में संकल्प

## RESOLUTION *RE* : ERADICATION OF CORRUPTION

**Shri Achal Singh** (Agra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg leave to move that

'इस सभा की यह राय है कि सरकारी विभागों में और जन-जीवन से भ्रष्टाचार और अनैतिकता का उन्मूलन किया जाये ।"

We owe our gratitude to the Congress and especially the father of the nation Mahatma Gandhi who got us freedom. After achieving independence we hoped to bring Ram Rajya but since the assasination of Mahatma Gandhi all our hopes have been dashed to the ground and the Ram Rajya is now a mere dream. We never thought that we could go to such depths of moral degradation. Cases of thefts and dacoity, robbery, murder, gambling, speculation, drinking. etc are a matter of every day occurrence. I have talked on this matter to late Shri Jawahar Lal Nehru, Senior Minister's and Chief Ministers. All are worried about it. Cooperation of public is necessary to achieve this end.

Controls alone accounts for 50 percent of the corruption. Mahatma Gandhi strongly opposed controlling. But Britishers wanted to introduce it because it served their own purpose. Now Govt. have controlled the movement of different commodities, *viz.*, wheat, rice etc. In Calcutta and Bombay wheat is selling at the rate of Rs. 70-80 per maund while there are areas where the same wheat is selling at such bottom prices. All these things give rise to smuggling. Sugar is being sold in black market at the rate of Rs. 3·00 per kilo. I am sure if, controls are removed, it will go a long way in tackling the problem of corruption.

To get pure things is a rare phenomena these days. Adulteration is there in all the commodities, in milk, in edible oils, in ghee, in medicines and what not. The law is there imposing heavy fines and imprisonment. But people take lightly all these punishments. They are Mammon Worshippers.

Indirect taxes amount for greater evasion of taxes than the direct taxes. Take the case of sales tax. We daily see people making purchases without taking cashmemos. It is very difficult to check. There is lot of corruption in Income Tax also. The more the taxes the more the evasion. Therefore what we should do is to reduce the number of taxes. This would result in less evasion and bring relief to the tax payers also.

Changes are also necessitated in our Judicial System. There is lot of corruption in the courts. I see some Panchayats administring justice in villages. There should be similar panchayats in cities and towns also.

Then there are various categories of inspectors, the Excise Inspectors, the Income-Tax Inspector, the Labour Inspector, the Customs Inspector etc. etc. Inspector is an officer who is earning thousands of rupees per month. I will cite an example. When control was imposed on khandsari in Agra, the Inspector with his staff reached there for counting. The shopkeepers palmedt he Inspector and the latter recorded less number of bags in the register

[Shri Achal Singh]

than what were actually there. This is one of the thousands of such cases. If we really want to eradicate corruption, then the men in high places, Ministers and Members of Parliament should raise their moral standards.

Lastly if demoralization and corruption are not checked at this stage, it can be a grave danger to our freedom one day. If we fall low in our moral standards, we will not be able to face China or Pakistan.

With these words I request the hon. Minister to accept my Resolution.

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : I support this resolution. The Ministers should present themselves as model to the public. They should take a vow that henceforth they will not issue permits and quotas to undesirable persons and that they will not take a single pie by way of bribe. To day the eyes of the whole world are focussed at Delhi and we should set an example of high character. We see committees being appointed against corruption but no action is taken against men in high positions who are really at fault and the poor people are cought instead. Take the case of Chief Minister Kairon. The enquiry report has been printed but he is yet to think for tendering his resignation. Take the case of Banaras where the poor foreman was caught and the General Manager went scot free.

As my friend said controls are responsible for corruption to a great extent. The person not in need of commodities also purchases them and sells them in black. Adulteration should also be checked. Severe punishments should be inflicted upon the adulterers. Enquiries should be held against Ministers and High Officials.

**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा) : हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है और इसलिये यहां के लोगों के नैतिक स्तर में भी गिरावट आई है। इस गिरावट के लिये हमें शासक दल को जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहिये। यह गिरावट तो समाज के अंग अंग में फैली हुई है। हमें महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना चाहिये और उनके बताये हुए सिद्धान्तों द्वारा लोगों में अच्छी भावनाओं का संचारकरना चाहिये। मैं नियंत्रण हटाने के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि इस समय देश में अनाज की कमी है और इसके लिये नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। हमें कुछ ऐसा बातावरण पैदा करना चाहिये जिससे लोगों में सद्भावना और अच्छे विचार उत्पन्न हों। मिलावट करने वालों को मृत्यु दण्ड देना चाहिये।

**Shri Ram Sewak Yadav** (Bara Banki) : Before proceeding further I would like to put before you what corruption is. Giving and taking of bribes is not all that constitutes Corruption. If we go at the root we will find that the pattern of economy adopted by our Govt. is mainly responsible for corruption because this system necessitates the issuing of permits and licences which are the root couse of corruption.

Another cause of corruption is economic disparity. Unless something is done to abridge the gulf between the incomes of the rich and the poor, it is not possible to put down corruption. High Officials are maintaining very high standard of living and their subordainates try to copy them, but in the absence

of means they go astray and adopt unfair means. For the last so many years we are seeing that this gulf of disparity is widening every day. We fail to understand to what type of socialism we are being led by our Government.

Santhanam Committee, in its report, has said that the huge sums of money given by Capitalists and business magnates to the political parties is to a large extent responsible for spreading corruption. It is always with some motive that these sums are given and they are given to the ruling party. The Govt. therefore should put restrictions upon it. The present Finance Minister was forced to resign some time back on a charge of corruption and now same person has been brought in the Cabinet. Is it the way to eradicate corruption.

**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : मुझे इस बात का दुःख है कि प्रश्न को ठीक ढंग से समझा नहीं गया है। हमारी न्यायापालिका में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं, यह बात मैं साहस के साथ कह सकता हूं। प्रशासन के उच्च स्तर के लोग भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1956–57 के दंगों में पुलिस ने भी अपनी योग्यता सिद्ध कर दी हुई है। उन्होंने अपने कर्त्तव्य का बहुत भली प्रकार से पालन किया था। आखिर हम इन्सान हैं, और लोकतंत्रीय प्रणाली में जो कुछ सम्भव है वह किया जाना चाहिये। इस समस्या को तनिक भिन्न दृष्टिकोण से देखना होगा। हमें यह समझ लेना चाहिये कि जब तक उन जन साधारण की सुरक्षा संरक्षण और उसके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो जाती, अपराध तो होते ही रहेंगे। समस्या शिक्षा, रोजगार और नये भारत के निर्माण की ओर ध्यान देने की है।

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : प्रस्तावक महोदय का धन्यवाद है कि उन्होंने इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया है। हमें सरकार के विभिन्न विभागों से भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयत्न करना ही चाहिये। मजेदार बात यह है कि हमारे कर्णधार भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परन्तु उचित दिशा की ओर किया गया कार्य बहुत ही कम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मंत्रियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे कम बोलें और काम अधिक करें। अन्ततोगत्वा ठोस कार्य से ही देश की समस्या हल होगी।

आज देश में यह दिखाई दे रहा है कि सहकारी समितियों ने अपने कार्यों द्वारा जन जीवन में एक उथल पुथल मचा दी है। इन सहकारी समितियों को अधिक से अधिक सार्वजनिक कार्य सौंपे जाने से होने वाले खतरे से सरकार को सावधान रहना चाहिये। यह बड़े खेद की बात है कि राज्यों के प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। यह रोग इतना व्यापक हो गया है कि अब इसको समाप्त करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर ही कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व इस सभा में एक संकल्प पर विचार के समय यह आश्वासन दिया था कि स्कैन्डेनेविया के "ओम्बुडस मैन" जैसी एक संस्था स्थापित की जायेगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है और इस कार्य में कोई प्रगति हुई है।

**Shri Rananjai Singh** (Musafir Khana) : Sir, I place my amendment before the House.

This type of resolution have been brought before the House many a time. I am of the opinion that the problem of corruption had to be dealt with effectively. No Consideration should be shown to a person, who soever he

[Shri Rananjai Singh]

may be, for indulging in corruption and immoral acts. No sympathy should be shown to the corrupt persons and severest punishment should be awarded to him. Not in two years but at once, we should try to eradicate corruption. We have to take stern measures for that, only by passing a resolution, it is not possible to have any result.

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : इस प्रस्ताव को प्रस्तुप करते हुए समय माननीय प्रस्तावक महोदय ने बहुत से विषयों को स्पर्श किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विषय बहुत ही महत्व पूर्ण है। और इस सदन का, सारे देश का और सरकार का ध्यान इसकी ओर गया है। परन्तु हमें यह महसूस करना चाहिये कि शोर मचाने से तथा बढ़बढ़ बातें करने से अथवा संकल्प पारित करने से तो यह समस्या हल नहीं हो सकती। यह कहना गलत है कि हमारे सारे राष्ट्रीय जीवन में ही भ्रष्टाचार फैल गया है। यह देश का वास्तविक चित्र नहीं है।

हम सब का ही हित इसी बात में है कि सरकार मजबूत हो और देश से भ्रष्टाचार दूर हो। कुछ स्तरों पर, ऐसे मामले हो सकते हैं, और हैं, जहां भ्रष्टाचार होता है, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि सारे पदाधिकारी और समस्त सरकारी व्यवस्था ही भ्रष्टाचारी है। यह बात सभी लोग मानते हैं कि साफ तथा कुशल प्रशासन चलाने के लिये प्रत्येक कदम उठाया जाना चाहिये। इस बात को दृष्टि में रख कर ही सन्थानम समिति नियुक्त की गई थी। सबसे पहले हमें विलम्ब को दूर करना चाहिये।

दूसरी बात हमें यह करनी है कि हमें जनता से सम्बन्ध रखने वाले विभागों की, उदाहरणार्थ, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे, आयात तथा तकनीकी विकास विभाग, की जांच करनी चाहिये। इनमें से प्रत्येक विभाग में हमने समितियां नियुक्त की हैं जिनका काम बिलम्ब के मामलों, बिलम्ब के कारणों, लोगों की शिकायतों तथा अन्य बातों की जांच करना होगा। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये हमने इन विभागों में एकक स्थापित किया है, किन्तु इसका बाद में विस्तार किया जायगा। दूसरी बात हमने यह की है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। हमने सब राज्यों को सतर्कता आयुक्त नियुक्त करने की सलाह भी दी है। अतः इस समस्या को हल करने के लिए हम क्रम बद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे हैं।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि मैं प्रस्तावक महोदय की भावनाओं का आदर करता हुआ उनसे अनुरोध करता हूं कि वह संकल्प वापिस ले लें।

**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : माननीय मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही है। मैं पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के बारे में हमने जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था उसका क्या बना।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आज की इस खबर की ओर गया है कि विनय नगर के डायरी वालों ने एक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा। परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि वहां का पुलिस अधिकारी उनका अपना था।

**श्री हाथी** : पहली बात पर हम विचार कर रहे हैं और दूसरी बात पर भी विचार करेंगे ।

**Shri Achal Singh :** In view of the assurance given by the Honourable Minister I withdraw my resolution.

**Shri Ram Sewak Yadav :** The honorable member cannot withdraw his resolution.

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

**Amendment was put to vote and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सभा की अनुमति से संकल्प वापिस लेना चाहते है ।

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं ।

**श्री हाथी** : यदि प्रस्तावक महोदय को इसे वापिस लेने की अनुमति नहीं है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदव** : तो मुझे इसे मतदान के लिये प्रस्तुत करना होगा । प्रश्न यह है

"इस सभा की यह राय है कि सरकारी यवभागों और जन-जीवन से भ्रष्टाचार और अनैतिकता काउन्मूलन किया जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**उपाध्यक्ष महोदय** : चीन के बम्ब विस्फोट पर आज 4.30 पर गृह कार्य मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे ।

---

## लाइसेंसों, परमिटों आदि के वितरण के निमन्त्रण के लिए बोर्ड नियुक्त करने के बारे में संकल्प

## RESOLUTION *RE* : BOARD FOR THE CONTROL OF DISTRIBUTION OF LICENCES, PERMITS ETC.

**श्री प० ह० भील** (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि इस सभा की यह राय है कि देश में लाइसेंसों, परमिटों और कोटा के वितरण का नियन्त्रण करने के लिये एक स्वतन्त्र गैर-राजनीतिक संविहित बोर्ड नियुक्त किया जाय ।"

[श्री स० ह० मील]

मैं संकल्प को बड़ी जिम्मेदारी की भावना से प्रस्तुत कर रहा हूं । इसमें मेरे दल का नहीं, मेरे देश का हित है। मेरा मत यह है कि देश में फैले हुए समस्त भ्रष्टाचार का मूल कारण देश में कोटा, पर्मिट और लाइसेंस राज्य का होता है। यदि हम यह चाहते हैं कि यह भ्रष्टाचार समाप्त हो जाये तो लाइसैन्सों, पर्मिटों और कोटों के वितरण पर नियन्त्रण रख ने के लिये एक स्वतन्त्र एवं गैर राजनीतिक स्वायत्त शायी बोर्ड की स्थापना कि जाना जरूरी है ।

मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार वास्तव में ही भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है तो यह लाइसेंन्स, परमिट इत्यादि देने का काम सरकार को एक स्वतन्त्र बोर्ड को सौंपने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिये यदि कांग्रेस दल ऐसा करने को तैयार नहीं है तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह अपने दल के हितों के लिये आर्थिक शक्ति का दुरुपयोग करने पर उतारू है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि ) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । कांग्रेस राज को तो लोग आम तौर पर कोटा परमिट राज का नाम देते हैं । यह धारणा भी निराधार नहीं है कि लाइसैन्स, परमिट और कोटे देने की वर्तमान पद्धति ने ही भ्रष्टाचार फैलाया है । और इसी के कारण भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना सम्भव नहीं हो रहा । लाइसैन्स, परमिट और कोटे, लोगों की काम करने की क्षमता अथवा अनुभव का विचार किये बिना ही दे दिये जाते हैं ।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई]

[**Dr. Sarojini Mahishi** *in the Chair*]

मेरा निवेदन है कि इससे अवांछनीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है । ऐसा करने से न केवल इन प्रवृतियों को ही रोका जा सकेगा प्रत्युत अन्ततोगत्वा कांग्रेस सरकार की भी शक्ति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी देखना चाहिये कि लाइसैन्स, परमिट और कोटे गुण और दोष के आधार पर दिये जायं। मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय को इस बारे में एक निश्चित और कठोर नीति अपनानी चाहिये ।

**Shri Onkarlal Berwa** (Kotah) : I heartily welcome this resolution. People of our Country are of our the opinion that as long as the existing system of distribution of licences, and permits continues, it will not be possible to root out the evil of corruption. The Licences, Permits and quotas are being distributed to the favourites of these who are in power. The standing and capacity of such persons are not at all considered. Nobody cares to see whether the person concerned can even execute the job or not.

Under such circumstances, it is very essential that an independent non-political body be set up for the control of distribution of permits and licences.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
**Mr. Speaker** in the Chair)

So much has been spent at Bhuvaneshwar that it looks whether the Congress has got machine of printing currency notes. Lakhs of rupees have been uselessly spent. This entire money comes through permits and quotas. Quotas, permits and licences are given only to the persons connected with the ministers. The worst type of nepotism is going in the country at present. The relatives of the Chief Minister of Rajasthan are getting such things in great abundance.

**Shri C. L. Chaudhry** (Mahua) : Sir, on a point of order, the charges have been levelled against persons who are not present here and occupy very high position in the Indian Society.

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उन्होंने राजस्थान के मुख्य मंत्री का नाम लिया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये । श्री नन्दा ।

---

## चीन द्वारा कथित अणु विस्फोट के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE: REPORTED EXPLOSION OF AN ATOMIC DEVICE BY CHINA

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)**: कुछ समय पूर्व से विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाले समाचारों से पता चला है कि चीन एक अणुविस्फोट करने की जोरदार तैयारी कर रहा है । इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चीन अभी तक एक अणुबम का विस्फोट करने में सफल हुआ है । यह सर्व विदित है कि जब भी चीन प्रथम आणविक अस्त्र विस्फोट करने में सफल होगा, यह बात गुप्त नहीं रहेगी । अमरीकी, रूसी, फ्रांसीसी, जापानी और हमारे अपने सूचना संग्रह (मौनिटरिंग) केन्द्र विस्फोट की प्रबलता तथा चीन में विस्फोट के स्थान का पता लगाने में समर्थ होंगे ।

सरकार ने फ्रांसीसी समाचार पत्रों में एक समाचार देखा है जिसमें यह बताया गया है कि कुछ विशषज्ञों का यह मत है कि चीन कई महीने पहले एक अणुबम विस्फोट कर चुका है । इसको सही मानने के कोई प्रमाण विद्यमान नहीं हैं । जब भी चीन अणुविस्फोट करेगा, हमें उसके तुरन्त पश्चात् पता लग जायेगा कि उसने अणुविस्फोट किया है । प्रथम अणुविस्फोट मात्र से यह अर्थ नहीं निकलता कि उसके पास आणविक अस्त्रों का भण्डार है अथवा एक निश्चित लक्ष्य पर पहुंच सकने वाला अणुबम है । फिर भी यदि चीन जैसे पड़ौसी देश में ऐसा होता है तो यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है । इस बात का संकेत मिलता है कि केवल अणुविस्फोट के कारण हमें निकट भविष्य में चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।

---

## लाइसेंसों परमिटों आदि के वितरण के लिये बोर्ड नियुक्त करने के बारे में वक्तव्य

## RESOLUTION RE : BOARD FOR THE CONTROL OF DISTRIBUTION OF LICENCES, PERMITS, ETC.—*Contd.*

**Shri Onkar Lal Berwa :** I want to submit through you, Sir, that in last January Shri Birlaji came to inaugurate the Bal Bearing factory. This is Birla factory, on this occasion he said that this Government is running on our

subscriptions which we give from time to time to various institutions. Therefore a Committee be appointed in order to recommend regarding the granting of quota, licence and permits. The members of this Committee should not belong to any political party. We should settle the disputes of high officials and industrialists peacefully and amicably.

**Shri Sivamurthi Swamy** (Koppal) : I rise to support wholeheartedly the Resolution regarding constitution of a Statutory Board for control and regulation of licences and permits, etc.

(डा० सरोजिनी महिषि पीठासीन हुईं)
(**Dr. Sarojini Mahishi** in the Chair)

The Planning Commission has embarked upon five year plans for the development of industries in the country. There is a talk in the Lok Sabha to bring about socialism in the country. We, therefore, thought that the persons who would come with proposals of promoting socialism in the economic field would be given encouragement. Many farmers started co-operative societies to establish factories under the development projects. In my area, cane is grown in an area of about 22,000 acres and the people of that area have been demanding a licence for starting sugar factory on a cooperative basis since 1959-60. At least 12 or 13 delegations from the co-operative society of Kamalapur, Vijayanagar waited on the Government to reiterate their demand. But the unanimous demand of the people of that area for grant of a licence has not been acceded to. The reason is that an hon. Member of this House who has two sugar factories in that area has been putting pressure on the Government not to grant any licence to co-operative societies in that area. The Government is committed to bring about socialism in the country but those people have been anxiously waiting for the day when their demand would be fulfilled. We even brought the Congressmen to the fore to press for this demand, but nothing has happened.

A localisation scheme has been introduced in that 22,000 acres of area, which means that that area is reserved for sugarcane cultivation and no other crop can be grown there. The farmers can be fined upto 400 rupees for raising any other crop. There is no arrangement for crushing of sugarcane because there is no factory in the nearby area. The result is that the sugarcane crop remains standing and thus the farmers suffer a huge loss on account of this. If some statutory board is established, then we would easily get our demand sanctioned and get a licence. The cooperative societies have deposited a sum of rupees six lakhs for setting up sugar factories in a bank. They do not want any monetary help from the Government.

We have made an agreement with Shri Morarka to reserve supplies of sugarcane sown in an area of 5,000 or even 6,000 acres for his factories and the rest 16,000 acres we want to reserve for the factories to be started in the cooperative sector. There is acute shortage of sugar in that area. It is therefore just and proper that Government should grant licences for the setting up of cooperative sugar factories to the Kamalapur and Gangawati and other cooperative societies, whose applications are pending with the Government, as a step to promote co-operative movement in the country.

The Gangawati Co-operative Society was once granted a licence but it was cancelled after a period of six months on the plea that they had not deposited the requisite amount required for the setting up of a factory. But on the other hand, Kila Chand and Company has been granted a licence, but the factory has not been set up as yet. It seems that an attempt is being made to discourage the farmers of that area.

For stopping such kind of bungling in the matter of granting of licences etc., it is high time that a statutory board is set up by the Government. Contracts should also be brought under the purview of a statutory board to root out corruption.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
**Mr. Deputy-Speaker** in the chair)

The demands of the striking workers employed in the factories run by Shri Morarka are justified and the Central Government should press the management to accede to those demands.

**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज): लाइसेंसों, परमिटों तथा कोटों के बारे में सर्वत्र चर्चा चल रही है। हमारे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि इसके लिए एक स्वतंत्र अराजनीतिक संविहित बोर्ड की स्थापना की जाय। परन्तु इस बोर्ड की रूपरेखा क्या होगी। सरकार के ऊपर एक सरकार बन जायेगी। मेरे विचार में यह बात व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य नियंत्रणों के लागू किये जाने का तो विरोध करते हैं परन्तु इस प्रकार के बोर्ड बनाने का संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं।

मेरे विचार में संकल्प में दिये गये सारे ही सुझाव अव्यवहारिक हैं। नियंत्रणों के प्रश्न पर परस्पर विरोधी मत है। इस बात से कोई लाभ नहीं होता कि पहले तो सरकार को चावल, धान और अन्य वस्तुओं पर नियंत्रण लागू करने के लिये सुझाव दिया जाये और फिर यह कहा जाये कि नियंत्रणों के परिणाम अवांछनीय होते हैं अतः यह कार्य उस निकाय को सौंपा जाये जो सरकार से ऊंचे अभिकरण के रूप में कार्य करे। यदि नियंत्रण ठीक नहीं है तो वे समाप्त किये जायें परन्तु यदि उनकी आवश्यकता है तो उसको कायम रखा जाये और यह कार्य सरकार के क्षेत्राधिकार में ही रहे। मेरे विचार में इन सारे मामलों पर माननीय सदस्य ठंडे दिल से विचार करेंगे और विवाद में किसी प्रकार की गर्मी नहीं आयेगी। यदि कोटा लाइसेंस और परमिट इत्यादि बुरी चीजें हैं तो उन्हें हटा देना चाहिये, परन्तु यदि यह आवश्यक और लाभदायक हैं तो सरकार को इसे बनाये रखना चाहिये।

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना): श्री भील द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरे विचार में नियंत्रण लागू करने के बारे में कुछ भ्रांति चल रही है। मेरे विचार में नियंत्रण लागू तो किया जाना चाहिये लेकिन उसको कार्यान्वित करने का अधिकार सरकार के पास न रह कर किसी संविहित बोर्ड के पास होना चाहिये। यह आवश्यक है कि धन सम्बंधी पक्षपात करने के अधिकार राजनीतिज्ञों को, जो देश पर शासन करते हैं, न दिये जायें और इन अधिकारों को नियंत्रण में रखा जाये। आज के युग में धन की बहुत बड़ी शक्ति है और वर्तमान ढांचे में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है।

**उद्योग तथा संभरण मंत्री (श्री दासप्पा)** : मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था, और यह जानने का प्रयत्न कर रहा था कि आखिर इनके मनों में क्या है । मेरा निवेदन है कि हमारे देश में एक सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था है । जब हमारे पास कच्चे माल की कमी होती है और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि की समस्या होती है तो यह सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है । अतः वस्तु स्थिति को देखते हुए किसी प्रकार के विनियंत्रों की आवश्यकता हुआ करती है ।

स्वतंत्र संविहित निकाय स्थापित करने का सुझाव बड़ा अजीब है । कच्चे माल, विदेशी मुद्रा आदि की उपलब्धता का पता लगाने के लिये जब तक व्यापक अपेक्षित सामग्री नहीं होगी, बोर्ड क्या करेगा । कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिये, हमें अपने देश के हर भाग की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना होगा । इन सब कामों के लिये बड़े परिणाम में आंकड़े इक्ट्ठे करने की आवश्यकता है । इन आंकड़ों के बिना बोर्ड का काम निरर्थक होगा । नारों से काम नहीं चलता । श्री नम्बियार ने ठीक कहा है कि हर मामले का फैसला उसके गुण दोष देख कर होना चाहिए । परन्तु यह बात उनकी गलत है कि संसद् सदस्य अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं ।

## सभा-पटल पर रखा गया पत्र

## PAPER LAID ON THE TABLE

### उन मामलों सम्बन्धी विवरण जिनमें न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये

**उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में सम्भरण मंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं, 30-6-1964 को समाप्त होने वाले छमाही के उन मामलों का विवरण जिनमें इंडिया सप्लाई मिशन लंदन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये हैं, सभा-पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--3319/64]**

---

## आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE: FLOODS IN ANDHRA PRADESH

**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : 27 सितम्बर के दिन बंगाल की खाड़ी के पश्चिम की ओर शोक की एक लहर दौड़ गयी । 28 की सुबह भारी वर्षा हुई । उसी दिन 28 तारीख की रात को और 29 तारीख को आंध्र प्रदेश में विस्तृत क्षेत्र में भारी वर्षा हुई । 30 सितम्बर को कृष्णा नदी में पानी की निकासी 12 लाख क्यूजक थी । इस बाढ़ से नागार्जुनसागर बांध के अनुस्रोत में 2500 फुट की दूरी पर स्थित निर्माण पुल के कुल 33 "स्पैन्ज़" में से 15 बह गये । दो व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं और ऐसा ख्याल किया जाता है कि वे परियोजना स्थल पर डूब गये हैं । परियोजन स्थल पर कोई और जानी या माली नुकसान नहीं हुआ । नागार्जुनसागर बांध, जिसका निर्माण काय चल रहा है, बिल्कुल ठीक है ।

भारी वर्षा के कारण, कई एक सिंचाई तालाबों में अत्यधिक पानी भर गया है । और उनमें से कुछ टूट गये हैं । एक निकटवर्ती पर्वतीय सरिता, जिसे चन्द्रवंका कहा जाता है, में भी प्रबल बाढ़ आई थी । परिणामस्वरूप पानी सचरेला शहर की ओर वेग से बहा और शहर के अन्दर 10 से 15

फुट पानी की लहर चलने लगी । इसके कारण इमारतों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा । राज्य सरकार ने जो आंकड़े जांच पड़ताल के पश्चात् भेजे हैं उनके अनुसार मचरेला में 38 और दचेरपला में 6 व्यक्ति मर गये हैं । सूचना मिली है कि 50 व्यक्ति अभी तक लापता हैं । मचरेला की रेल तथा सड़क को बहुत नुकसान पहुंचा है ।

वर्षा के कारण धान और दूसरी फसलों की क्षति हुई है । विजयवाड़ा, इलेरू, बापतला, रिपाली के कुछ भाग तथा दूसरे स्थान भी जलमग्न हैं । सूचना मिली हैं कि विजयवाड़ा में 4 व्यक्ति मर गये हैं । आंध्र प्रदेश सरकार ने पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिये तत्पर उपाय किये हैं । समस्त प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं । नागार्जुनसागर शहर में बिजली तथा जल सप्लाई को पुनः स्थापित करने में सैनिक अधिकारियों ने सहायता दी है ।

यह सूचना भी मिली है कि महबूब नगर जिले में सरला सागर बांध के मिट्टी से बने हुए भाग को कुछ क्षति पहुंची है और पानी बनापार्थी नामक शहर में प्रवेश कर गया है । बांध की मरम्मत करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा के बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी । और ब्योरा अभी प्राप्त नहीं हुआ । राज्य सरकार हानि का मूल्यांकन कर रही है तथा बचाव कार्य में व्यस्त है ।

**Shri Bade** (Khargeon) : Whether it is a fact that it was broadcasted from the Radio that the rains will come, if so, whether the state Government warn the villages on both the sides?

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : दोनों ओर के ग्रामों को चेतावनी दे दी थी ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : This problem of floods crops up before the House everytime whether Government have any plan to give some training to the villagers so that they may adopt some Safety measures whenever the emergency arises.

**Shri Shyam Dhar Misra :** This is a very comprehensive problem. This type of flood is not seen anywhere else in this year. Within 24 hours it spread like anything. Government had no notice of it. With whether depression we could not foretell that flood is coming.

---

## *सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हड़ताल

## *STRIKE IN THE SINDRI FERTILIZERS FACTORY

**श्री प्र०रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : केवल हड़ताल की दृष्टि से ही हमने इस समस्या को नहीं देखना । हमें यह याद रखना चाहिए कि सिंदरी उर्वरक कारखाना सरकारी क्षेत्र का प्रथम कारखाना है । इस दृष्टि से भारत के औद्योगिक क्षेत्र में इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है । यदि वहां कोई गड़बड़ होती है तो हमें उसकी गहराई में जाना ही पड़ेगा और सारी समस्या का अध्ययन करना होगा । इस बात का पता लगाना होगा कि वहां पर अभी तक जो भी दोष हैं उन्हें दूर करने का तत्काल कोई उपाय किया जाना चाहिए । वहां औद्योगिक सम्बंध अच्छे नहीं हैं ।

जहां तक मैं समझ पाया हूं यह समस्या 1959 में शुरू हुई थी । गड़बड़ी उस समय पैदा हुई, जब कि दो कार्मिक संघ, जो दोनों (आई० एन० टी० य० सी०) के प्रति अपनी निष्ठा का दावा करते

---

*आधे घन्टे की चर्चा

*Half-an-hour discussion.

थे, मान्यता चाहते थे। इंटक की कार्यकारिणी के समक्ष यह समस्या आई, उन्होंने इस समस्या पर विचार किया और फैसला दिया कि बिहार इंटक के अध्यक्ष भी माइकल जॉन इस संघ का अध्यक्ष पद भी सम्भाल लें। श्री माइकल जॉन ने यह पद सम्भाल लिया। इस पर भी दुर्भाग्य यह रहा कि इस मामले में कोई शांतिपूर्ण तथा पारस्परिक समझौता न हो सका। अप्रैल, 1962 से तनाव बढ़ता गया और उस संघ को, जिसके श्री माइकल जान अध्यक्ष थे, मान्यता प्राप्त न हो सकी। इससे यह भावना पैदा हो गयी कि श्रमिकों के साथ ठीक ढंग का व्यवहार नहीं किया गया।

इसके बाद श्री माइकल जान ने सितम्बर, 1962 में प्रबन्धकों को नोटिस दिया। राज्य सरकार ने औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए तीन बातें सौंपी। इधर प्रबन्धकों ने श्री माइकल जान के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के रूप में एक मुकदमा दायर कर दिया। इस से स्थिति और अधिक गम्भीर हो गयी।

इससे श्रमिकों की भावनाएं भड़क उठीं। न्यायाधिकरण ने उस संघ की ओर से पेश होने वाले प्रतिनिधियों को, जिसके माइकल जान अध्यक्ष हैं,निदेश दिया कि वे मालिकों द्वारा पेश किये गये द्विपक्षीय समझौते के संबंध में श्रमिकों की सामान्य राय का पता लगायें। यह समझौता श्रमिकों को मंजूर नहीं।

न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध तथाकथित कार्मिक संघ ने पटना के उच्चन्यायालय में एक लेख याचिका (रिट पेटीशन) दायर की जहां उचित पदाधिकारियों के प्रश्न पर विवाद पैदा हुआ और यह याचिका अस्वीकार करदी गई। बिहार सरकार के श्रमायुक्त ने निर्णय दिया कि श्री माइकल जान ही उर्वरक कारखाना श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं। सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से श्रमिकों से अपील की कि शरारत करने अथवा तोड़फोड़ करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे उस तरह के काम से रोका जाये।

न्यायाधिकरण का मजूरी पंचाट 3 जुलाई, 1964 को दिया गया। श्रमिक संघ इस बात से नाराज हो गया क्योंकि निर्णय दिये जानेके पश्चात प्रबंधकों ने जुलाई तक उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया। अत: इस पर फिर असंतोष पदा हुआ और श्रमिकों में उत्तेजना बढी अन्ततोगत्वा झगड़ा बहुत बढ़ गया। इस पंचाट से जिन व्यक्तियों को लाभ नहीं हुआ, उनकी संख्या 3500 है।

यदि इस प्रकार की भावना बढ़ती रही और हम इसके तथ्यों की जांच नहीं कर सके तो इससे बड़ी भारी क्षति होगी। इसके कारण हजारों टन उर्वरक की क्षति हो रही है, और इतने ही टन अनाज की भी हानि हो रही है। सिन्दरी उर्वरक कारखाने में जोकि सर्वाधिक महत्व की संस्था है, कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। अत: मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि किसी किस्म की जांच करवाई जाये। कार्मिक संघ न्यायिक जांच करवाना चाहता है। मैं मंत्री महोदय से भी प्रार्थना करता हूं कि वह इन सब मामलों पर ध्यानपूर्वक विचार करें और इसकी जांच करायें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): इस सम्बंध में मैं मंत्री महोदय से तीन बातें जानना चाहता हूं। एक यह है कि इन औद्योगिक विवादों में जोकि सरकारी उपक्रमों में चल रहे हैं,के बारे में सरकार क्या दृष्टिकोण अपना रही है। उत्पादन और जन शक्ति की जो हानि हो रही है उसके बारे में सरकार का क्या मत है, और इन औद्योगिक सम्बंधों को किस प्रकार से मधुर बनाने का विचार है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने श्रमिकों में फैली हुई बेचैनी के कारणों पर विभागीय रूप से किसी प्रकार का विचार किया है। क्या कोई इस प्रकार की कार्यवाही की गयी है कि आगे से इस कारखाने में विशेष रूप से किसी तरह की गड़बड़ी पुन: न होने पाये।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : झगड़ा, 1962 में हुआ और अब 1964 चल रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बीच सिन्दरी कारखाने में श्रमिकों और प्रबन्धकों के झगड़े को हल करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं। और उनके सम्बंध अच्छे न रहने के कारण क्या हैं।

**श्री ब० कु० दास** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कारखाने में श्रमिक संघों की संख्या अधिक होने के कारण यह कठिन स्थिति पैदा हुई है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री चक्रवर्ती ने इस प्रश्न को प्रस्तुत किया है। उनको इसलिए इस समस्या में रूचि है क्योंकि वह इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं सदन की भी इस समस्या में रूचि है, क्योंकि सिन्दरी उर्वरक कारखाना सरकारी क्षेत्र का प्रथम उपक्रम है। यह सच है कि इस कारखाने में श्रमिकों संबंधी स्थिति कई वर्षों से बहुत अच्छी नहीं है। वर्ष 1960 में हुए कार्मिक संघ के अध्यक्ष के पिछले वैध चुनाव के बाद इंटक के भीतर ही सत्ता के लिये कुछ होड़ लग गई, कि कौन संघ का प्रभारी व्यक्ति बने। वहां पर कार्मिक संघ कोई नहीं है।

सितम्बर 1962 में श्री माइकल जान ने, जो उस समय कार्मिक संघ के अध्यक्ष थे, मांगों की एक सूची पेश की, जिन पर प्रबन्धकों द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। तीन मांगें न्यायाधिकरण को भेज दी गईं और अन्य 12 मांगें समझौते के लिए भेज दी गईं। समझौता कार्रवाई पूर्णतः स्वीकार की गयी और न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट दे दिया। कुछ कर्मचारियों को इस पंचाट से लाभ नहीं हुआ। उनको उकसाया गया। फलस्वरूप यह दुखदः हड़ताल हुई। तोड़ फोड़ के भी कार्य किये गये। इसी कारण तालाबन्दी करनी पड़ी।

यह कहना सही नहीं है कि प्रबंधकों ने श्रम विभाग अथवा मुख्यमंत्री की सलाह को नहीं माना। उनको बराबर सूचना दी जाती रही और उन्होंने जो भी सलाह दी, उस पर यथोचित ध्यान दिया गया। जहां तक इस सुझाव का सम्बंध है कि इस विवाद को मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंप दिया जाना चाहिये था, कानूनी स्थिति यह है कि एक बार पंचाट दिये जाने के बाद हम इसको मध्यस्थ निर्णय के लिये भेज कर इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तथापि, सरकार ने श्रमिकों को समझाने का प्रयत्न किया और उनको अपने गलत तरीकों को अनुभव करने के लिये कहा। परन्तु नये नेताओं ने सरकार की बात नहीं मानी। अतः ये सब दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई जिनके कारण इतनी भारी हानि हो रही है।

तथापि, वर्तमान स्थिति बड़ी संतोषजनक है। संयंत्र में काम आरम्भ हो गया है और अधिकांश श्रमिक जिनको हड़ताल में शामिल होने के लिये गुमराह किया गया था, अब पछता रहे हैं। यद्यपि इसमें हजारों व्यक्ति शामिल थे, किन्तु केवल 20 व्यक्तियों को ही मुअत्तिल किया गया है और उनके विरुद्ध जांच की जा रही है। बाकी व्यक्ति, जिन्होंने यह वचन दिया है कि कारखाने में प्रायः पूरी क्षमता के साथ काम किया जा रहा है। आशा की जाती है कि इंटक नेताओं समेत वे सभी व्यक्ति, जो दिल से श्रमिकों का कल्याण चाहते हैं, यह प्रयत्न करेंगे कि कार्मिक संघ का कार्य समुचित ढंग से प्रारम्भ हो जाये।

हाल ही में उर्वरक निगम ने भी सारी स्थिति पर विचार किया। उन्होंने उर्वरक निगम की बहुत ही सुन्दर प्रगति गाथा प्रस्तुत की है। 48 करोड़ रुपये नयी नयी योजनाओं में लगाया है और विभिन्न प्रकार इस दिशा में किये हैं। मेरे विचार में मैंने सब बातों का सम्भव ढंग से उत्तर दे दिया है।

लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

**The Lok Sabha then adjourned sine die.**

P.L.S. 48, XXXIV. 20. 64. (N)
600

© 1964 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1964 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI.